क्रम-संख्या–72 (क-2)

रजिस्टर्ड नं० एल०डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-4(लाइसेन्स टू
पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2026 ई0

(फाल्गुन 21, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या–212/ई-2/**तेरह-2026-254-1983-341143**

प्रयागराज, दिनांक 12 मार्च, 2026 ई0

आबकारी अनुभाग-2

अधिसूचना

सा0प0नि0-**26**

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शीरा नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (नवम् संशोधन) नियमावली, 2026

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण) नवम् संशोधन (नियमावली, 2026 कही जायेगी,

(2) यह दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2--नियम 2का संशोधन–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-:

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. परिभाषाएं-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-	2. परिभाषाएं-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) से है।	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) से है।
(ख) 'प्रदेशन-ग्रहीता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जिसके पक्ष में अधिनियम की धारा-8 के अधीन शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से शीरा खरीदने के प्रयाजनार्थ अथवा जिसके लिये कैप्टिव उपभोग हेतु शीरा अन्तरण करने अथवा उसका सम्भरण करने का आदेश किया गया है।	(ख) 'प्रदेशन-ग्रहीता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जिसके पक्ष में अधिनियम की धारा-8 के अधीन किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी से अधिनियम में यथापरिभाषित शीरा खरीदने अथवा सम्भरण करने के प्रयोजनार्थ आदेश किया गया है।
(ग) ''कैप्टिव उपयोग'' का तात्पर्य एक ही स्वामित्व वाली चीनी मिल से उसी स्वामित्व की आसवनी या औद्योगिक इकाई को स्थानान्तरित शीरे से है।	(ग) निकाल दिया गया है।
(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन नियत प्रपत्र से है।	(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र से है।
(ङ) ''शीरा वर्ष'' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष के 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है।	(ङ) ''शीरा वर्ष'' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष के 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है।
(च) ''धारा'' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।	(च) ''धारा'' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।
(छ) ''संग्रहण टंकी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन शीरे के निरापद संरक्षण के लिये उपबंधित आच्छादित स्थान से है।	(छ) ''संग्रहण टंकी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन शीरे के सुरक्षित परिरक्षण के लिये उपबंधित आच्छादित स्थान से है।
(ज) ''उप निरीक्षक आबकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 4, 1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त उप-निरीक्षक आबकारी से है।	(ज) ''उप निरीक्षक/निरीक्षक आबकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 4, सन् 1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त उप-निरीक्षक आबकारी से है।
	(झ) ''शीरा'' का का तात्पर्य गन्ना के रस या चीनी चाशनी से चीनी या खाण्डसारी चीनी के विनिर्माण के दौरान उपात्पाद के रूप में उत्पादित भारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो और इसमें राब या गुड़ से उत्क्रम प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पाद भी सम्मिलित है।
	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हों।

3. नियम 3 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. आच्छादित स्थान की व्यवस्था-	**3. आच्छादित स्थान की व्यवस्था-**
(1) चीनी के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी, कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियाँ रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम साठ प्रतिशत या पिछले 4 वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का साठ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके। वह संग्रहण क्षमता में वृद्धि हेतु शीरा निधि का नियमित आधार पर उपयोग करेगा। केवल आपात स्थिति में, शीरा नियंत्रक द्वारा आयाताकार आच्छादित कच्चे पिट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।	(1) शक्कर के किसी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का प्रत्येक अध्यासी, चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियाँ रखेगा जिससे कि एक बार में चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार एक सौ चालीस कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का न्यूनतम साठ प्रतिशत या पिछले 4 वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का साठ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके। वह संग्रहण क्षमता में वृद्धि हेतु शीरा निधि का नियमित आधार पर उपयोग करेगा। केवल आपात स्थिति में, शीरा नियंत्रक द्वारा शास्तिरोपण करते हुये आयताकार आच्छादित कच्चे पिट की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा, परन्तु यह कि ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयां, जहां पर अर्द्धठोस शीरे का उत्पादन होता है ,वहां शीरा संचय हेतु टंकी के स्थान पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त ,उत्तर प्रदेश द्वारा विहित संचय क्षमता के पात्रों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पी0डी0-2 लाइसेंस प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की अवधारित उपयुक्त आवश्यक क्षमता के अनुसार अतिरिक्त टंकियों की स्थापना कराया जाना आवश्यक होगा।
(2)(क) जहां नियंत्रक को किसी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता में शीरे के बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर या उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले किसी अन्य आधार पर कठिनाई हो ,वहॉ वह चीनी के किसी कारखाने के अध्यासी को यह निदेश दे सकता है कि वह	(2)(क) जहॉ नियंत्रक को किसी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता में शीरे के बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर या उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले किसी अन्य आधार पर कठिनाई हो ,वहॉ वह चीनी के किसी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई

निदेश में संसूचित सीमा तक आच्छादित अतिरिक्त ,संग्रहण टंकी का उपबंध करे और तदुपरान्त अध्यासी ऐसे संग्रहण टंकी का उपबंध ऐसी अवधि के भीतर करेगा जैसा कि निदेश में विनिर्दिष्ट हो ।	के अध्यासी को यह निदेश दे सकता है कि वह निदेश में संसूचित सीमा तक आच्छादित अतिरिक्त ,संग्रहण टंकी का उपबंध करे और तदुपरान्त अध्यासी ऐसे संग्रहण टंकी का उपबंध ऐसी अवधि के भीतर करेगा जैसा कि निदेश में विनिर्दिष्ट हो ।
(ख) चीनी मिलों में पेराई सत्र के दौरान शीरे के झाग के कारण संग्रहण क्षमता में कमी को पूर्ण करने के लिए अध्यासी चीनी मिल के परिसर में ऐसी क्षमता की आच्छादित पक्की मेसोनरी टंकियॉ अनुरक्षित करेगा ,जो झागकरण की स्थिति को नियंत्रित कर सके ,जिससे उप नियम (1)-के अधीन संग्रहण क्षमता शीरा में झाग के कारण बाधित न हो या उसमें कमी न हो।	(ख) चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में पेराई सत्र के दौरान शीरे के झाग के कारण संग्रहण क्षमता में कमी को पूर्ण करने के लिए अध्यासी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के परिसर में ऐसी क्षमता की आच्छादित पक्की मेसोनरी टंकियॉ अनुरक्षित करेगा ,जो झागकरण की स्थिति को नियंत्रित कर सके ,जिससे उप नियम-1 के अधीन संग्रहण क्षमता शीरा में झाग के कारण बाधित न हो या उसमें कमी न हो।
(3) शीरे के संग्रहण के लिए अनाच्छादित संग्रहण टंकी का प्रयोग नियंत्रक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।	(3) शीरे के संग्रहण के लिए अनाच्छादित संग्रहण टंकी का प्रयोग नियंत्रक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

4. नियम 4 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4. संग्रहण टंकियों की व्यवस्था (1)-सभी संग्रहण टंकिया कारखाने के अध्यासी द्वारा क्रमांकित की जायेगी और प्रत्येक टंकी को बिमा (डाइमेन्शन्स) और संग्रहण क्षमता के साथ प्रत्येक टंकी की प्रविष्टि संख्या को किसी स्थायी जुड़नार (फिक्सचर) पर प्रदर्शित किया जायेगा।	4. संग्रहण टंकियों की व्यवस्था (1)-सभी संग्रहण टंकिया चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा क्रमांकित की जायेगी और प्रत्येक टंकी को उसकी विमा और संग्रहण क्षमता के साथ आवंटित संख्या को किसी स्थायी जुड़नार (फिक्सचर) पर प्रदर्शित किया जायेगा , परन्तु यह कि ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई जहां पर अर्द्धठोसशीरा उत्पादित होता है ,में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त ,उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित संचय क्षमता के पात्रों हेतु व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रकार संचित शीरे के स्टाक का लेखा भरे हुये पात्रों की संख्या के अनुसार अनुरक्षित किया जायेगा। परन्तु यह और कि ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों हेतु विहित पोर्टल पर एक आभासी

	शीरा संग्रहण टंकी भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी , जिसमें किसी भी समय संचित कुल शीरे की मात्रा क्विंटल में प्रविष्ट की जायेगी। पोर्टल पर तदनुसार ही भरे हुए पात्रों की संख्या भी अभिलिखित की जायेगी ।
(2) शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्थित सभी संग्रहण टंकियों की बिमा शीरा प्रपत्र 14 में एक रजिस्टर में अभिलिखित की जायेगी और प्रत्येक संग्रहण टंकी के सम्बन्ध में एक गेज चार्ट रजिस्टर में यह प्रदर्शित करने के लिए रखा जायेगा कि टंकी में में प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की गइराई पर कितने क्विंटल शीरे की मात्रा है। संग्रहण टंकियों की गेजिंग इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमें 45 प्रतिशत शक्कर युक्त शीरा मानक समझा जाय।	(2)चीनी के किसी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा व्यवस्थित सभी संग्रहण टंकियों की विमा शीरा प्रपत्र 14 में एक रजिस्टर में अभिलिखित की जायेगी और प्रत्येक संग्रहण टंकी के सम्बन्ध में एक गेज चार्ट रजिस्टर में यह प्रदर्शित करने के लिए रखा जायेगा कि टंकी में प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की गइराई पर कितने क्विंटल शीरे की मात्रा है। संग्रहण टंकियों की गेजिंग इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमें 45 प्रतिशत चीनी युक्त शीरा मानक समझा जाय।

5--नियम 5का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
5. संग्रहण क्षमता में परिवर्तन (1) यदि संग्रहण टंकी की संग्रहण क्षमता में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो अध्यासी तब नियंत्रक को एक नक्शा (Blue Print) प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक संग्रहण टंकी की वास्तविक, स्थिति, क्रम संख्या, बिमा, प्रकार (खड़ी चिनाई) और उसकी प्रत्येक पांच सेंटीमीटर की गहराई पर क्षमता तथा ऐसी टंकियों से जुड़े पाइप और निकास–नालियाँ दिखाई जायेगी।	5. संग्रहण क्षमता में परिवर्तन--(1) यदि संग्रहण टंकी की संग्रहण क्षमता में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो अध्यासी तब नियंत्रक को एक रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक संग्रहण टंकी की वास्तविक, स्थिति, क्रम संख्या, विमा, प्रकार (खड़ी चिनाई) और उसकी प्रत्येक दो सेंटीमीटर की गहराई पर क्षमता तथा ऐसी टंकियों से जुड़े पाइप और निकास–नालियाँ दिखाई जायेगी।
(2) यदि कोई अतिरिक्त संग्रहण टंकी उपनियम- (1) के अधीन प्रस्तुत नक्शे में न दिखाई गयी हो और उसकी बाद में शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्था की जाय तो उसके लिए उसी प्रकार का एक नक्शा नियंत्रक को उसका निर्माण किये जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जयेगा।	(2) यदि कोई अतिरिक्त संग्रहण टंकी उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) में न दिखाई गयी हो और उसकी बाद में चीनी के कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा व्यवस्था की जाय तो उसके लिए उसी प्रकार की रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) नियंत्रक को उसका निर्माण किये जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

6--नियम 6का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6. आसवनियों के लिए नियम 4 और 5 का लागू होना शीरे के निरापद संरक्षण को सुनिश्चित करने के नियंत्रक के निदेश–उपर्युक्त नियम 4 और 5 के उपबंध उत्तर प्रदेश में आसवनियों के स्वामियों पर आसवन (distillation) के प्रयोजनों के लिए शक्कर के कारखानों द्वारा सम्भरित शीरे के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।	6. आसवनियों के लिए नियम 4 और 5 का लागू होना (धारा 22) शीरे के निरापद संरक्षण हेतु नियंत्रक के निदेश (धारा 5 और 22) नियम 4 और 5 के उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य में आसवनियों के स्वामियों पर आसवन के प्रयोजनों के लिए चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों द्वारा सम्भरित शीरे के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

7--नियम 7 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
7. शीरे के सुरक्षित परिरक्षण हेतु नियंत्रक के निर्देश– यदि नियंत्रक की यह राय हो कि किसी संग्रहण टंकी या उसके किसी युक्ति (device) अथवा उसके जुड़नार जिसके अन्तर्गत दीवाल, पाइप लाइन या निकास–नाली (ड्रेन) भी है, से कारखाने में उत्पादित शीरे के गुण और मात्रा के निरापद संरक्षण से पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं हो पाता तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कारखाने के अध्यासी को शीरे का निरापद संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक उपाय जिसके अंतर्गत दीवाल, पाइप लाइन या निकास नाली को हटाना भी है ,करने की आत्रा दे सकता है, और अध्यासी उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।	7. शीरे के निरापद संरक्षण हेतु नियंत्रक के निदेश – यदि नियंत्रक की यह राय हो कि किसी संग्रहण टंकी या उसके किसी युक्ति/उपाय अथवा उसके जुड़नार जिसके अधीन दीवार,पाइप लाइन या निकास–नाली (ड्रेन) भी है, से चीनी कारखाने या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई में उत्पादित शीरे के गुण और मात्रा के निरापद संरक्षण से पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं हो पाता तो वह लिखित आदेश द्वारा चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को शीरे का निरापद संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक उपाय, जिसके अंतर्गत (ड्रेन) दीवार, पाइप लाइन या निकास नाली को हटाना भी है, करने की आज्ञा दे, सकता है, और अध्यासी उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

8--नियम 8 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ- **एक** में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
8. संग्रहण टंकियों में शीरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए नियंत्रक के निदेश (1)-नियंत्रक यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कारखाने की संग्रहण टंकियों को किस	8. संग्रहण टंकियों में शीरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए नियंत्रक के निदेश (1)-नियंत्रक यह विनिर्दिष्ट करेगा कि चीनी कारखाने या

क्रम में भरा जाय या खाली किया जाय और ऐसा निदेश शक्कर के कारखाने के अध्यासी पर बन्धकारी होगा।	खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई की संग्रहण टंकियों को किस क्रम में भरा जाय या खाली किया जाय और ऐसा निदेश चीनी के कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी पर बाध्यकारी होगा।
(2) किसी विशेष शीरा वर्ष में किसी कारखाने में उत्पादित या संग्रहीत शीरा नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना, पिछले शीरा वर्ष के शीरे के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा।	(2) किसी विशेष शीरा वर्ष में किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में उत्पादित या संग्रहीत शीरा नियंत्रक की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, पिछले शीरा वर्ष के शीरे के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा।
(3) किसी कारखाने में शीरा तब तक संग्रहीत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो।	(3) किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में शीरा तब तक संग्रहीत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो।
(4) शक्कर के कारखाने का अध्यासी इस बात के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि किसी वर्ष में शीरे के संग्रहण में छीजन संग्रहीत शीरे के कुल मात्रा के दो प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन दो प्रतिशत से अधिक हो तो अध्यासी नियम के उल्लंघन के लिये अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति से दंडित होगा।	(4) चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी इस बात के लिए पर्याप्त रक्षोपाय करेगा कि किसी शीरा वर्ष में शीरे के संग्रहण में छीजन संग्रहीत शीरे के कुल मात्रा के डेढ प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन डेढ प्रतिशत से अधिक हो तो अध्यासी नियम के उल्लंघन के लिये अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति का उत्तरदायी होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के संतोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से उपर्युक्त विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी हुई है तो अध्यासी किसी शास्ति का देनदार नहीं होगा।	परन्तु यह कि यदि नियंत्रक के संतोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से उपर्युक्त विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी हुई है तो अध्यासी किसी शास्ति का उत्तरदायी नहीं होगा।
टिप्पणी-उपनियम (3) और (4) भी आसवनियों में शीरा के संग्रहण पर लागू होगें।	टिप्पणी-उपनियम (3) और (4) भी आसवनियों में शीरा के संग्रहण पर लागू होगें।

9. नियम 9 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
9. निमज्जन दण्ड प्रतिपयन तथा परीक्षण उपकरणों की व्यवस्था आदि–चीनी के कारखाने का कोई अध्यासी शीरा की सग्रहण टंकियों की गहराई	9. निमज्जन दण्ड प्रतिपयन तथा परीक्षण उपकरणों की व्यवस्था आदि–चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का कोई अध्यासी

नापने के लिये परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट ब्योरे के अनुसार निमज्जन दण्ड (dip Rods)/प्रोब्स (Probes) और टकियों की विभिन्न गहराई पर शीरे का नमूना लेने के लिए प्रतिपयन उपकरण (Sampling Apparatus) और परीक्षण उपकरण भी (Testing Apparatus) तथा अभिकर्मक (Reagent) रखेगा और उन्हें आबकारी तथा राजस्व विभागों के किसी अधिकारी द्वारा जो क्रमश उप-निरीक्षक आबकारी तथा तहसीलदार की श्रेणी से ऊपर श्रेणी का हो, मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा और उन्हें उनका प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा।	परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट के अनुसार संग्रहण टकियों में शीरा की गहराई नापने के लिये निमज्जन दण्ड और टंकियों की विभिन्न गहराई पर शीरे के नमूने लेने के लिए प्रतिपयन उपकरण और परीक्षण उपकरण एवं अभिकर्मक भी अनुरक्षित करेगा और उन्हें आबकारी तथा राजस्व विभागों के किसी अधिकारी द्वारा जो क्रमश उप-निरीक्षक आबकारी तथा तहसीलदार की श्रेणी से ऊपर श्रेणी का हो, मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा और उन्हें उनका प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा।

10. नियम 10 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिय गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ-एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
10. उत्पादित शीरे के नमूनों का परीक्षण- चीनी कारखाने का अध्यासी पेराई के शीरा वर्ष में शर्करा (ब्रिक्स) और चीनी की कुल मात्रा के लिए कारखाने में उत्पादित शीरा के नमूनों का प्रतिदिन परीक्षण करेगा और उनके परिणामों को प्रपत्र एम०एफ० 5 में रजिस्टर के संगत स्तम्भों में अभिलिखित करेगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल) (Upexciseonline) पर अपलोड करेगा।	10. उत्पादित शीरे के नमूनों का परीक्षण-चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी पेराई के शीरा वर्ष मे शर्करा (ब्रिक्स) और चीनी की कुल मात्रा के लिए चीनी कारखाने या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई में उत्पादित किये गये शीरा के नमूनों काप्रतिदिन परीक्षण प्राप्त करेगा और उनके परिणामों को प्रपत्र एम०एफ०-5 में रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भों में प्रतिदिन अभिलिखित करेगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

11. नियम 11 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ- **एक** में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ- **दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
11. संग्रहण टंकी के शीरे के नमूनों का लिया जाना तथा उनका परीक्षण-1 चीनी के कारखाने का अध्यासी प्रति शीरा वर्ष नवम्बर से मई की अवधि में प्रत्येक माह के 1 और 16वें दिनांक को और प्रति शीरा वर्ष जून से अक्टूबर की अवधि में प्रथम, आठवें, सोलहवें और तेईसवें दिनांक को प्रत्येक संग्रहण टंकी से शीरे के सिरे, मध्य और पेंदी के परत के नमूने लिवायेगा और शर्करा तथा चीनी की मात्रा के लिए उनका परीक्षण करायेगा और उनके परिणाम शीरा प्रपत्र 7 के संगत स्तम्भों में अभिलिखित करेगा। रजिस्टर के संगत उद्धरण की	11. संग्रहण टंकी के शीरे के नमूनों का लिया जाना तथा उनका परीक्षण-1 चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी प्रति शीरा वर्ष नवम्बर से मई की अवधि में प्रत्येक माह के 1 और 16वें दिनांक को और प्रति शीरा वर्ष जून से अक्टूबर की अवधि में प्रथम, आठवें, सोलहवें और तेईसवें दिनांक को प्रत्येक संग्रहण टंकी से शीरे के सिरे, मध्य और पेंदी की परत के नमूने प्राप्त करेगा और शर्करा तथा चीनी की मात्रा के लिए उनका परीक्षण करायेगा और उनके परिणाम शीरा प्रपत्र 7 के सुसंगत स्तम्भों

एक सत्य प्रतिलिपि नियंत्रक को उसी दिन, जिस दिन नमूने का परीक्षण कराया जाय, भेजी जायेगी। यदि चीनी के कारखाने में आबकारी का उप निरीक्षक तैनात हो तो उसकी उपस्थिति में नमूने लिये जायेंगे और उनका परीक्षण किया जायेगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	में अभिलिखित करेगा। रजिस्टर से संगत उद्धरण की एक सत्य प्रतिलिपि नियंत्रक को उसी दिन, जिस दिन नमूने का परीक्षण कराया जाय, भेजी जायेगी। यदि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में आबकारी का उप निरीक्षक/निरीक्षक तैनात हो तो उसकी उपस्थिति में नमूने लिये जायेंगे और उनका परीक्षण किया जायेगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
(2) यदि किसी टंकी में संग्रहीत शीरे के गुण में एकाएक कोई आकस्मिक ह्रास हो तो चीनी के कारखाने का अध्यासी तुरन्त तार/पोर्टल पर कम्प्लेन्ट टैब द्वारा नियंत्रक को उसकी सूचना देगा।	(2) यदि किसी टंकी में संग्रहीत शीरे के गुण में एकाएक कोई आकस्मिक ह्रास हो तो चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी तुरन्त ई-मेल या कोई अन्य उपाय/पोर्टल पर कम्प्लेन्ट टैब द्वारा सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त/नियंत्रक को उसकी सूचना देगा।

12. नियम 12 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में ,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ-एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
12. सम्भरण तथा वितरण -प्रत्येक चीनी के कारखाने का अध्यासी ,किसी चीनी के कारखाने में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की मात्रा के सम्भावित अनुमान और स्टाक अंतरण के माध्यम से अंतरित या सम्भरित की जाने वाली मात्रा या कैप्टिव उपभोग के अनुमान को विनिर्दिष्ट करते हुए शीरा प्रपत्र 9-में प्रति शीरा वर्ष में 31अगस्त तक नियंत्रक को एक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा ,जिसमें अगले शीरा वर्ष के दौरान ऐसी अन्य सूचना जो उक्त प्रपत्र के अधीन अपेक्षित हो ,सम्मिलित होगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर आपलोड करेगा।	**12.** आपूर्ति तथा वितरण -प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी , किसी चीनी के कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में उत्पादित होने वाले शीरे की मात्रा का अनुमानित प्राक्कलन और विक्रय अथवा आपूर्ति की जाने वाली शीरे की मात्रा का प्राक्कलन विनिर्दिष्ट करते हुए शीरा प्रपत्र-9 में प्रति शीरा वर्ष ,में 31 अगस्त तक नियंत्रक को एक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा ,जिसमें अगले शीरा वर्ष के दौरान ऐसी अन्य सूचना जो उक्त प्रपत्र के अधीन अपेक्षित हो ,सम्मिलित होगा और इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा। (2) अनिश्चितकालीन बन्द शीरा आधारित औद्योगिक इकाईयों में अप्रयुक्त शीरे के निस्तारण के सम्बन्ध में विनिश्चय शीरा नियंत्रक द्वारा किया जायेगा।

13. नियम 15 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-दो में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ-एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
15. शीरे के वहन का त्रैमासिक कार्यक्रम-शक्कर के	**15.** शीरे के संचलन का त्रैमासिक कार्यक्रम- प्रत्येक

प्रत्येक कारखाने की समय–समय पर उत्पादन क्षमता कैप्टिव उपभोग हेतु शीरे की अनुमानित सामयिक आवश्यकता, रेल टंकी वैगनों की उपलब्धता, पथ परिवहन की सुविधा, शक्कर के कारखाने और आसवनी के भू–गृहादि में संग्रहण क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक प्रत्येक कारखाने से कैप्टिव उपभोग के लिये शीरा सहित शीरे के वहन के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी और प्रदेशन ग्रहीता शीरे के वहन के लिये ऐसे कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई की समय–समय पर उत्पादन क्षमता, रेल टंकी वैगनों की उपलब्धता, पथ परिवहन की सुविधा, चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई और आसवनी के भू–गृहादि में संग्रहण क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से शीरे के संचलन के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी और प्रदेशन ग्रहीता शीरे के संचलन के लिये ऐसे कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

14. नियम 16 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ- एक में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ- दो में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
16. (1) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा शीरा ले जाने की व्यवस्था-- प्रदेशन ग्रहीता यथाशक्य शीघ्र प्रदेशन आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् कारखाने के अध्यासी को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि शीरा रेल या सड़क द्वारा, जैसा कार्यक्रम में इंगित है, ले जाया जायेगा।	**16.** (1) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा शीरा ले जाने की व्यवस्था– प्रदेशन ग्रहीता यथाशक्य शीघ्र प्रदेशन आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को लिखित रूप में यह उपदर्शित करेगा कि शीरा रेल या सड़क द्वारा, जैसा कार्यक्रम में उपदर्शित है, ले जाया जायेगा।
(2) जहाँ कार्यक्रम में शीरा का परिवहन सड़क द्वारा, किया जाना संसूचित किया गया हो वहां आवंटिती पैंतालिस दिन के भीतर आवंटित मात्रा में ले जाया जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक सीमा तक कारखाने से शीरे को ले जाने के लिए ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) युक्त टंकी, लारियों या पात्र (कंटेनर्स) उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करेगा। समय अनुसूची से किसी प्रकार के विचलन में प्रतिदिन रु0 5,000/ का जुर्माना निहित होगा, जो रु0 1,00,000/ का अनधिक होगा, जिसकी वसूली, सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त अथवा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रशमन धनराशि की वसूली की जाती है। उक्त प्रकिया से सम्बन्धित प्रपत्र आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(2) जहाँ कार्यक्रम में शीरा का परिवहन सड़क द्वारा किया जाना संसूचित किया गया हो वहां प्रदेश न ग्रहीता तीस दिन के भीतर आवंटित मात्रा में ले जाया जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक सीमा तक चीनीकारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से शीरे को ले जाने के लिए ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) एवं डिजिटल लॉक युक्त टैंक, लारियॉ या पात्र (कंटेनर्स) उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करेगा। समय अनुसूची से किसी प्रकार के विचलन में प्रतिदिन रु0 5,000/ का जुर्माना निहित होगा, जो रु0 1,00,000/ से अनधिक होगा, जिसकी वसूली, सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त अथवा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रशमन धनराशि की वसूली की जाती है। उक्त

	प्रकिया से सम्बन्धित प्रपत्र आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। परन्तु यह कि ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयां जहां पर अर्धठोस शीरा उत्पादित किया जाता हो तथा इनका संचय विहित संचय क्षमता के छोटे–छोटे पात्रों में किया जाता है से शीरे की निकासी जी0पी0एस0 युक्त अन्य उपयुक्त वाहनों द्वारा भी किया जाना अनुमन्य होगा।

15. नियम 17 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17. शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रेलवे वैगनों की मांग–शक्कर के कारखाने का अध्यासी, जब नियम 15 में अभिदिष्ट कार्यक्रम में अपेक्षित हो, शीरे को ऐसी रीति से प्रेषण करने के लिए, जिससे कि प्रदेशन ग्रहीता को शीरे का सम्भरण नियमित और पूर्णरूप से हो सके, रेलवे के प्राधिकारियों से वैगनों के लिये मांग प्रस्तुत करेगा। रेलवे वैगनों के लिये प्रस्तुत की गयी उक्त मांग सम्बन्धी एक पाक्षिक विवरणी शीरा प्रपत्र 3 में नियंत्रक को प्रस्तुत की जायगी, और जहां शक्कर के कारखाने में उप–निरीक्षक आबकारी तैनात हो वहां उसकी एक प्रतिलिपि उप निरीक्षक को दी जायेगी।	17. चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा रेलवे वैगनों की मांग–चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी, जब नियम 15 में निर्दिष्ट कार्यक्रम में अपेक्षित हो, शीरे को ऐसी रीति से प्रेषण करने के लिए, जिससे कि प्रदेशन ग्रहीता को शीरे का आपूर्ति नियमित और पूर्णरूप से हो सके, रेलवे के प्राधिकारियों से वैगनों के लिये मांग प्रस्तुत करेगा। रेलवे वैगनों के लिये प्रस्तुत की गयी उक्त मांग सम्बन्धी एक पाक्षिक विवरणी शीरा प्रपत्र 3 में नियंत्रक को प्रस्तुत की जायगी, और जहां चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में आबकारी का उप–निरीक्षक / निरीक्षक तैनात हो वहां उसकी एक प्रतिलिपि उप निरीक्षक/निरीक्षक को दी जायेगी।

16. नियम 18 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
18. सड़क परिवहन की दशा में भराई का समय-(1)-पथ परिवहन की दशा में भराई का समय 6 बजे पूर्वान्ह से 10 बजे अपरान्ह तक होगा और रेलवे वैगनों की दशा में समय वही होगा जो रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाय। (2) शीरा भरे रेलवे वैगनों का कर्षण तथा भरा जाना–शक्कर के किसी कारखाने का अध्यासी किसी रेलवे वैगनों के कर्षण और ऐसे वैगनों को भरे जाने अथवा टैंक, लारियों या अन्य पात्रों के भरे जाने से न तो इन्कार करेगा और न उसमें विलम्ब करेगा।	18. सड़क परिवहन की दशा में भराई का समय–(1)-पथ परिवहन की दशा में भराई का समय 6 बजे पूर्वान्ह से 10 बजे अपरान्ह तक होगा और रेलवे वैगनों की दशा में समय वही होगा जो रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाय। (2) शीरा भरे रेलवे वैगनों का कर्षण तथा भरा जाना–चीनी के किसी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणइकाई का अध्यासी किसी रेलवे वैगनों के कर्षण और ऐसे वैगनों को भरे जाने अथवा टैंक, लारियों या अन्य पात्रों के भरे जाने से न तो

यदि शक्कर के कारखाने का अध्यासी बिना पर्याप्त कारण के कर्षण तथा भरे जाने की तत्काल व्यवस्था न करे तो उस जिले के जिसमें कारखाना स्थित हो, कलेक्टर को या नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कारखाने के भू–गृहादि में प्रवेश करने, कर्षण और शीरे के भरे जाने की व्यवस्था करने और उसके व्यय को शक्कर के कारखाने के अध्यासी से शक्कर के कारखाने को देय शीरे के मूल्य में से वसूल करने का अधिकार होगा।	इन्कार करेगा और न उसमें विलम्ब करेगा। यदि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी बिना पर्याप्त कारण के कर्षण तथा भरे जाने की तत्काल व्यवस्था न करे तो उस जिले के जिसमें चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई स्थित हो, कलेक्टर को या नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के भू–गृहादि में प्रवेश करने, कर्षण और शीरे के भरे जाने की व्यवस्था करने और उसके व्यय को चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी से चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई को देय शीरे के मूल्य में से वसूल करने का अधिकार होगा।

17. नियम 19 का संशोधन.17 उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ- **एक** में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
19. शीरे के भरे जाने के लिए शक्ति चालित पम्पों उप साधनों तथा सी0सी0टी0वी कैमरे की व्यवस्था- शीरे के भरे जाने के प्रयोजन के लिए चीनी के कारखाने का अध्यासी पर्याप्त क्षमता के शक्ति चालित पम्पों और अन्य उप साधनों तथा आई०पी० एड्रेस सहित सी०सी०टी०वी कैमरा अच्छी चालू दशा में अनुरक्षित रखेगा और चीनी मिल में सी०सी०टी०वी० कैमरे को ऐसे स्थान पर और इस प्रकार स्थापित किया जायेगा जिससे कच्चा माल, शीरा और अन्य उत्पाद ले जाने वाले समस्त यान (टैंकर/लॉरी) उनकी संख्या सहित चीनी मिल में प्रवेश करते समय और उसे छोडते समय कैमरे में अभिलिखित किये जा सकें। डिजिटल रिकॉर्ड भी अनुरक्षित किया जाएगा तथा इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर भी प्रतिदिन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।	**19.** शीरे के भरे जाने के लिए शक्ति चालित पम्पों उप साधनों तथा सी०सी०टी०वी० कैमरे की व्यवस्था– शीरे के भरे जाने के प्रयोजन के लिए चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी पर्याप्त क्षमता के शक्ति चालित पम्पों और अन्य उप साधनों तथा आई०पी० एड्रेस सहित सी०सी०टी०वी कैमरा अच्छी चालू दशा में अनुरक्षित रखेगा और चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में सी०सी०टी०वी० कैमरे एवं ए0एन0पी0आर कैमरे को ऐसे स्थान पर और इस प्रकार स्थापित किया जायेगा जिससे कच्चा माल, शीरा और अन्य उत्पाद ले जाने वाले समस्त यान (टैंकर/लॉरी) उनकी संख्या सहित चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में प्रवेश करते समय और उसे छोड़ते समय कैमरे में अभिलिखित किये जा सकें। डिजिटल अभिलेख भी अनुरक्षित किया जाएगा तथा संचालित कैमरों को आबकारी आयुक्त कार्यालय के इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (आई0सी0सी0सी0) से एकीकृत कराया जायेगा। शीरे की सुरक्षा एवं दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से ए0एन0पी0आर0 कैमरा तथा शीरा नियंत्रक द्वारा

	विनिर्दिष्ट गुणवत्ता व प्रकार के अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं साफ्टवेयर की व्यवस्था चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासियों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

18. नियम 20 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्--

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
20. (1) भेजे गये शीरे का स्वामित्व- किसी आसवनी को रेलवे टैंक ,वैगनों में भेजे गये शीरे का स्वामित्व ,सम्बद्ध चीनी के कारखाने के अध्याशी में तब तक निहित रहेगा जब तक कि वह वास्तव में आसवनी को न मिल जाय और आसवनी की ओर से जानबूझ कर की गयी किसी चूक के अतिरिक्त अन्य कारण से होने वाली समस्त हानि चीनी के कारखाने द्वारा वहन की जायगी। सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले शीरे का स्वामित्व ज्यों ही शीरा प्रपत्र-4 में निष्कासन पत्र के साथ का कारखाने के भू-गृहादि के बाहर ले जाया जाय , प्रदेशन ग्रहीता को प्राप्त हो जायेगा और प्रदेशन ग्रहीता गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये ,यदि कोई हो ,उत्तरदायी होगा। चीनी के कारखाने के अध्यासी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीनी मिल से शीरे का परिवहन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) युक्त टैंकरो से ही हो और प्रदेशन ग्रहीता को तद्नुसार प्रमाणित करना होगा।	20. (1) भेजे गये शीरे का स्वामित्व (1) –किसी आसवनी को रेलवे टैंक, वैगनों में भेजे गये शीरे का स्वामित्व, सम्बद्ध चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी में तब तक निहित रहेगा जब तक कि वह वास्तव में आसवनी को न मिल जाय और आसवनी की ओर से जानबूझ कर की गयी किसी चूक के अतिरिक्त अन्य कारण से होने वाली समस्त हानि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई द्वारा वहन की जायगी। सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले शीरे का स्वामित्व ज्यों ही शीरा प्रपत्र-4 में निष्कासन पत्र के साथ चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के भू–गृहादि के बाहर ले जाया जाय, प्रदेशन ग्रहीता को प्राप्त हो जायेगा और प्रदेश न ग्रहीता गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये, यदि कोई हो, उत्तरदायी होगा। चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से शीरे का परिवहन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) एवं डिजिटल लॉक युक्त टैंकरों अथवा अन्य उपयुक्त वाहनों द्वारा किया जायेगा और प्रदेशन ग्रहीता को तद्नुसार प्रमाणित करना होगा।
(2) प्रदेशन ग्रहीता, जिसे औद्योगिक विकास के लिए शीरे की आवश्यकता हो, शीरे के परिवहन के लिये स्वयं व्यवस्था करेगा और शीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने तथा मार्ग में होने वाली हानि, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी	(2) प्रदेशन ग्रहीता, जिसे औद्योगिक विकास के लिए शीरे की आवश्यकता हो, शीरे के परिवहन के लिये स्वयं व्यवस्था करेगा और शीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने तथा मार्ग में होने वाली हानि, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी

होगा। ऐसे प्रदेशन ग्रहीता से अग्रतर यह भी अपेक्षित होगा कि वह नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से गंतव्य स्थान पर परेषण का सत्यापन कराये।	होगा। ऐसे प्रदेशन ग्रहीता से अग्रतर यह भी अपेक्षित होगा कि वह नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से गंतव्य स्थान पर परेषण का सत्यापन कराये।
(3) सम्पूर्ण शीरे की मात्रा का परिवहन, एक परेषण में किया जायेगा और अभिवहन टुकड़ों में नहीं किया जायेगा तथा ई–ट्रान्जिट परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग से परेषण के संचालन का विचलन नहीं किया जायेगा जिसके उल्लंघन पर आसवनी / यवासवनी के लाइसेंसधारी पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित शारित लगायी जा सकती है यदि कोई चीनी मिल एक विधिमान्य परमिट पर एक बार से अधिक परेषण का अभिवहन करने के लिए ई–ट्रांजिट परमिट का धोखाधड़ी पूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग करने में लिप्त पायी जाती है तो चीनी मिल का प्रभारी अधिकारी अनुशासनिक नियमावली के अधीन दण्ड का भागी होगा एवं ग्रहीता पर रू० 5,00,000/- का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर ग्रहीता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(3) सम्पूर्ण शीरे की मात्रा का परिवहन, एक परेषण में किया जायेगा और अभिवहन टुकड़ों में नहीं किया जायेगा तथा ई–ट्रान्जिट परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग से परेषण के संचालन का विचलन नहीं किया जायेगा जिसके उल्लंघन पर आसवनी/यवासवनी या शीरा आधारित अन्य इकाईयों के लाइसेंसधारी पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित शास्ति लगायी जा सकती है यदि कोई चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई एक विधिमान्य परमिट पर एक बार से अधिक परेषण का अभिवहन करने के लिए ई–ट्रांजिट परमिट का धोखाधड़ी पूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग करने में लिप्त पायी जाती है तो चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई का प्रभारी अधिकारी अनुशासनिक नियमावली के अधीन दण्ड का भागी होगा, साथ ही अध्यासी रू0 दो लाख पचास हजार की शास्ति का उत्तरदायी होगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर अध्यासी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

19. **नियम 21 का संशोधन**--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा विद्यमान नियम**
21. उन प्रयोजनों जिनके लिए शीरा प्रदिष्ट किया गया हो, से भिन्न प्रयोजनों के लिए समस्त शीरे के संक्रमण तथा प्रयोग पर निषेध-(1) नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को सम्भरित कोई शीरा किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं किया जायेगा।	21. उन प्रयोजनों जिनके लिए शीरा प्रदिष्ट किया गया हो, से भिन्न प्रयोजनों के लिए समस्त शीरे की बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिषेध-(1) नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को सम्भरित कोई शीरा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय अथवा परिदान नहीं किया जायेगा।
(2) नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेश न ग्रहीता को प्रदिष्ट शीरा का प्रयोग उस प्रयोजन के, जिसके लिये वह प्रदिष्ट किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	(2) नियन्त्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को प्रदिष्ट शीरा का प्रयोग उस प्रयोजन, जिसके लिये वह प्रदिष्ट किया गया हो, सेभिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

20. **नियम 22 का संशोधन**--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
22. आसवनियों और औद्योगिक विकास के लिये अन्य व्यक्तियों को शीरे की बिक्री या सम्भरण-(1) किसी चीनी के कारखाने में उत्पादित शीरे की बिक्री या सम्भरण आबकारी विभाग के अभिहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल आसवनियों या औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ इसकी वास्तविक रूप से अपेक्षा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को किया जायेगा।	22. आसवनियों और औद्योगिक विकास के लिये अन्य व्यक्तियों को शीरे की बिक्री या आपूर्ति-(1) किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में उत्पादित शीरे की बिक्री या आपूर्ति आबकारी विभाग के अभिहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल आसवनियों या औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ इसकी वास्तविक रूप से अपेक्षा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को किया जायेगा।
(2) किसी औद्योगिक विकास के लिये अपनी आसवनी हेतु शीरे की अपेक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी इकाई की जी०एस०टी० सख्या सहित शीरा हेतु अपेक्षित प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करते हुये आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल के माध्यम से नियंत्रक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।	(2) किसी औद्योगिक विकास के लिये अपनी आसवनी अथवा किसी शीरा आधारित इकाई हेतु शीरे की अपेक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी इकाई की जी०एस०टी० संख्या सहित शीरा हेतु अपेक्षित प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करते हुये आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल के माध्यम से नियंत्रक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

21 **नियम23 का संशोधन**--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
23. प्रशासनिक शुल्क- प्रत्येक चीनी के कारखाने का अध्यासी अपने द्वारा अन्तरित अथवा विकीत या सम्भरित शीरे पर संदेय प्रशासनिक शुल्क की धनराशि, उस जिले, जिसमें चीनी का कारखाना स्थित है .के कोषागार या उप कोषागार में ई-चालान के माध्यम से जमा करेगा और शीरे को वास्तविक रूप में खरीददार या अन्तरिती को देने से पूर्व चीनी के कारखाने के प्रभारी आबकारी अधिकारी को ऐसे संदाय के साक्ष्य के रूप में ई-चालान का प्रिन्ट आउट प्रस्तुत करेगा।	23- विनियामक फीस- राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली दरों पर, चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से संग्रहीत अथवा निर्मुक्त शीरे के परिरक्षण, आपूर्ति अथवा वितरण के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में उपगत लागत व व्यय की पूर्ति हेतु चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी से शीरे के किसी भी बिक्री या आपूर्ति पर विनियामक फीस वसूल कर सकेगी।

स्तम्भ- एक विद्यमान नियम	स्तम्भ- दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	प्रत्येक चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी अपने द्वारा विक्रीत या आपूर्ति किये गये शीरे पर संदेय विनियामक फीस की धनराशि, उस जिले, जिसमें चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई स्थित है, के कोषागार या उप कोषागार में ई-चालान के माध्यम से जमा करेगा और क्रेता या प्रदेशन ग्रहीता को शीरे का वास्तविक परिदान किये जाने से पूर्व चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के प्रभारी आबकारी अधिकारी को ऐसे संदाय के साक्ष्य के रूप में ई-चालान का प्रिन्ट आउट प्रस्तुत करेगा।

22. नियम 24 का संशोधन-- उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** मे दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक विद्यमान नियम	स्तम्भ- दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. शीरे के परिवहन पर प्रतिबन्ध (1)-कोई भी व्यक्ति जब तक कि नियंत्रक से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उत्तर प्रदेश के बाहर किसी शीरे का न तो परिवहन करेगा और न करायेगा।	24. शीरे के परिवहन पर निर्बंधंन (1)-कोई भी व्यक्ति जब तक नियंत्रक से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उत्तर प्रदेश के बाहर किसी शीरे का न तो परिवहन करेगा और न करायेगा।
(2) उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों के लिये शीरा परिवहन करने की अनुज्ञा हेतु नियंत्रक कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विनिश्चय ऐसी समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे- :	(2) उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को शीरा परिवहन करने की अनुज्ञा हेतु नियंत्रक कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विनिश्चिय गठित समिति करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः-
1. शीरा नियंत्रक सह आबकारी आयुक्त- अध्यक्ष	1. शीरा नियंत्रक सह आबकारी आयुक्त- अध्यक्ष
2. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)- सदस्य	2. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)- सदस्य
3. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सदस्य	3. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सदस्य
4. गन्ना विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सदस्य	4. गन्ना विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सदस्य
5. उप आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)- सदस्य	5. उप आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)- सदस्य
6. उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)-(सचिव सह संयोजक समिति राज्य में शीरे की आबद्ध अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् राज्य में शीरे की सामान्य उपलब्धता के आधार पर विनिश्चय करेगी। उपरोक्त	6. उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)-(सचिव सह संयोजक समिति राज्य में शीरे की आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात राज्य में शीरे की सामान्य उपलब्धता के आधार पर विनिश्चय करेगी। उपरोक्त निर्धारित

निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् शीरा उत्पादन करने वाली इकाईयों को ही निर्यात की अनुमति प्रदान की जायेगी। आवंटीगण को व्यापार/निर्यात अनुमन्य नहीं होगा। आवंटी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्तों को पूरा करने के पश्चात शीरा उत्पादन करने वाली इकाईयों को ही निर्यात की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रदेशन ग्रहीता द्वारा व्यापार/निर्यात अनुमन्य नहीं होगा। प्रदेशन ग्रहीता को उपर्युक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23. नियम 25 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
25. शीरे को शक्कर के कारखाने से हटाना–	25. शीरे को चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से हटाना–
(1) कोई भी शीरा, कैप्टिव उपभोग के लिये शीरे को सम्मिलित करते हुए शक्कर के किसी कारखाने के भू–गृहादि से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो और शीरा प्रपत्र-4 में निष्कासन–पत्र जारी न किया गया हो। यह निष्कासन–पत्र कारखाने के अध्यासी या नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पाँच प्रतियों में जारी किया जायेगा। निष्कासन–पत्र की एक प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी के पास रहेगी, एक प्रति शक्कर के कारखाने के भू–गृहादि से शीरा हटाये जाने के पूर्व शक्कर कारखाने में तैनात आबकारी उपनिरीक्षक को दी जायेगी, एक प्रति नियंत्रक को भेजी जायेगी और एक प्रति उस सर्किल के जिसमें शक्कर का कारखाना स्थित हो, आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी।	(1) कोई भी शीरा किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के भू–गृहादि से तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो, और शीरा प्रपत्र 4 में निष्कासन–पत्र जारी न किया गया हो। यह निष्कासन–पत्र चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी या नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पाँच प्रतियों में जारी किया जायेगा। निष्कासन–पत्र की एक प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी के पास रहेगी एक प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के भू–गृहादि से शीरा हटाये जाने के पूर्व चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में तैनात आबकारी उप निरीक्षक/निरीक्षक को दी जायेगी, एक प्रति नियंत्रक को भेजी जायेगी और एक प्रति उस सर्किल के, जिसमें चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई स्थित हो, आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी।
(2) परेषण की रसीद का सत्यापन– परेषण की प्राप्ति पर परेषिती प्राप्त मात्रा का सत्यापन करेगा और निष्कासन पत्र की दूसरी ओर उन्हें लिखेगा और उसे सम्बन्धित शक्कर के कारखाने के अध्यासी को वापस कर देगा। परेषिती इस बात की पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि अभिवहन में छीजन या	(2) परेषण की रसीद का सत्यापन–परेषण की प्राप्ति पर परेषिती प्राप्त मात्रा का सत्यापन करेगा और निष्कासन पत्र की दूसरी ओर उन्हें लिखेगा और उसे सम्बद्ध चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को वापस कर देगा। परेषिती इस बात की पर्याप्त सावधानी बरतेगा

कमी एक प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन या कमी एक प्रतिशत से अधिक हो तो परेषिती नियम के उल्लंघन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति का भागी होगा।	कि अभिवहन में छीजन या कमी की प्रमात्रा 0.5 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन या कमी 0.5 प्रतिशत से अधिक हो तो परेषिती नियम के उल्लंघन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति का भागी होगाः
प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के सन्तोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो परेषिती शास्ति का भागी न होगा।	परन्तु यह कि यदि नियंत्रक के सन्तोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी की प्रमात्रा दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो परेषिती शास्ति का भागी न होगा।
(3) सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश में आसवनियों में प्रयोग के लिये भेजे जाने वाले परेषण को सम्बद्ध आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक या नियंत्रक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसवनी या उनके प्रतिनिधियों के सामने सत्यापित किया जायेगा और परिणाम निष्कासन पत्र की दूसरी ओर लिखा जायेगा।	(3) सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी–उत्तर प्रदेश में आसवनियों में प्रयोग के लिये भेजे जाने वाले परेषण को सम्बद्ध आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक या नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसवक या उनके प्रतिनिधियों के सामने सत्यापित किया जायेगा और परिणाम निष्कासन पत्र के दूसरी ओर लिखा जायेगा।

24. नियम 26 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 26 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
26. आसवनी में शीरे की प्राप्ति– कोई आसवनी, जिसके पक्ष में धारा-8 के अधीन शीरा प्रविष्ट किया गया हो, ऐसे किसी आदेश के अनुसरण में आसवनी में प्राप्त शीरे के किसी परेषण के किसी भाग को, आसवनी के प्रभारी अधिकारी अथवा नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना न उतारेगी या न उसका उपयोग करेगी। आसवनी भी चीनी के कारखाना से प्राप्त शीरा रसीद का एक लेखा शीरा प्रपत्र-11 में अनुरक्षित करेगी और उसकी एक सत्य प्रतिलिपि नियंत्रक को प्रत्येक आगामी मास के5 वें दिनांक तक प्रस्तुत करेगी तथा इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।	26. आसवनी में शीरे की प्राप्ति –कोई आसवनी, जिसके पक्ष में धारा-8 के अधीन शीरा प्रविष्ट किया गया हो .ऐसे किसी आदेश के अनुसरण में आसवनी में प्राप्त शीरे के किसी परेषण के किसी भाग को, आसवनी के प्रभारी अधिकारी अथवा नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना न उतारेगी या न उपयोग करेगी। आसवनी भी चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से प्राप्त शीरा रसीद का एक लेखा शीरा प्रपत्र-11 में अनुरक्षित करेगी और उसकी एक सत्य प्रतिलिपि नियंत्रक को प्रत्येक आगामी मास के 5वें दिनांक तक प्रस्तुत करेगी तथा इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।

25. नियम 27 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
27. आसवनी में प्राप्त शीरे का सत्यापन तथा परीक्षण– प्रभारी अधिकारी या नियम-26 के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक परेषण की प्राप्ति पर तुरन्त आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से शीरे की मात्रा और गुण को अवधारित करेगा और अपने द्वारा किये गये सत्यापन और परीक्षण के परिणाम को प्रपत्र संख्या-4 में उस निष्कासन पत्र की दूसरी ओर, जो उसे परेषण के साथ शक्कर के कारखाने के अध्यासी से दो प्रतियों में प्राप्त हो, लिखेगा। निष्कासन पत्र की एक प्रतिलिपि आसवनी में रख ली जायगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी द्वारा शक्कर के कारखाने के अध्यासी को भेज दी जायेगी जिससे कि वह पश्चातवर्ती को परेषण के आसवनी के फाटक पर पहुँचने के एक सप्ताह के भीतर मिल जाय।	27. आसवनी में प्राप्त शीरे का सत्यापन तथा परीक्षण –प्रभारी अधिकारी या नियम-26 के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक परेषण की प्राप्ति पर तुरन्त आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से शीरे की मात्रा और गुण को अवधारित करेगा और अपने द्वारा किये गये सत्यापन और परीक्षण के परिणाम को प्रपत्र संख्या-4 में उस निष्कासन पत्र की दूसरी ओर, जो उसे परेषण के साथ चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी से दो प्रतियों में प्राप्त हो, लिखेगा। निष्कासन पत्र की एक प्रतिलिपि आसवनी में रख ली जायगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी द्वारा चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को भेज दी जायेगी जिससे कि वह पश्चातवर्ती को परेषण के आसवनी अथवा अन्य इकाईयों के फाटक पर पहुँचने के एक सप्ताह के भीतर मिल जाय।

26. नियम 29 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
29. शीरे का नमूना लेने की रीति तथा शीरे की श्रेणी के सम्बन्ध में विवाद तय करने की प्रक्रिया–– (1) जब कभी इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नमूने लिये जायं तो, वह नमूने को दो प्रतियों में, जिसे वह अपनी मुहर से मुहरबन्द करेगा, शक्कर के कारखाने के अध्यासी के पास या सम्बन्धित आसवनी के लाइसेन्सधारी के पास छोड़ देगा और वह तब तक उसकी निरापद अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे जब तक कि उक्त अधिकारी द्वारा उसे नष्ट करने की आज्ञा न दे दी जाय।	29. शीरे का नमूना लेने की रीति तथा शीरे की श्रेणी के सम्बन्ध में विवाद तय करने की प्रक्रिया–– (1) जब कभी इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नमूने लिये जाय तो वह नमूने को दो प्रतियों में जिसे वह अपनी मुहर से मुहरबन्द करेगा, चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी के पास या सम्बन्धित आसवनी के लाइसेन्सधारी के पास छोड़ देगा और वह तब तक उसकी निरापद अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे जब तक कि उक्त अधिकारी द्वारा उसे नष्ट करने की आज्ञा न दे दी जाय।

(2) शीरे की श्रेणी के सम्बन्ध में किसी विवाद के होने की दशा में मामले को नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उपनियम (3) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट किया जायेगा और मूल्य का भुगतान उक्त प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर नियंत्रक द्वारा घोषित श्रेणी के अनुसार किया जायेगा।

(3) यदि सम्बन्धित शक्कर के कारखाने के अध्यासी या आसवनी के लाइसेन्सधारी को, आबकारी निरीक्षक के निष्कर्ष पर आपत्ति हो तो वह ऐसे परीक्षण के दिनांक से चौदह दिन के भीतर, लिखित रूप में, आबकारी निरीक्षक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह शीरे का एक नमूना नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेज दें। प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, शक्कर के कारखाने का अध्यासी या आसवनी का लाइसेन्सधारी उस व्यय को, जो नमूने के भेजने और उसके परीक्षण पर व्यय करना पड़ेगा वहन करेगा।

(4) सड़क द्वारा परिवहन किये जाने की दशा में यदि शक्कर के कारखाने से शीरा प्राप्त करने वाले प्रदेशन ग्रहीता का शक्कर के कारखाने द्वारा घोषित श्रेणी के सम्बन्ध में समाधान न हो तो वह उस क्षेत्र के, जहा पर शक्कर का कारखाना स्थित हो, उप निरीक्षक, आबकारी या आबकारी निरीक्षक, शीरा को परीक्षण शुल्क के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकता है कि उस संग्रहण टंकी के शीरे को जिससे शक्कर के कारखाने द्वारा शीरा सम्भरित किया गया था लारी या ठेला में लदे शीरे का शक्कर की ठीक-ठीक अन्तर्वस्तु की घोषणा करने के लिये उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परीक्षण करायें। मूल्य ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोषित श्रेणी के अनुसार होगा। यदि निम्न श्रेणी की घोषणा की जाय तो शक्कर का कारखाना प्रदेशन ग्रहीता को वसूल की गई अतिरिक्त धनराशि ऐसे प्राधिकृतअधिकारी के परीक्षण शुल्क के साथ वापस करने के लिए बाध्य होगा। उपनियम (1) से (3) के उपबन्ध , यथास्थिति , निवासी उप निरीक्षक द्वारा नमूने लेने के सम्बन्ध में भी लागू होगें।

(2) शीरे की श्रेणी के सम्बन्ध में किसी विवाद के होने की दशा में मामले को नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उपनियम (3) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट किया जायेगा और मूल्य का भुगतान उक्त प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर नियंत्रक द्वारा घोषित श्रेणी के अनुसार किया जायेगा।

(3) यदि सम्बन्धित चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी या आसवनी के लाइसेन्सधारी को आबकारी निरीक्षक के निष्कर्ष पर आपत्ति हो तो वह ऐसे परीक्षण के दिनांक से चौदह दिन के भीतर, लिखित रूप में, आबकारी निरीक्षक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह शीरे का एक नमूना नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेज दे। प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, चीनी कारखाने याखाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी या आसवनी का लाइसेन्सधारी नमूने के भेजने और उसके परीक्षण में उपगत व्यय का वहन करेगा।

(4) सड़क द्वारा परिवहन किये जाने की दशा में यदि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से शीरा प्राप्त करने वाले प्रदेशन ग्रहीता का चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई द्वारा घोषित श्रेणी के सम्बन्ध में समाधान न हो तो वह उस क्षेत्र के, जहां पर चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई स्थित हो उप निरीक्षक आबकारी या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, को परीक्षण शुल्क के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकता है कि उस संग्रहण टंकी के शीरे को जिससे चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई द्वारा शीरा सम्भरित किया गया था लारी में लदे शीरे का शक्कर की ठीक-ठीक अन्तर्वस्तु की घोषणा करने के लिये उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परीक्षण करायें। मूल्य ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोषित श्रेणी के अनुसार होगा। यदि निम्न श्रेणी की घोषणा की जाय तो चीनी कारखाना या खाडंसारी चीनी विनिर्माण इकाई प्रदेशन ग्रहीता को वसूल की गई अतिरिक्त

	धनराशि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के परीक्षण शुल्क के साथ वापस करने के लिए बाध्य होगा। उपनियम (1) से (3) के उपबन्ध, यथास्थिति, निवासी उप निरीक्षक द्वारा नमूने लेने के सम्बन्ध में भी लागू होगें।
(5) नियंत्रक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नियंत्रक की आज्ञाओं के अन्तर्गत शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा सम्भरित शीरा उतारने से कोई भी आसवनी इन्कार नहीं करेगी।	(5) नियंत्रक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नियंत्रक की आज्ञाओं के अन्तर्गत चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा सम्भरित शीरा उतारने से कोई भी आसवनी इन्कार नहीं करेगी।
प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी निरीक्षक आसवकों द्वारा परीक्षण करने पर उनसे सहमत हो कि शक्कर के किसी कारखाने द्वारा सम्भरित शीरा ऐसी श्रेणी का है, जो आसवनी के प्रयोग के लिये इस कारण अनुपयुक्त है कि उसमें कुल शक्कर के 40 प्रतिशत के रिड्यूसिंग शक्कर है (जिसे कम शक्कर अभिव्यक्त किया गया है) तो आसवनी ऐसे शीरे को उतारने से इन्कार कर सकती है और उस शीरे को शक्कर के कारखाने के व्यय पर लौटा देगा। यदि उप नियम (3) के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे शीरे के पश्चातवर्ती विश्लेषण पर शीरे की आसवनी के प्रयोजनों के लिये उपयुक्त घोषित किया जाता है तो आसवनी ऐसे व्ययों और प्रतिकर कर, यदि कोई हो, जो नियंत्रक द्वारा या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो भुगतान करने के लिये दायी होगा।	परन्तु यह कि यदि आबकारी निरीक्षक आसवकों द्वारा परीक्षण करने पर उनसे सहमत हो कि किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई द्वारा सम्भरित शीरा ऐसी श्रेणी का है, जो आसवनी के प्रयोग के लिये इस कारण अनुपयुक्त है कि उसमें कुल शक्कर के 40 प्रतिशत के रिड्यूसिंग शक्कर है (जिसे कम शक्कर अभिव्यक्त किया गया है) तो आसवनी ऐसे शीरे को उतारने से इन्कार कर सकती है और उस शीरे को चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के व्यय पर लौटा देगा। यदि उप नियम (3) के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे शीरे के पश्चातवर्ती विश्लेषण पर शीरे को आसवनी के प्रयोजनों के लिये उपयुक्त घोषित किया जाता है तो आसवनी ऐसे व्ययों और प्रतिकर कर यदि कोई हो .जो नियंत्रक द्वारा या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, भुगतान करने के लिये दायी होगा। "

27. नियम 31 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 31के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में,दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
31. आसवनियों द्वारा शीरे के मूल्य का भुगतान (1) चीनी के कारखाने के अध्यासी को आसवनी द्वारा शीरे के मूल्य के भुगतान की दर, शीरे की निम्नलिखित श्रेणी पर आधारित होगी–	31. आसवनियों द्वारा शीरे के मूल्य का भुगतान (1) चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को आसवनी द्वारा शीरे के मूल्य के भुगतान की दर, शीरे की निम्नलिखित श्रेणी पर आधारित होगी–
(क) जब शीरे का परिवहन रेल द्वारा किया जाय तब	(क) जब शीरे का परिवहन रेल द्वारा किया जाय तब

श्रेणी वही होगी जैसा कि नियम 29(3) के अधीन आसवनी पर अवधारित की जाय।	श्रेणी वही होगी जैसा कि नियम 29(3) के अधीन आसवनी पर अवधारित की जाय।
(ख) जब शीरे का परिवहन सड़क द्वारा किया जाय तब श्रेणी वही होगी जैसा कि चीनी के कारखाने के अध्यासी द्वारा अवधारित किया जाय और शीरा प्रपत्र 4 में निष्कासन पत्र में अभिलिखित किया जाय।	(ख) जब शीरे का परिवहन सड़क द्वारा किया जाय तब श्रेणी वही होगी जैसा कि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा अवधारित किया जाय और शीरा प्रपत्र–4 में निष्कासन पत्र में अभिलिखित किया जाय।
(2) आसवनी, शीरे का परिदान लेने पर तुरन्त चीनी के कारखाने के अध्यासी को मूल्य और शीरे पर अन्य उद्ग्रहणों का भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से करेगा। यदि चीनी मिल आसवनी द्वारा शीरे के मूल्य का भुगतान के पश्चात् उसके परिदान में विलम्ब करता है या अन्य बाधायें उत्पन्न करता है, तो चीनी के कारखाने का अध्यासी नियमों के उल्लघंन के लिए दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।	(2) आसवनी, शीरे का परिदान लेने पर तुरन्त चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी को मूल्य और शीरे पर अन्य उदग्रहणों का भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से करेगा। यदि चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई आसवनी द्वारा शीरे के मूल्य का भुगतान के पश्चात् उसके परिदान में विलम्ब करता है या अन्य बाधायें उत्पन्न करता है, तो चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी नियमों के उल्लंघन के लिए दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।

28. नियम 32 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
32. चीनी के कारखाने के अध्यासी द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र– प्रत्येक चीनी के कारखाने का अध्यासी उत्पादित, संग्रहीत और निर्गत किये गये, बेचे गये, या क्षेप्य कैप्टिव उपभोग के शीरे सहित शीरे का ठीक–ठीक दैनिक लेखा शीरा प्रपत्र–5 के रजिस्टर में अनुरक्षित रखेगा और चालू मौसम के शीरे तथा पिछले मौसम के शीरे के सम्बन्ध में क्रमशः शीरा प्रपत्र–१ तथा शीरा प्रपत्र 2 में पाक्षिक तथा मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। चीनी के कारखाने का अध्यासी प्रत्येक मास के 15वें तथा अन्तिम कार्य दिवस को शीरा प्रपत्र–5 के सभी स्तम्भों का पाक्षिक योग निकालेगा और उनका उद्धरण नियंत्रक को विहित प्रपत्र शीरा	32. चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र– प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी उत्पादित, संग्रहीत, निर्गत, विक्रीत या अपशिष्ट शीरे का ठीक–ठीक दैनिक लेखा शीरा प्रपत्र–5 के रजिस्टर में अनुरक्षित रखेगा और चालू मौसम के शीरे तथा पिछले मौसम के शीरे के सम्बन्ध में क्रमश शीरा प्रपत्र-1 तथा शीरा प्रपत्र–2 में पाक्षिक तथा मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी प्रत्येक मास के 15वें तथा अन्तिम कार्य दिवस को शीरा प्रपत्र 5 के सभी

प्रपत्र–1 और प्रपत्र 2 में प्रत्येक मास के प्रथम और सोलहवें दिनांक को प्रस्तुत किया जायेगा। इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।	स्तम्भों का पाक्षिक योग निकालेगा और उनका उद्धरण नियंत्रक को विहित प्रपत्र शीरा प्रपत्र-1 और प्रपत्र–2 में प्रत्येक मास के प्रथम और सोलहवें दिनांक को प्रस्तुत किया जायेगा। इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

29. नियम 33 का संशोधन--उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 33 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
33. असोत्रावाह्य लाइसेन्सधारियों तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं के लिए आसवनियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र–	33. असोत्रावाह्य लाइसेन्सधारियों तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं के लिए आसवनियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र–
(1) आसवनियों के स्वामी, आसवन के लिये प्राप्त एवं प्रयोज्य कैप्टिव उपभोग तथा शेष बचे शीरे सहित समस्त शीरे का अभिलेख इस नियमावली से यथा संलग्न शीरा प्रपत्र–6 के भाग–1 और 2 में अनुरक्षित रखेंगे तथा प्रत्येक मास में आसवनी में प्राप्ति, उपभोग और शेष शीरे की एक शुद्ध मासिक सारांश प्रत्येक आगामी मास के पांचवे दिनांक को शीरा प्रपत्र 10 में नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे। उसे भी आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(1) शीरा प्राप्तकर्ता प्राप्त, आसवन के लिये उपयोजित तथा अतिशेष शीरे का अभिलेख इस नियमावली से यथा संलग्न शीरा प्रपत्र–6 के भाग–1 और 2 में अनुरक्षित रखेंगे तथा प्रत्येक मास में आसवनी में प्राप्ति उपभोग और शेष शीरे की एक शुद्ध मासिक सारांश प्रत्येक आगामी मास के पांचवें दिनांक को शीरा प्रपत्र 10 में नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे। उसे भी आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
(2) आसवनियों (असोत्रावाह्य के अतिरिक्त) से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओं की दशा में शीरे का लेखा, शीरा प्रपत्र–6 के भाग 3 के रजिस्टर में, जैसा कि संलग्न पत्र में दिया गया है, रखा जायेगा और प्रदेशन ग्रहीता एक शुद्ध मासिक सारांश उस आबकारी निरीक्षक को, जिसकी सर्किल में औद्योगिक इकाई हो प्रस्तुत करेगा।	(2) आसवनियों (असोत्रावाह्य के अतिरिक्त) से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओं की दशा में शीरे का लेखा, शीरा प्रपत्र–6 के भाग 3 के रजिस्टर में जैसा कि संलग्न पत्र में दिया गया है, रखा आयेगा और प्रदेशन ग्रहीता एक शुद्ध मासिक सारांश उस आबकारी निरीक्षक को, जिसकी सर्किल में औद्योगिक इकाई हो, प्रस्तुत करेगा।
(3) असोत्रावाह्य लाइसेन्सधारी शीरे का लेखा शीरा प्रपत्र–6 के भाग 3 में, जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है अनुरक्षित करेंगे और उसका एक मासिक सारांश उस आबकारी निरीक्षक को जिसकी सर्किल में दुकान हो, प्रस्तुत करेंगे।	(3) असोत्रावाह्य लाइसेन्सधारी शीरे का लेखा शीरा प्रपत्र–6 के भाग 3 में, जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है, अनुरक्षित करेंगे और उसका एक मासिक सारांश उस आबकारी निरीक्षक को, जिसकी सर्किल में दुकान हो प्रस्तुत करेंगे।

30. नियम 34 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 34 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
34. रजिस्टर तथा अभिलेखों के रखने की रीति एवं उनके निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी–	34. रजिस्टर तथा अभिलेखों के रखने की रीति एवं उनके निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी-
प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों तथा लेखा को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए रखेगा जैसा कि इस नियमावली के परिशिष्ट-2 में दिया गया है।	प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई का अध्यासी ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों तथा लेखा को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए रखेगा जैसा कि इस नियमावली के परिशिष्ट-2 में दिया गया है।
तहसीलदार के पद के और उससे उच्च श्रेणी के सभी राजस्व अधिकारियों और उप निरीक्षक, आबकारी के पद के और उससे उच्च श्रेणी के आबकारी विभाग के सभी अधिकारियों को शक्कर के कारखानों की और शीरे के सभी अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं की जो उनके क्षेत्राधिकार के भीतर हों, शीरा सग्रहण टंकियां और उनकेलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	तहसीलदार के पद के और उससे उच्च श्रेणी के सभी राजस्व अधिकारियों और उप निरीक्षक, आबकारी के पद के और उससे उच्च श्रेणी के आबकारी विभाग के सभी अधिकारियों को चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों की और शीरे के सभी अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं की, जो उनके क्षेत्राधिकार के भीतर हों, शीरा सग्रहण टंकिया और उनके लेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

32. नियम 35 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 35 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
35. निरीक्षण अधिकारियों के लिये निरीक्षण पुस्तिका शक्कर के कारखाने के सभी अध्यासी और अन्य सभी प्रदेशन ग्रहीता निरीक्षण अधिकारियों के लिए शीरा प्रपत्र-12 में एक निरीक्षण पुस्तिका रखने के लिए बाध्य होंगे जिससे कि वे उसमें अपनी निरीक्षण टिप्पणी लिख सके। शक्कर के कारखानों के अध्यासी पूर्ववर्ती नियम के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रतिलिपि सीधे नियंत्रक को और एक प्रतिलिपि उस प्रभाग के, जिसमें कारखाना स्थिति हो, उप आबकारी आयुक्त या सहायक आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य	**35.** निरीक्षण अधिकारियों के लिये निरीक्षण पुस्तिका चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के सभी अध्यासी और अन्य सभी प्रदेशन ग्रहीता निरीक्षण अधिकारियों के लिए शीरा प्रपत्र-12 में एक निरीक्षण पुस्तिका रखने के लिए बाध्य होंगे जिससे कि वे उसमें अपनी निरीक्षण टिप्पणी लिख सकें। चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासी पूर्ववर्ती नियम के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रतिलिपि सीधे नियंत्रक को और एक प्रतिलिपि उस प्रभाग के,

होगा।	जिसमे चीनी कारखाना या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई स्थित हो, उप आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

32. नियम 39 का संशोधन --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 39 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ– एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ– दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
39. नियंत्रक, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि जमा करने का लेखा शीर्षक-	**39.** नियंत्रक, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि जमा करने का लेखा शीर्षक–
(1) धारा-16 के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राप्त कोई धनराशि सरकार के शीर्षक-46 विविध-शीरा अर्थदण्ड के अधीन जमा की जायेगी।	(1) धारा-16 के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राप्त कोई धनराशि सरकार के शीर्षक-46 विविध-शीरा अर्थदण्ड के अधीन जमा की जायेगी।
(2) शीरे से सम्बन्धित मामलों का त्वरित निस्तारण और न्यायालयीय मामलों की संख्या कम किये जाने के लिए- समान मामलों में शास्ति को अधिरोपित करने में एक रूपता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम प्रशमन शुल्क या प्रशमन योग्य अनियमितता शुल्क में निम्नानुसार अधिरोपित किये जायेंगे:-	(2)शीरे से सम्बन्धित मामलों का त्वरित निस्तारण और न्यायालयीय मामलों की संख्या कम किये जाने के लिए- समान मामलों में शास्ति को अधिरोपित करने में एक रूपता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम प्रशमन शुल्क या प्रशमन योग्य अनियमितता शुल्क में निम्नानुसार अधिरोपित किये जायेंगे:-

क्र.सं.	अनियमितता का प्रकार	प्रथम बार के लिए (रु0 में)	द्वितीय बार के लिए (रु0 में)	तृतीय बार के लिए (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	शीरा का अभिवहन सम्बन्धी छीजन 1प्रतिशत से अधिक होने पर)जहाँ दुर्घटना प्रमाणित हो()	25,000/-		
2	किसी चीनी मिल में किसी वर्ष भण्डारित शीरे की कुल मात्रा के 2प्रतिशत से अधिक होने पर	--		
	(क) वार्षिक शीरा उत्पादन 2लाख कुं .तक	1,00,000/-		
	(ख) वार्षिक शीरा उत्पादन 2लाख कुं से अधिक 4 लाख कुं .तक	1,50,000/-		
	(ग) वार्षिक शीरा उत्पादन 4लाख कुं से अधिक और 5 लाख कुं .तक	2,00,000/-		
	(घ) वार्षिक शीरा उत्पादन 5लाख कुं .से अधिक।	2,50,000/-		
3	चीनी मिल की भण्डारण क्षमता में कमी होने पर	2,50,000/-		
4	कच्चा/पक्का पिट आच्छादित किये बिना शीरे का भण्डारण किये जाने पर	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-

क्र. सं.	अनियमितता का प्रकार	प्रथम बार के लिए (रु0 में)	द्वितीय बार के लिए (रु0 में)	तृतीय बार के लिए (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	शीरा का अभिवहन सम्बन्धी छीजन 0.5प्रतिशत से अधिक होने पर)जहाँ दुर्घटना प्रमाणित हो)	25,000/-		
2	किसी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में किसी वर्ष भण्डारित शीरे की कुल मात्रा के 1.5 प्रतिशत से अधिक छीजन होने पर	--		
	(क) वार्षिक शीरा उत्पादन 2 लाख कुं .तक	1,00,000/-		
	(ख) वार्षिक शीरा उत्पादन 2 लाख कुं से अधिक 4लाख कुं . तक	1,50,000/		
	(ग) वार्षिक शीरा उत्पादन 4 लाख कुं से अधिक और 5 लाख कुं .तक	2,00,000/-		
	(घ) वार्षिक शीरा उत्पादन 5 लाख कुं .से अधिक।	2,50,000/-		
3	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई की भण्डारण क्षमता में कमी होने पर	2,50,000/-		
4	कच्चा/पक्का पिट आच्छादित किये बिना शीरे का भण्डारण किये जाने पर	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-

5	यदि चीनी मिल के तौल कांटे /वेब्रिज का प्रमाणित न हो	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-
6	चीनी मिल में भण्डारित शीरे की गुणवत्ता में हास/कमी होना रिसाव (Leakage), स्वदहन (Auto combustion)	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-
7	अभिलेख में भण्डारित दर्शायी गयी शीरा की मात्रा से अधिक पाये जाने पर	1,00,000/-	2,00,000/	2,50,000/-
8	शीरे से सम्बन्धित विहित अभिलेखों /लेखाओं का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/-	1,50,000/	2,50,000/-
9	चीनी मिल में गेजचार्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन न कराया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
10	चीनी मिल के पाक्षिक तथा मासिक विवरण पत्रों का विलम्बित/त्रुटि पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
11	शीरे से सम्बन्धित अभिलेखों का अपूर्ण पाया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
12	चीनी मिल में डिपराइस का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
13	चीनी मिल में सैम्पलर का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
14	टैंको में भण्डारित शीरे की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए पुनः परिसंचरण पम्प एवं टैंकों के चारो ओर पानी छिड़कने के लिए स्प्रेकोआइल का न लगाया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
15	शीरा भण्डारित टैंकों में फ्लोट प्रणाली का न होना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
16	शीरा परेषण हेतु प्रयुक्त वाहनों में जी0पी0एस 0का न लगा होना अथवा जी0पी0एस 0प्रणाली का कार्य न करना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
17	क्रमांक 1-से 16तक कोई अन्य अनियमितता जो उल्लिखत न हो।	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-

1. **उपरोक्त** समस्त मामलों में अधिरोपित प्रशमन शुल्क को सम्बन्धित अनियमितताओं हेतु न्यूनतम् धनराशि माना जायेगा।
2. **उपरोक्त** उपरोक्त सारणी में कम संख्या 8 से 16 तक में उल्लिखित प्रशमन योग्य अनियमितताओं हेतु, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकारी प्रशमित किये जाने तथा प्रशमन शुल्क को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया जायेगा।

5	यदि चीनी कारखानेया खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के तौल कांटे /वेब्रिज का प्रमाणित न हो	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-
6	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में भण्डारित शीरे की गुणवत्ता में हास/कमी होना रिसाव (Leakage), स्वदहन (Auto combustion)	1,50,000/	2,00,000/	2,50,000/-
7	अभिलेख में भण्डारित दर्शायी गयी शीरा की मात्रा से अधिक पाये जाने पर	1,00,000/ -	2,00,000/	2,50,000/-
8	शीरे से सम्बन्धित विहित अभिलेखों /लेखाओं का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
9	चीनी कारखानेया खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में गेजचार्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन न कराया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
10	चीनी कारखानेया खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई के पाक्षिक तथा मासिक विवरण पत्रों का विलम्बित/त्रुटि पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
11	शीरे से सम्बन्धित अभिलेखों का अपूर्ण पाया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
12	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में डिपराइस का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
13	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में सैम्पलर का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
14	टैंको में भण्डारित शीरे की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए पुनः परिसंचरण पम्प एवं टैंकों के चारो ओर पानी छिड़कने के लिए स्प्रेकोआइल का न लगाया जाना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
15	शीरा भण्डारित टैंकों में फ्लोट प्रणाली का न होना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
16	शीरा परेषण हेतु प्रयुक्त वाहनों डिजिटल लॉक सज्जित न होना अथवा जी0पी0एस 0 का न लगा होना अथवा जी0पी0एस 0प्रणाली का कार्य न करना	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-
17	क्रमांक 1-से 16तक कोई अन्य अनियमितता जो उल्लिखत न हो।	50,000/	1,50,000/	2,50,000/-

1. **उपरोक्त** समस्त मामलों में अधिरोपित प्रशमन शुल्क को सम्बन्धित अनियमितताओं हेतु न्यूनतम् धनराशि माना जायेगा।
2. उपरोक्त सारणी में कम संख्या 8 से 16 तक में उल्लिखित प्रशमन योग्य अनियमितताओं हेतु, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकारी प्रशमित किये जाने तथा प्रशमन शुल्क को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया जायेगा।

33. **नियम 41 का संशोधन** --उक्त नियमावली में ,नीचे स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम 41के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में, दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्-

स्तम्भ- एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ- दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
41. आबकारी निरीक्षक के लिए कार्यालय और आवास गृह की व्यवस्था-	41. उप आबकारी निरीक्षक /निरीक्षकआबकारी के लिए कार्यालय और आवास गृह की व्यवस्था-
(1) उप निरीक्षक के लिये कार्यालय और आवास गृह- शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी कारखाने की सीमाओं के भीतर आबकारी के उप निरीक्षकों के लिये उचित किराये पर, किन्तु जो आबकारी के उप निरीक्षक कुल मासिक आधारभूत वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, उपयुक्त आवास गृह की व्यवस्था करने के लिये बाध्य होगा।	(1) प्रत्येक चीनी कारखाने का अध्यासी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई की सीमाओं के भीतर उप निरीक्षक निरीक्षक आबकारी के लिये युक्तियुक्त किराये पर, किन्तु जो उप निरीक्षक / निरीक्षक आबकारी के कुल मासिक आधारभूत वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, उपयुक्त आवास गृह की व्यवस्था करने के लिये बाध्य होगा।
(2) जहाँ कारखाने द्वारा उप निरीक्षक का व्यवस्थित आवास स्थान ऐसे स्थान पर स्थित हो, जिससे कि उप निरीक्षक अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अध्यासी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह उक्त प्रयोजन के निमित्त उप निरीक्षक के लिये निःशुल्क कार्यालय स्थान की व्यवस्था करे।	(2) जहाँ चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई द्वारा उप निरीक्षक /निरीक्षक आबकारी का व्यवस्थित आवास स्थान ऐसे स्थान पर स्थित हो, जिससे कि उप निरीक्षक /निरीक्षक अधिनियम या इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अध्यासी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह उक्त प्रयोजन के निमित्त उप निरीक्षक/निरीक्षक के लिये निःशुल्क कार्यालय स्थान की व्यवस्था करे।
(3) किराया या आवास गृह अथवा कार्यालय स्थान की उपयुक्तता के बारे में विवाद होने की दशा में उक्त मामला नियन्त्रक को अभिदिष्ट किया जायेगा और उस पर नियन्त्रक का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।	(3) किराया या आवास गृह अथवा कार्यालय स्थान की उपयुक्तता के बारे में विवाद होने की दशा में उक्त मामला नियन्त्रक को अभिदिष्ट किया जायेगा और उस पर नियन्त्रक का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

34. परिशिष्ट-2का संशोधन -उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-दो में,दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ- एक
विद्यमान प्रपत्र

परिशिष्ट-2 के प्रपत्र
(नियम 34 देखें)

क्र स .	रजिस्टर/विवरण-पत्र-अभिलेख / विवरणों का ब्यौरा	किसके द्वारा रखा जायेगा और/या भेजा जायेगा	जिसको प्रेषित होगा
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों में शीरे के उत्पादन तथा विक्रय का पाक्षिक विवरण-पत्र	समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी द्वारा	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश तथा अन्य व्यक्ति को जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है।
2	उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों में पिछले मौसम के शीरे का स्टाक का विवरण-पत्र	तदैव	तदैव

स्तम्भ- दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट-2
(नियम 34 देखें)

क्र स	रजिस्टर/विवरण-पत्र-अभिलेख /विवरणों का ब्यौरा	किसके द्वारा रखा जायेगा और /या भेजा जायेगा	जिसको प्रेषित होगा
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों में शीरे के उत्पादन तथा विक्रय का पाक्षिक विवरण-पत्र	समस्त चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासी द्वारा	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश तथा अन्य व्यक्ति को जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है।
2	उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों में पिछले मौसम के शीरे का स्टाक का विवरण-पत्र	तदैव	तदैव

3	रेलवे टंकी वेगनों के लिये मांग-पत्र भेजने तथा उनके स्थापन (Placement) का पाक्षिक विवरण-पत्र	तदैव	तदैव	3	रेलवे टंकी वेगनों के लिये मांग-पत्र भेजने तथा उनके स्थापन (Placement) का पाक्षिक विवरण-पत्र	तदैव	तदैव
4	प्रवेश पत्र	तदैव	तदैव	4	प्रवेश पत्र	तदैव	तदैव
5	शीरा प्राप्ति का प्रमाण-पत्र	उत्तर प्रदेश के किसी भी शक्कर के कारखाने से शीरा प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति	शीरा भेजने/देने वाले शक्कर के कारखाने के अध्यासियों को	5	शीरा प्राप्ति का प्रमाण-पत्र	उत्तर प्रदेश के किसी भी चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई से शीरा प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति	शीरा भेजने/देने वाले चीनीकार खानेया खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासियों को
6	शक्कर के कारखाने के शीरे के हिसाब का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा	--------	6	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के शीरे के हिसाब का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश के समस्त चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासियों द्वारा	--------
7	आसवनी के शीरे के लेखे का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश की आसवनी तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीता	--------	7	आसवनी के शीरे के लेखे का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश की आसवनी तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीता	--------
8	टंकीवार संग्रहण शीरे का पाक्षिक विवरण-पत्र जिसमें परतवार शीरे की शर्करा शक्कर की मात्रा दी जाय	शक्कर के कारखाने के अध्यासी	(1) शीरा नियंत्रक (2) संबद्ध आसवक को	8	टंकीवार संग्रहण शीरे का पाक्षिक विवरण-पत्र जिसमें परतवार शीरे की शर्करा शक्कर की मात्रा दी जाय	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी	(1) शीरा नियंत्रक (2) संबद्ध आसवक को
9	शीरे के वार्षिक उत्पादन का अनुमान	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी	तदैव	9	शीरे के वार्षिक उत्पादन का अनुमान	उत्तर प्रदेश के समस्त चीनी कारखानों या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासी	तदैव
10	शीरे के संग्रहण का मासिक विवरण-पत्र	उत्तर प्रदेश के समस्त आसवक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश और प्रभार के उप आबकारी आयुक्त	10	शीरे के संग्रहण का मासिक विवरण-पत्र	उत्तर प्रदेश के समस्त आसवक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश और प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
11	शीरा प्राप्त होने का विवरण	तदैव	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश	11	शीरा प्राप्त होने का विवरण	तदैव	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश
12	निरीक्षक पुस्तक	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी	--------	12	निरीक्षक पुस्तक	उत्तर प्रदेश के समस्त चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासी	--------
13	शीरे के लिए संग्रहण टंकी का गेज रजिस्टर	समस्त शक्कर कारखानों के अध्यासी और आसवनियां	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश	13	शीरे के लिए संग्रहण टंकी का गेज रजिस्टर	समस्त चीनी कारखानों या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासी और आसवनियां	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक	नियत प्रपत्र	अवधारणा की अवधि	प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक	विहित प्रपत्र	प्रतिधारण की अवधि
5	6				
पिछले पखवारे के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र-1	3वर्ष	पिछले पखवारे के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र 1	3वर्ष
पिछले मास के लिये प्रत्येक माह के पांचवे दिनांक को	शीरा प्रपत्र-2	3वर्ष	पिछले मास के लिये प्रत्येक माह के पांचवे दिनांक को	शीरा प्रपत्र 2	3वर्ष
पिछले पखवारे के संबंध में प्रत्येक माह प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र-3	2 वर्ष	पिछले पखवारे के संबंध में प्रत्येक माह प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र 3	2वर्ष
शक्कर के कारखाने से शीरा निकलने के दिन	शीरा प्रपत्र-4	5वर्ष	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से शीरा निकलने के दिन	शीरा प्रपत्र 4	5वर्ष
पारेषण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	शीरा प्रपत्र-4 दूसरी ओर	5वर्ष	पारेषण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	शीरा प्रपत्र 4–के दूसरी ओर	5वर्ष
---------	शीरा प्रपत्र-5	स्थायी	---------	शीरा प्रपत्र5–	स्थायी
---------	शीरा प्रपत्र-6	स्थायी	---------	शीरा प्रपत्र6–	स्थायी
जैसा नियम 11में निर्देश दिया गया	शीरा प्रपत्र-7	10वर्ष	जैसा नियम 11में निर्देश दिया गया	शीरा प्रपत्र7–	10वर्ष
संबंधित वर्ष (जो पहली नवम्बर से प्रारम्भ हो) के पूर्व (31 अगस्त)	शीरा प्रपत्र-9	3वर्ष	संबंधित वर्ष (जो पहली नवम्बर से प्रारम्भ हो) के पूर्व (31 अगस्त)	शीरा प्रपत्र9–	3वर्ष
पिछले माह के लिए प्रति माह के पांचवे दिनांक तक	शीरा प्रपत्र-10	3वर्ष	पिछले माह के लिए प्रति माह के पांचवे दिनांक तक	शीरा प्रपत्र10–	3वर्ष
तदैव	शीरा प्रपत्र-11	3वर्ष	तदैव	शीरा प्रपत्र11–	3वर्ष
---------	शीरा प्रपत्र-12	स्थायी	---------	शीरा प्रपत्र12–	स्थायी
प्रत्येक वर्ष 31अगस्त	शीरा प्रपत्र-13	स्थायी	प्रत्येक वर्ष 31अगस्त	शीरा प्रपत्र14–	स्थायी

35. शीरा प्रपत्र1–का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–1के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में, दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–1

(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

टंकीवार पाक्षिक तथा साप्ताहिक विवरण–पत्र जिसमें दिनांक..... को समाप्त होने वाली अवधि में शक्कर के कारखाने में चालू मौसम में शीरे का उत्पादन और प्रेषण (प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा और सभी मात्रा क्विन्टलों में दी जायगी।)

सग्रहण टंकी की क्र.सं.	पखवारेके प्रारम्भ में हिसाब से स्टाक में शीरे का प्रारम्भिक शेष	पखवारे में प्राप्त मात्रा	स्तम्भ 2 और 3 का योग
1	2	3	4

पखवारे में भेजा गया शीरा

आसवनी का नाम	सम्भरित मात्रा	आसोत्र बाह्य अनुज्ञप्तियों को सम्भरित मात्रा	औद्योगिक इकाईयों को सम्भरित मात्रा	मुक्त आदेश के अधीन व्यापारियों को बेची गयी मात्रा
(5क)	(5ख)	(5ग)	(5घ)	(5ङ)

स्तम्भ (5ख), (5ग), (5घ) और (5ङ) का योग	पखवारे के अन्त में शीरे का इतिशेष स्तम्भ 4 एवं 6 का अन्तर घटना चाहिए	वास्तविक सत्यापन के पश्चात् पखवारे के अन्त में वास्तविक इतिशेष	संग्रहण क्षय	प्रतिशत क्षय
6	7	8	9	10

टंकी के शीरे के विश्लेषण का परिणाम			अभ्युक्ति
शर्करा	शक्कर की प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	
(11क)	(11ख)	(11ग)	12

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

शीरा प्रपत्र 1–

(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

टंकीवार पाक्षिक तथा साप्ताहिक विवरण–पत्र जिसमें दिनांक..... को समाप्त होने वाली अवधि में चीनीकारखाने याखाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई में चालू मौसम में शीरे का उत्पादन और प्रेषण (प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा और सभी मात्रा क्विन्टलों में दी जायगी।)

सग्रहण टंकी की क्र.सं.	पखवारेके प्रारम्भ में हिसाब से स्टाक में शीरे का प्रारम्भिक शेष	पखवारे में प्राप्त मात्रा	स्तम्भ 2 और 3 का योग
1	2	3	4

पखवारे में भेजा गया शीरा

आसवनी का नाम	सम्भरित मात्रा	आसोत्र बाह्य अनुज्ञप्तियों को सम्भरित मात्रा	औद्योगिक इकाईयों को सम्भरित मात्रा	मुक्त आदेश के अधीन व्यापारियों को बेची गयी मात्रा
(5क)	(5ख)	(5ग)	(5घ)	(5ङ)

स्तम्भ (5ख), (5ग), (5घ) और (5ङ) का योग	पखवारे के अन्त में शीरे का इतिशेष स्तम्भ 4 एवं 6 का अन्तर घटना चाहिए	वास्तविक सत्यापन के पश्चात् पखवारे के अन्त में वास्तविक इतिशेष	संग्रहण क्षय	प्रतिशत क्षय
6	7	8	9	10

टंकी के शीरे के विश्लेषण का परिणाम			अभ्युक्ति
शर्करा	शक्कर की प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	
(11क)	(11ख)	(11ग)	12

मै प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का
हस्ताक्षर और
दिनांक

अवधेय (1)–विवरण–पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में नियुक्त उप–निरीक्षकआबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

(2) यदि किसी मास में किसी टंकी के शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाय तो इसे अभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण–पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ 10 के प्रतिशत की गणना स्तम्भ 4 में दी गई मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण को अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग–अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अन्त में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

मै प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय (1)–विवरण–पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में नियुक्त उप–निरीक्षक/निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारीचीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

(2) यदि किसी मास में किसी टंकी के शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाय तो इसे अभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण–पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ 10 के प्रतिशत की गणना स्तम्भ 4 में दी गई मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण को अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग–अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अन्त में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

36. प्रपत्र शीरा 2–का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–2के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-2
(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

महीनेवार विवरण–पत्र जिसमें .....20...के लिए शक्कर के कारखाने में पिछले मौसम के शीरे का टंकीवार स्टाक और उसका निस्तारण दिया गया है।

संग्रहण टंकी की संख्या	मास के प्रारम्भ में लेखानुसार स्टाक में शेष शीरा	मास में भेजा गया शीरा			
		आसवनी का नाम	भेजी गयी मात्रा	आसोत्र वाह्य अनुज्ञापियों को सम्भरित मात्रा	औद्योगिक इकाइयों की सम्भरित मात्रा
1	2	(3क)	(3ख)	(3ग)	(3घ)

सम्मोचन आज्ञा के अधीन व्यापार की बेची गई मात्रा	स्तम्भ (3ख) (3ग) (3घ) और 4 का योग	मास के अन्त में शीरे का इतिशेष स्तम्भ-2 और स्तम्भ-5
4	5	6

मास के अन्त में टंकीवार वास्तविक इतिशेष	संग्रहण क्षय	प्रतिशत क्षय
7	8	9

शीरे के विश्लेषण का परिणाम			अभ्युक्तियां
शर्करा	शक्कर की प्रतिशत अपचायक शक्कर के रूप में	विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	
(10क)	(10ख)	(10ग)	11

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

स्तम्भ–दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-2
(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

महीनेवार विवरण–पत्र जिसमें .....20...के लिए चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में पिछले मौसम के शीरे का टंकीवार स्टाक और उसका निस्तारण दिया गया है।

संग्रहण टंकी की संख्या	मास के प्रारम्भ में लेखानुसार स्टाक में शेष शीरा	मास में भेजा गया शीरा			
		आसवनी का नाम	भेजी गयी मात्रा	आसोत्र वाह्य अनुज्ञापियों को सम्भरित मात्रा	औद्योगिक इकाइयों की सम्भरित मात्रा
1	2	(3क)	(3ख)	(3ग)	(3घ)

सम्मोचन आज्ञा के अधीन व्यापार की बेची गई मात्रा	स्तम्भ (3ख) (3ग) (3घ) और 4 का योग	मास के अन्त में शीरे का इतिशेष स्तम्भ-2 और स्तम्भ-5
4	5	6

मास के अन्त में टंकीवार वास्तविक इतिशेष	संग्रहण क्षय	प्रतिशत क्षय
7	8	9

शीरे के विश्लेषण का परिणाम			अभ्युक्तियां
शर्करा	शक्कर की प्रतिशत अपचायक शक्कर के रूप में	विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	
(10क)	(10ख)	(10ग)	11

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय (1)-विवरण-पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में नियुक्त उप-निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

(2) यदि किसी मास में किसी टंकी के शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाय तो इसे अभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण-पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ-9 में अपेक्षित प्रतिशत की गणना स्तम्भ-2 में दी गयी कुल मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण को अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग-अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अन्त में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

अवधेय (1)-विवरण-पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में नियुक्त उप-निरीक्षक /निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

(2) यदि किसी मास में किसी टंकी के शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाय तो इसेअभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण-पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ-9 में अपेक्षित प्रतिशत की गणना स्तम्भ-2 में दी गयी कुल मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण को अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग-अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अन्त में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

37. शीरा प्रपत्र 3-का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-3के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्--

स्तम्भ-एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ-दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

प्रपत्र शीरा-3
(नियम-17 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की .....शक्कर के कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई.....20 .....को समाप्त होने वाले पक्ष में रेलवे टंकी वैगनों के लिये मांग-पत्रों और उनकी स्थापना का पाक्षिक विवरण-पत्र ।

मास तथा दिनांक	शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा मांगे गये टंकी वैगनों की संख्या	शक्कर के कारखाने द्वारा रेलवे को भेजे गये पत्र की अभिदेय संख्या	शक्कर के कारखाने की साइडिंग में उस दिनांक को दिये गये रिक्त टंकी वैगनों की संख्या	उस दिनांक को शीरे से लदे हुए भेजे गये वैगनों की संख्या
1	2	3	4	5
पखवारे का कुल योग				

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण-पत्र ठीक-ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय (1)--यह विवरण-पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में तैनात उप-निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी और चौथी प्रति शक्कर के कारखाने में अध्यासी द्वारा कार्यालय अभिलेख के रूप में रख ली जायगी।

(2) यह विवरण-पत्र विगत पखवारे के लिए शीरा प्रपत्र 1-के साथ प्रत्येक मास के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा।

प्रपत्र शीरा-3
(नियम-17 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की ..... चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई.....20 .....को समाप्त होने वाले पक्ष में रेलवे टंकी वैगनों के लिये मांग-पत्रों और उनकी स्थापना का पाक्षिक विवरण-पत्र ।

मास तथा दिनांक	शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा मांगे गये टंकी वैगनों की संख्या	शक्कर के कारखाने द्वारा रेलवे को भेजे गये पत्र की अभिदेय संख्या	शक्कर के कारखाने की साइडिंग में उस दिनांक को दिये गये रिक्त टंकी वैगनों की संख्या	उस दिनांक को शीरे से लदे हुए भेजे गये वैगनों की संख्या
1	2	3	4	5
पखवारे का कुल योग				

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण-पत्र ठीक-ठीक तैयार किया गया है।

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधे (1)--यह विवरण-पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी, दूसरी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में तैनात उप-निरीक्षक / निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी और चौथी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में अध्यासी द्वारा कार्यालय अभिलेख के रूप में रख ली जायगी।

(2) यह विवरण-पत्र विगत पखवारे के लिए शीरा प्रपत्र 1-के साथ प्रत्येक मास के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा।

38. शीरा प्रपत्र 4-का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-4के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दोमें ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ-दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

प्रपत्र शीरा-4
(नियम-18 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

पुस्तिका संख्या.....प्रवेश पत्र सख्या.....
मूल/दूसरी/तीसरी/चौथी/पाचवी प्रति दिनाक.....
1- शक्कर के कारखाने का नाम----------
2- परमिट संख्.....दिनांक .....तक वैध।
प्रवेशन आज्ञा संख्या

3-क्रेता का नाम और पता .....

4. रेल/लारी/ठेला..... द्वारा भेजा गया / दिया गया।

5. शीरे की टंकी खाते/दिये जाने का विवरण
सग्रहण टंकी जिससे शीरा भेज दिया गया

संग्रहण टंकी का प्रकार (क)	संग्रहण टंकी की क्रम संख्या (ख)	टंकी/वैगन/टिन /लारी पात्र जिनका उपयोग किया गया हो
1		2

भेजे दिये गये शीरे का विवरण

मात्रा (क्विन्टल) (क)	शर्करा (ख)	जितने प्रतिशत कुल शक्कर है (अपचायक शक्कर के रूप में) (ग)	श्रेणी (घ)
3			

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

टिप्पणी (1)-प्रवेश पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :

मूल प्रति शक्कर कारखाने में नियुक्त उपनिरीक्षक आबकारी को या उसकी अनुपस्थिति में आबकारी अधिकारी को, जो नियंत्रक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय, दूसरी तथा तीसरी प्रतिया शीरे के साथ जायेंगी, दूसरी प्रति शीरे के प्राप्ति के पश्चात् परेषिती के हस्ताक्षर के साथ लौटा दी जाय और चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी के द्वारा कार्यालय के अभिलेख के रूप में सावधानी के साथ रख ली जाय।

(2) पक्ति संख्या-4 में निम्नलिखित लिखिये -
(1) यदि शीरा रेल द्वारा भेज दिया गया हो, उस रेलवे स्टेशन का नाम
(2) यदि शीरा लारी द्वारा भेज दिया गया हो और साथ में परिमिटधारी या उनका प्रतिनिधि न हो तो लारी ड्राइवरका नाम
(3) यदि शीरा गाडी (कोर्ट) या ठेले, आदि से भेज दिया गया हो तो परमिटधारी या उसके प्रतिनिधि का नाम
(3) पंक्ति संख्या-5 के स्तम्भ-2 में-
(1) यदि शीरा रेल/लारी द्वारा भेज दिया जाय तो टैंक वैंगन नम्बर या लारी नम्बर
(2) यदि शीरा पात्रों द्वारा भेज दिया जाय/दिया जाय तो प्रत्येक प्रकार के पात्रों

प्रपत्र शीरा-4
(नियम-18 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

पुस्तिका संख्या.....प्रवेश पत्र सख्या.....
मूल/दूसरी/तीसरी/चौथी/पाचवी प्रति दिनाक.....
1- शक्कर के कारखाने का नाम----------
2- परमिट संख्या..... दिनांक .....तक वैध।
प्रवेशन आज्ञा संख्या

3-क्रेता का नाम और पता .....

4.रेल/लारी/ठेला.....द्वारा भेजा गया / दिया गया।

5. शीरे की टंकी खाते/दिये जाने का विवरण
सग्रहण टंकी जिससे शीरा भेज दिया गया

संग्रहण टंकी का प्रकार (क)	संग्रहण टंकी की क्रम संख्या (ख)	टंकी/वैगन/टिन /लारी पात्र जिनका उपयोग किया गया हो
1		2

भेजे दिये गये शीरे का विवरण

मात्रा (क्विन्टल) (क)	शर्करा (ख)	जितने प्रतिशत कुल शक्कर है (अपचायक शक्कर के रूप में) (ग)	श्रेणी (घ)
3			

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

टिप्पणी (1)-प्रवेश पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :

मूल प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में नियुक्त उपनिरीक्षक /निरीक्षक आबकारी को या उसकी अनुपस्थिति में आबकारी अधिकारी को, जो नियंत्रक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय, दूसरी तथा तीसरी प्रतिया शीरे के परेषण के साथ जायेंगी, दूसरी प्रति शीरे के प्राप्ति के पश्चात् परेषिती के हस्ताक्षर के साथ लौटा दी जाय और चौथी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी के द्वारा कार्यालय के अभिलेख के रूप में सावधानी के साथ रख ली जाय।

(2) पक्ति संख्या-4 में निम्नलिखित लिखिये-
(1) यदि शीरा रेल द्वारा भेज दिया गया हो, उस रेलवे स्टेशन का नाम
(2) यदि शीरा लारी द्वारा भेज दिया गया हो और साथ में परिमिटधारी या उनका प्रतिनिधि न हो तो लारी ड्राइवर का नाम
(3) यदि शीरा गाडी (कोर्ट) या ठेले, आदि से भेज दिया गया हो तो परमिटधारी या उसके प्रतिनिधि का नाम
(3) पंक्ति संख्या-5 के स्तम्भ-2 में-
(1) यदि शीरा रेल/लारी द्वारा भेज दिया जाय तो टैंक वैंगन नम्बर या लारी नम्बर
(2) यदि शीरा पात्रों द्वारा भेज दिया जाय/दिया जाय तो प्रत्येक प्रकार के

(टीन, ड्रम आदि) कुल संख्या और प्रत्येक प्रकार के पात्रों में शीरे की औसत मात्रा (क्विन्टल में) दर्ज कीजिये।

(4) शीरे की प्राप्ति की स्वीकृति प्रवेश पत्र के दूसरी ओर की जानी चाहिए (जो अंश लागू न हो उन्हें काट दीजिये ।)

पृष्ठ भाग पर

दूसरी ओर पर अंकित

अ.....

क्विन्टल शीरा प्राप्त हुआ।

(द्वार पर शीरा लेने वाले)

परमिटधारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर और दिनाक

प्रमाणित किया जाता है कि..... क्विन्टल शीरा.....शर्करा.....का.....प्रतिशत कुल शक्कर और..... श्रेणी का ..... दिनांक..... को आसवनी में जैसा दिनाक,.....को.....की सहायता से पूरे हुए नियंत्रण परीक्षण से पाया गया/प्राप्त हुआ।

प्रभारी आबकारी निरीक्षक, शीरा नियंत्रक,

प्रतिहस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत आसवनी अधिकारी

आसवनी प्रबन्धक हस्ताक्षर.....

दिनांकः दिनांक

.....

टिप्पणी–1 – यदि आसवनी आबकारी निरीक्षक या शीरा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये नियंत्रण परीक्षण से सहमत न हो तो प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है। ऐसी दशा मे प्रबन्धक को चाहिए कि वह वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा का उल्लेख करे और उस पर हस्ताक्षर करे।

पात्रों) (टीन, ड्रम आदि) कुल संख्या और प्रत्येक प्रकार के पात्रों में शीरे की औसत मात्रा (क्विन्टल में) दर्ज कीजिये।

(4) शीरे की प्राप्ति की स्वीकृति प्रवेश पत्र के दूसरी ओर की जानी चाहिए (जो अंश लागू न हो उन्हें काट दीजिये ।)

पृष्ठ भाग पर

दूसरी ओर पर अंकित

.....

क्विन्टल शीरा प्राप्त हुआ।

(द्वार पर शीरा लेने वाले)

परमिटधारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर और दिनाक

प्रमाणित किया जाता है कि..... क्विन्टल शीरा.....शर्करा.....का.....प्रतिशत कुल शक्कर और..... श्रेणी का ..... दिनांक..... को आसवनी में जैसा दिनाक,.....को.....की सहायता से पूरे हुए नियंत्रण परीक्षण से पाया गया/प्राप्त हुआ।

प्रभारी आबकारी निरीक्षक, शीरा नियंत्रक,

प्रतिहस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत आसवनी अधिकारी

आसवनी प्रबन्धक हस्ताक्षर.....

दिनांकः दिनांक .....

टिप्पणी–1 – यदि आसवनी आबकारी निरीक्षक या शीरा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये नियंत्रण परीक्षण से सहमत न हो तो प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है। ऐसी दशा में प्रबन्धक को चाहिए कि वह वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा का उल्लेख करे और उस पर हस्ताक्षर करे।

39. प्रपत्र शीरा 5का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-5 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-5

(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

शक्कर के कारखाने के शीरे के लेखा का रजिस्टर

टिप्पणी–

(1) इस रजिस्टर में शक्कर के कारखाने के शीरे की संग्रहण टंकियों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले नक्शे (Blue Print) की एक प्रति अन्दर चिपकाये लिफाफे में रखी जायगी।

(2) यह रजिस्टर अनुक्रमणिका सहित तीन भागों में होगा।

(3) सभी अंक क्विन्टलों में होंगे।

(4) कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त समस्त शक्कर से है।

अनुक्रमणिका का प्रपत्र

1	2	3				
		विमा				
शीरे की संग्रहण टंकियों की प्रदिष्ट क्रम-संख्या	टंकी का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	90क्विक्स के शीरे के अनुसार धारण करने की क्षमता	प्रदिष्ट पृष्ठ
1						
2						
3						

स्तम्भ–दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-5

(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के शीरे के लेखा का रजिस्टर

टिप्पणी–

(1) इस रजिस्टर में चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के शीरे की संग्रहण टंकियों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले नक्शे (Blue Print) की एक प्रति अन्दर चिपकाये लिफाफे में रखी जायगी।

(2) यह रजिस्टर अनुक्रमणिका सहित तीन भागों में होगा।

(3) सभी अंक क्विन्टलों में होंगे।

(4) कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त समस्त शक्कर से है।

अनुक्रमणिका का प्रपत्र

1	2	3				
		विमा				
शीरे की संग्रहण टंकियों की प्रदिष्ट क्रम-संख्या	टंकी का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	90क्विक्स के शीरे के अनुसार धारण करने की क्षमता	प्रदिष्ट पृष्ठ
1						
2						
3						

40 शीरा प्रपत्र 6-का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-6 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-6
(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर)

(यह उ०प्र० की सभी आसवनियों द्वारा रखा जायेगा) यह अनुक्रमणिका सहित दो भागों में होगा। सभी अंक क्विन्टलों में होगें। कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर से

अनुक्रमणिका प्रपत्र

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम	आसवनी को प्रविष्ट शीरे कीमात्रा	प्रदेशन आज्ञा का ब्योरा संख्या (क) दिनाक (ख)	प्रदिष्ट पृष्ठ
1	2	3	4

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-6
(नियम-31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर

(यह उ०प्र० की सभी आसवनियों द्वारा रखा जायेगा) यह अनुक्रमणिका सहित दो भागों में होगा। सभी अंक क्विन्टलों में होगें। कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर से

अनुक्रमणिका प्रपत्र

शीरा सम्भरण करने वाले चीनीकारखाने या खाण्डसारीचीनीविनिर्माण इकाई का नाम	आसवनी को प्रविष्ट शीरे कीमात्रा	प्रदेशन आज्ञा का ब्योरा संख्या (क) दिनाक (ख)	प्रदिष्ट पृष्ठ
1	2	3	4

41. शीरा प्रपत्र 6 भाग 1-का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-6 भाग 1 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में, दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-6
भाग-1
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम.....

दिनांक	शीरे का प्रारम्भिक शेष	शक्कर के कारखाने से भेजी गई मात्रायें			आसवनी को प्राप्त शीरा मात्रा (क)	
		प्रवेश पत्र संख्या (क)	दिनांक (ख)	मात्रा (ग)	तौल से (1)	गणना द्वारा (2)
1	2	3				

आसवनी को प्राप्त शीरा नियंत्रण परीक्षण (ख)	मार्गस्थ हानि (ग)	उस टंकी की कम संख्या जहा संग्रह किया गया (घ)	टंकी की क्रम संख्या (क)	दी गई मात्रा (ख)	आसवनी के आबकारी निरीक्षक के संक्षिप्त हस्ताक्षर (ग)

श्रेणी (1)	शर्करा (2)	प्रतिशत कुल शक्कर (3)
4		5

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा-6
भाग-1
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का नाम.....

दिनांक	शीरे का प्रारम्भिक शेष	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई से भेजी गई मात्रायें			आसवनी को प्राप्त शीरा मात्रा (क)	
		प्रवेश पत्र संख्या (क)	दिनांक (ख)	मात्रा (ग)	तौल से (1)	गणना द्वारा (2)
1	2	3				

आसवनी को प्राप्त शीरा नियंत्रण परीक्षण (ख)	मार्गस्थ हानि (ग)	उस टंकी की कम संख्या जहा संग्रह किया गया (घ)	टंकी की क्रम संख्या (क)	दी गई मात्रा (ख)	आसवनी के आबकारी निरीक्षक के संक्षिप्त हस्ताक्षर (ग)

श्रेणी (1)	शर्करा (2)	प्रतिशत कुल शक्कर (3)
4		5

42. शीरा प्रपत्र 6-भाग 2-का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-6 भाग 2 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में, दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ-दो** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

प्रपत्र शीरा-6
भाग-2
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम.....
पृष्ठ.....

क्रं.सं	दिनांक	दिनांक को प्राप्त शीरा (जैसा प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया)		भाग 1 -में प्रविष्ट दिनांक पृष्ठ
1	2	(3क)	(3 ख)	(4 क)

शक्कर के कारखाने को देय मूल्य			शक्कर के कारखाने को दिया गया मूल्य		
प्रति कुंटल दर शीरे का	दिनांक को प्राप्त शीरे का मूल्य	आज दिनांक तक प्राप्त शीरे का कुल मूल्य	दिनांक को दिया गया मूल्य	आज दिनांक तक दिया गया मूल्य	अभ्युक्तियां
(4 ख)	(5क)	(5 ख)	(6क)	(6 ख)	7

टिप्पणी-- प्रत्येक शक्कर के कारखाने के लिये प्रत्येक वर्ष एक अलग क्रम संख्या दी जानी चाहिये। प्रत्येक शक्कर के कारखाने के लिये पृथक पृथक प्रविष्टि किये जाने चाहिये।

प्रपत्र शीरा-6
भाग-2
(आसवनी के शीरे के लेखा का रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का नाम.....
पृष्ठ.....

क्रं.सं	दिनांक	दिनांक को प्राप्त शीरा (जैसा प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया)		भाग 1 -में प्रविष्ट दिनांक पृष्ठ
1	2	(3क)	(3 ख)	(4 क)

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई को देय मूल्य			चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई को दिया गया मूल्य		
प्रति कुंटल दर शीरे का	दिनांक को प्राप्त शीरे का मूल्य	आज दिनांक तक प्राप्त शीरे का कुल मूल्य	दिनांक को दिया गया मूल्य	आज दिनांक तक दिया गया मूल्य	अभ्युक्तियां
(4 ख)	(5क)	(5 ख)	(6क)	(6 ख)	7

टिप्पणी-- प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के लिये प्रत्येक वर्ष एक अलग क्रम संख्या दी जानी चाहिये। प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के लिये पृथक पृथक प्रविष्टि किये जाने चाहिये।

43. शीरा प्रपत्र 6–भाग 3–का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–6 भाग 3 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–6
भाग–3

(नियम –32/31–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1947) आसवनियों से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओ द्वारा प्राप्त तथा प्रयुक्त शीरे का दैनिक लेखा (सभी अंक क्विन्टलों में)

प्राप्त शीरे का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक शेष	परमिट संख्या	दिनांक	जिस शक्कर कारखाने से प्राप्त हुआ उसका नाम	प्रवेश पत्र संख्या	प्रवेश पत्र में उल्लिखित मात्रा	मार्गस्थ क्षय
1	2	(3क)	(3ख)	(3 ग)	(3 घ)	(3 ङ)	(3 च)

स्तम्भ 2 और (3छ) का योग	उपभोग के लिये निर्गत मात्रा	इति शेष	अभ्युक्तियाँ
4	5	6	7

प्रत्येक प्रदेशन ग्रहीता ऐसे शीरे को जो उसे प्रदिष्ट किया गया हो और जिसका उसने उपभोग किया हो, एक मासिक विवरणी शीरा उपर्युक्त प्रपत्र में शीरा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा।

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–6
भाग–3

(नियम –32/31–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1947) आसवनियों से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओ द्वारा प्राप्त तथा प्रयुक्त शीरे का दैनिक लेखा (सभी अंक क्विन्टलों में)

प्राप्त शीरे का विवरण

प्राप्तमात्रा दिनांक	प्रारम्भिक शेष	परमिट संख्या	दिनांक	जिस **चीनी** कारखाने **या खाण्डसारी/चीनीविनिर्माण इकाई** से प्राप्त हुआ उसका नाम	प्रवेश पत्र संख्या	प्रवेश पत्र में उल्लिखित मात्रा	मार्गस्थ क्षय	प्राप्तमात्रा
1	2	(3क)	(3ख)	(3 ग)	(3 घ)	(3 ङ)	(3 च)	

स्तम्भ 2 और (3छ) का योग	उपभोग के लिये निर्गत मात्रा	इति शेष	अभ्युक्तियाँ
4	5	6	7

प्रत्येक प्रदेशन ग्रहीता ऐसे शीरे को जो उसे प्रदिष्ट किया गया हो और जिसका उसने उपभोग किया हो, एक मासिक विवरणी शीरा उपर्युक्त प्रपत्र में शीरा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा।

44. शीरा प्रपत्र 7–का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–7 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–7

(नियम 11- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

संग्रहण टंकी में संग्रहीत शीरे के सिरे, मध्य और पेंदी के परतों की शर्करा और शक्कर का टंकीवार पाक्षिक विवरण–पत्र

क्र. सं.	संग्रहण टंकी की संख्या	टंकी में संग्रहित शीरे की मात्रा	शीरे की टंकी की कुल गहराई	परत की से0मी 0 में गहराई
1	2	3	4	5

शीरे के विश्लेषण का परिणाम

शीरे की ऊपरी परत		मध्य की परत		नीचे की परत	
ब्रिक्स	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	ब्रिक्स	शक्कर का शर्करा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	ब्रिक्स	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)
			6		

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–7

(नियम 11- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

संग्रहण टंकी में संग्रहीत शीरे के सिरे, मध्य और पेंदी के परतों की शर्करा और चीनी का टंकीवार पाक्षिक विवरण–पत्र

क्र.सं.	संग्रहण टंकी की संख्या	टंकी में संग्रहित शीरे की मात्रा	शीरे की टंकी की कुल गहराई	परत की से0मी 0में गहराई
1	2	3	4	5

शीरे के विश्लेषण का परिणाम

शीरे की ऊपरी परत		मध्य की परत		नीचे की परत	
ब्रिक्स	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	ब्रिक्स	शक्कर का शर्करा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	ब्रिक्स	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)
			6		

विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां	विश्लेषक का नाम और हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
7	8	7	8

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का
हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय) 1)–विवरण–पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने मे नियुक्त उप–निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए औरकार्यालय प्रति के रूम में चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

चीनी कारखाने के या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई अध्यासी का
हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय) 1)–विवरण–पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूलप्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईमे नियुक्त उप–निरीक्षक/निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए औरकार्यालय प्रति के रूम में चौथी प्रति चीनीकारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के अध्यासी द्वारा रख ली जाय।

45. प्रपत्र शीरा 9 का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–9 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र शीरा–9
(नियम 12- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

(उत्तर प्रदेश के शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जायेगा ।

.....गन्ने की पेराई के मौसम में..... शक्कर के कारखाने में शीरे का अनुमानित उत्पादन

1- निम्नलिखित का नाम और पता (केवल उन व्यक्तियों के नाम लिखे जाने चाहिये जो जिम्मेदार हो)-

(क) स्वामी-
.....
.....
(ख) अध्यासी-
.....
.....
(ग) प्रबन्धक-
.....
.....

2-शीरे का उत्पादन (क्विंटल मे .....)

विवरण	पिछले वर्ष की वास्तविक मात्रा	इस वर्ष की अनुमानित मात्रा	अभ्युक्तियां
1–मौसम की अवधि–			
(क) प्रारम्भ होने का दिनांक			
(ग) समाप्त होने का दिनांक			
2– गन्ने का सम्भरण (क्विंटलो में)			
3–शीरे का उत्पादन क्विंटलो में			
4–गन्ने में शीरे की मात्रा का प्रतिशत			

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

शीरा प्रपत्र –9
(नियम 12- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

(उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों के अध्यासियों द्वारा शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जायेगा ।

.....गन्ने की पेराई के मौसम में.....चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई में शीरे का अनुमानित उत्पादन

1- निम्नलिखित का नाम और पता (केवल उन व्यक्तियों के नाम लिखे जाने चाहिये जो जिम्मेदार हो)-

(क) स्वामी-
.....
.....
(ख) अध्यासी-
.....
.....
(ग) प्रबन्धक-
.....
.....

2- शीरे का उत्पादन) (क्विंटल मे .....)

विवरण	पिछले वर्ष की वास्तविक मात्रा	इस वर्ष की अनुमानित मात्रा	अभ्युक्तियां
1–मौसम की अवधि–			
(क) प्रारम्भ होने का दिनांक			
(ग) समाप्त होने का दिनांक			
2– गन्ने का सम्भरण (क्विंटलो में)			
3–शीरे का उत्पादन क्विंटलो में			
4–गन्ने में शीरे की मात्रा का प्रतिशत			

3–शीरे के लिए संग्रहण टंकियों का विवरण				
टंकी (टंकियों का प्रकार)	आच्छादित		अनाच्छादित	
	कुल संख्या	कुल क्षमता **(क्विंटल)**	कुल संख्या	कुल क्षमता **(क्विंटलों में)**
1	2	3	4	5

लोहे की .....
चिनाई.....
कच्चा.....

4– टंकी वैगनों की अधिकतम संख्या जिन्हें शक्कर के कारखाने आसवनियों की शीरे का सम्मरण करने के लिए प्रतिदिन लाद सकते है

1– बड़ी लाइन साइडिंग से

2– छोटी लाइन साइडिंग से

3– यांत्रिक/शारीरिक साधनों का जो शक्कर के कारखाने के पास शीरे को लादने के लिए हो, का विवरण दिया जाये।

चालू, मौसम में शीरा दिये जाने का विवरण

1– आसविनयों को 15अगस्त तक दिया गया।

2– आउट स्टिल अनुज्ञापियो तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं को दिया गया।

3– व्यापार के लिए बेचा गया

4– इतिशेष, वास्तविक

(क) मुक्त मात्रा यदि कोई हो

(5) क्षय

अवधेय–– चालू मौसम का तात्पर्य पिछले पहली नवम्बर को प्रारम्भ होने वाले गन्ने के पेराई वर्ष से है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी के

हस्ताक्षर .....
दिनाक .....

3–शीरे के लिए संग्रहण टंकियों का विवरण				
टंकी (टंकियों का प्रकार)	आच्छादित		अनाच्छादित	
	कुल संख्या	कुल क्षमता **(क्विंटल)**		कुल संख्या
1	2	3	4	5

लोहे की .....
चिनाई.....
कच्चा.....

4– टंकी वैगनों की अधिकतम संख्या जिन्हें शक्कर के कारखाने आसवनियों की शीरे का सम्मरण करने के लिए प्रतिदिन लाद सकते है

1– बड़ी लाइन साइडिंग से

2– छोटी लाइन साइडिंग से

3– यांत्रिक/शारीरिक साधनों का जो शक्कर के कारखाने के पास शीरे को लादने के लिए हो, का विवरण दिया जाये।

चालू, मौसम में शीरा दिये जाने का विवरण

1– आसविनयों को 15अगस्त तक दिया गया।

2– आउट स्टिल अनुज्ञापियो तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं को दिया गया।

3– व्यापार के लिए बेचा गया

4– इतिशेष, वास्तविक

(क) मुक्त मात्रा यदि कोई हो

(5) क्षय

अवधेय–– चालू मौसम का तात्पर्य पिछले पहली नवम्बर को प्रारम्भ होने वाले गन्ने के पेराई वर्ष से है।

चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईके अध्यासी के

हस्ताक्षर .....
दिनाक .....

46. प्रपत्र शीरा 10–का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–10 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ–दो** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

प्रपत्र शीरा–10
(नियम-6 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की.....आसवनी
में..... माह .....
.....20 का शीरे के सग्रहणका विवरण पत्र।

मूल/दूसरी/तीसरी प्रति

संग्रहण टंकी की क्रम सं०	संग्रहण टंकी का प्रकार	पिछले पहली नवम्बर को शीरे का **(क्विंटलों में)** वास्तविक प्रारम्भिक शेष	माह के अंत तक प्राप्त शीरे की कुल मात्रा **(क्विंटलों में)**	स्तम्भ 3और 4का योग **(क्विंटलों में)**	मास के अंत तक निर्गत शीरे की कुल मात्रा **(क्विंटलों में)**
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र शीरा–10
(नियम-6 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की.....आसवनी
में..... माह .....
.....20 का शीरे के सग्रहण का विवरण पत्र।

मूल/दूसरी/तीसरी प्रत

संग्रहण टंकी की क्रम सं०	संग्रहण टंकी का प्रकार	पिछले पहली नवम्बर को शीरे का **(क्विंटलों में)** वास्तविक प्रारम्भिक शेष	माह के अंत तक प्राप्त शीरे की कुल मात्रा **(क्विंटलों में)**	स्तम्भ 3और 4का योग **(क्विंटलों में)**	मास के अंत तक निर्गत शीरे की कुल मात्रा **(क्विंटलों में)**
1	2	3	4	5	6

क्विंटलो में

क्विंटलो में

सत्यापन के पश्चात वास्तविक स्टाक **(क्विंटलों में)**	संग्रहण क्षति **(क्विंटलों में)**	प्रति) संग्रहण क्षति **(क्विंटलों में)**	शक्कर कारखाने के आंकड़ों के अनुसार आसवनियों को आज तक भेजी गई मात्रा	अभ्युक्तियां	सत्यापन के पश्चात वास्तविक स्टाक **(क्विंटलों में)**	संग्रहण क्षति **(क्विंटलों में)**	प्रति) संग्रहण क्षति **(क्विंटलों में)**	**चीनी** कारखाने **या खाण्डसारी/चीनी विनिर्माण इकाई** के आंकड़ों के अनुसार आसवनियों को आज तक भेजी गई मात्रा	अभ्युक्तियां
8	9	10	11	12	8	9	10	11	12

आसवनी के प्रबन्धक के हस्ताक्षर
और दिनांक

आसवनी के प्रभारी निरीक्षक
के प्रति–हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय–

(1) विवरण–पत्र तीन प्रतियों में आसवकों द्वारा तैयार किया जाना चाहिये और अनुवर्ती माह के 5वें दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को दूसरी प्रति चार्ज के सहायक आबकारी आयुक्त को और तीसरी प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए सावधानी से रखी जानी चाहिये।

(2) स्तम्भ 9में कोष्ठक के बीच पिछली पहली नवम्बर से मास के अन्त तक की संग्रहण क्षति का प्रगामी योग लालस्याही में दीजिए।

(3) सभी अंक क्विंटलों में होंगे।

(4) विभिन्न संग्रहण टंकियों के अंक अलग–अलग पंक्ति में एक टंकी के लिए एक पंक्ति लिखना चाहिये। अन्तिम टंकी की प्रविष्टि के नीचे एक रेखा खींचनी होगी। इस रेखा के नीचे सभी टंकियों का कुल योग स्तम्भ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9और 10में लिखना चाहिये।

आसवनी के प्रबन्धक के हस्ताक्षर
और दिनांक

आसवनी के प्रभारी निरीक्षक
के प्रति–हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय–

(1) विवरण–पत्र तीन प्रतियों में आसवकों द्वारा तैयार किया जाना चाहिये और अनुवर्ती माह के 5वें दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को दूसरी प्रति चार्ज के उपआबकारी आयुक्त को और तीसरी प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए सावधानी से रखी जानी चाहिये।

(2) स्तम्भ 9में कोष्ठक के बीच पिछली पहली नवम्बर से मास के अन्त तक की संग्रहण क्षति का प्रगामी योग लालस्याही में दीजिए।

(3) सभी अंक क्विंटलों में होंगे।

(4) विभिन्न संग्रहण टंकियों के अंक अलग–अलग पंक्ति में एक टंकी के लिए एक पंक्ति लिखना चाहिये। अन्तिम टंकी की प्रविष्टि के नीचे एक रेखा खींचनी होगी। इस रेखा के नीचे सभी टंकियों का कुल योग स्तम्भ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9और 10में लिखना चाहिये।

47 प्रपत्र शीरा 11–का संशोधन––उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–11 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ–दो** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र शीरा–11 **(नियम-25 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)** उत्तर प्रदेश ..... आसवनी की .....शक्कर के कारखाने द्वारा.....माह .....20.....में प्राप्त शीरे का विवरण पत्र।	**प्रपत्र शीरा–11** **(नियम-25 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)** उत्तर प्रदेश की ..... आसवनी की ..... चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के द्वारा **----------** .माह.....20.....में प्राप्त शीरे का विवरण पत्र।

प्रवेश पत्र			भेजे गये शीरे का हिसाब					प्रवेश पत्र			भेजे गये शीरे का हिसाब					
क्र.सं.	संख्या (क)	दिनांक (ख)	टैंक वैगन की संख्या/लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	श्रेणी (घ)	प्रवेश पत्र संख्या (1)	प्रवेश पत्र दिनांक (2)	क्र.सं.	संख्या (क)	दिनांक (ख)	टैंक वैगन की संख्या/लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	श्रेणी (घ)	प्रवेश पत्र संख्या (1)	प्रवेश पत्र दिनांक (2)
1	2		3					1	2		3					

प्राप्त शीरे का हिसाब							प्राप्त शीरे का हिसाब						
टैंक वैगन की संख्या /लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	श्रेणी (घ)	क्षय (ङ)	सत्यापन का दिनाक (च)	अभ्युक्तियां	टैंक वैगन की संख्या /लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	श्रेणी (घ)	क्षय (ङ)	सत्यापन का दिनाक (च)	अभ्युक्तियां
4						5	4						5

प्रति हस्ताक्षर और दिनांक हस्ताक्षर और दिनांक
आसवनी प्रभारी आबकारी निरीक्षक प्रबन्धक आसवनी

अवधेय–(1) – विवरण पत्र शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को अनुवर्ती माह के दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(2) प्रत्येक शक्कर के कारखाने के लिए अलग विवरण–पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

(3) सभी अंक क्विन्टलों में होगे।

(4) अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् एक रेखा खींचिए और इस रेखा के नीचे स्तम्भ) मा (और) 4ख (में मास का कुल योग लिखिए। इस प्रविधिः के
नीचे पिछले 1नवम्बर से सम्बन्धित मास के अन्त तक का प्रगामी योग लिखिये।

प्रति हस्ताक्षर और दिनांक हस्ताक्षर और दिनांक
आसवनी प्रभारी आबकारी निरीक्षक प्रबन्धक आसवनी

अवधेय–(1) – विवरण पत्र शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को अनुवर्ती माह के दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(2) प्रत्येक चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के लिए अलग विवरण–पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

(3) सभी अंक क्विन्टलों में होगे।

(4) अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् एक रेखा खींचिए और इस रेखा के नीचे स्तम्भ) मा (और) 4ख (में मास का कुल योग लिखिए। इस प्रविधिः के
नीचे पिछले 1नवम्बर से सम्बन्धित मास के अन्त तक का प्रगामी योग लिखिये।

48. प्रपत्र शीरा 12–का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचेस्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–12 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र शीरा–12 **(नियम-34 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)**	**प्रपत्र शीरा–12** **(नियम-34 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)**
निरीक्षण पुस्तिका, जो उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखी जायेगी। यह दो भागों में होगी। प्रथम भाग में लगभग 10 पृष्ठ और दूसरे भाग में लगभग 200 पृष्ठ होगे।	निरीक्षण पुस्तिका, जो उत्तर प्रदेश के समस्त **चीनी** कारखानों **या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों** के अध्यासियों द्वारा रखी जायेगी। यह दो भागों में होगी। प्रथम भाग में लगभग 10 पृष्ठ और दूसरे भाग में लगभग 200 पृष्ठ होगे।
भाग–1	भाग–1

क्र.सं.	निरीक्षण अधिकारी का नाम और पद	शक्कर के का निरीक्षण करने का दिनांक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को निरीक्षण टिपणी की प्रति प्रस्तुत का दिनाक	शक्कर के कारखाने के प्रबन्धक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	**2**	**3**	**4**	**5**

क्र.सं.	निरीक्षण अधिकारी का नाम और पद	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई का निरीक्षण करने का दिनांक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को निरीक्षण टिपणी की प्रति प्रस्तुत का दिनाक	चीनी कारखाने या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई के प्रबन्धक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	**2**	**3**	**4**	**5**

49. प्रपत्र शीरा 14-का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र-14 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में ,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ-दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

प्रपत्र शीरा-14

(नियम-(2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

शक्कर के कारखाने /आसवनी का

नाम
.....
टंकी की क्रम
संख्या
.....
टंकी की विमा
(डाइमेन्शन)
.....
.....लम्बाई
.....
..... चौडाई .....

गहराई
.....

.....

पैंदी से नापी गई गहराई सेंटीमीटर में	डिप के अनुसार शीरे की मात्रा	90ब्रिक्स वाले शीरे के अनुसार अधिकतम सग्रहण क्षमता
1	**2**	**3**

1-से० मी०
2-से० मी०
3-से० मी०
4-से० मी०
5-से० मी०

शीरा प्रपत्र 14-

(नियम (2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, (1974

शीरे के लिए संग्रहण टंकी का गेज रजिस्टर चीनी कारखाने **या खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई**/आसवनी का

नाम.....
टंकी की क्रम
संख्या.....

टंकी की विमा
(डाइमेन्शन)
.....लम्बाई
.....
.....
चौडाई
.....
...
.....गहराई
.....
.....

पैंदी से नापी गई गहराई सेंटीमीटर में	डिप के अनुसार शीरे की मात्रा	90ब्रिक्स वाले शीरे के अनुसार अधिकतम सग्रहण क्षमता
1	**2**	**3**

2-से० मी०
4-से० मी०
6-से० मी०
8-से० मी०
10-से० मी०
शीरा टैंक की अधिकतम संचय क्षमतातक 2सेमी 0के अन्तर पर

50. प्रपत्र शीरा15 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान शीरा प्रपत्र–15के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में,दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–एक **विद्यमान प्रपत्र**	**स्तम्भ–दो** **एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र शीरा–15	**प्रपत्र शीरा–15**
(नियम–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली 1974) **तम्बाकू बनाने वालों के लिए आवेदन पत्र का फार्म**	**(नियम–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली 1974)** **तम्बाकू बनाने वालों के लिए आवेदन पत्र का फार्म**
1- लाइसेन्स दिनांक मार्च . . . . . 31,20. तक वैध है। 2 अनुज्ञापी का नाम और पूरा पता 3- निर्माण का स्थान 4- पिछले तीन वर्षों में निर्मित तम्बाकू **(क)** प्रयुक्त तम्बाकू की मात्रा क्विंटलों में 20------20------, 20------20------, -20------20----- **(ख)** जमा अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि **(ग)** जी०एस०टी० की जमा धनराशि **(घ)** जमा आयकर की धनराशि 5- क्विंटल में शीरे की मात्रा जिसका प्रत्येक किस्म की तम्बाकू के निर्माण में प्रयोग किया गया हो– **(क)** खमीरा **(ख)** बूरा **(ग)** कोई अन्य प्रकार **(घ)** प्रत्येक प्रकार में प्रयुक्त शीरे का अनुपात प्रमाणित किया जाता है कि जो उपर्युक्त सूचना मैंने प्रस्तुत की है यह मेरी जानकारी में पूरी सही है। फर्म/दुकान के, लाइसेन्सधारी के (दिनांक सहित) हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना जो उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गयी है, यह मेरी जानकारी में पूरी सही है। जिला कलेक्टर / उद्योग विभाग के अधिकारी के सतिथि हस्ताक्षर।	1- लाइसेन्स दिनांक मार्च . . . . . 31,20. तक वैध है। 2- लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता 3- निर्माण का स्थान 4- पिछले तीन वर्षों में निर्मित तम्बाकू **(क)** प्रयुक्त तम्बाकू की मात्रा क्विंटलों में 20------20------, 20------20------, -20------20----- **(ख)** जमा लाइसेंस फीस की धनराशि **(ग)** जी०एस०टी० की जमा धनराशि **(घ)** जमा आयकर की धनराशि 5- क्विंटल में शीरे की मात्रा जिसका प्रत्येक किस्म की तम्बाकू के निर्माण में प्रयोग किया गया हो– **(क)** खमीरा **(ख)** बूरा **(ग)** कोई अन्य प्रकार **(घ)** प्रत्येक प्रकार में प्रयुक्त शीरे का अनुपात प्रमाणित किया जाता है कि जो उपर्युक्त सूचना मैंने प्रस्तुत की है यह मेरी जानकारी में पूरी सही है। फर्म/दुकान के, लाइसेन्सधारी के (दिनांक सहित) हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना जो उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गयी है, यह मेरी जानकारी में पूरी सही है। जिला कलेक्टर / उद्योग विभाग के अधिकारी के सतिथि हस्ताक्षर।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
अपर मुख्य सचिव।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ
AbkariAnubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.

No. 212/E-2/XIII-26-254/1983-341143

NOTIFICATION

Prayagraj, Dated : March 18, 2026

In exercise of the powers conferred under section 22 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act, no. 24 of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act 1904 (U.P. Act no. 1 of the 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh SheeraNiyantranNiymavali 1974.

UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (NAVAM SANSHODHAN) NIYMAVALI, 2026

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Niyamavali (Navam Sanshodhan) Niyamavali, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 01 day of November, 2025.

2. Amendment of rule 2--In the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Niyamavali, 1974 herein after referred to as the said rules, in rule 2 set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted namely.

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
2. Definitions. - In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context thereof-	2. Definitions. –(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context thereof-
(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act XXIV of 1964);	(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act XXIV of 1964);
(b) *"Allottee"* means a person in whose favour an order under Section 8 of the Act has been made for the purpose of purchase of molasses or to whom molasses for captive consumption has been transferred or supplied, from the occupier of a sugar factory;	(b) *"Allottee"* means a person in whose favour an order under Section 8 of the Act has been made for the purpose of purchasing and supplying molasses as defined in the Act from the occupier of any sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit;
(c) *"Captive Consumption"* means the molasses transferred from a sugar mill to a distillery or industrial unit having the same ownership as that of the sugar mill;	(c) Omitted
(d) *"Form"* means a form prescribed under these rules;	(d) *"Form"* means a form prescribed under these rules;
(e) *"Molasses year"* means the period beginning on the first day of November and ending on 31st day of October in the year next following;	(e) *"Molasses year"* means the period beginning on the first day of November and ending on 31st day of October in the year next following
(f) *"Section"* means a section of the Act;	(f) *"Section"* means a section of the Act;
(g) *"Storage tank"* means covered	(g) *"Storage tank"* means covered accommodation

accommodation provided for the safe preservation molasses under Section 5 of the Act;	provided for the safe preservation of molasses under Section 5 of the Act;
(h) *"Sub-Inspector Excise"* means Sub-Inspector of Excise appointed under Section 10 of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act IV of 1910).]	(h) *"Sub-Inspector/ Inspector Excise"* means Sub-Inspector/*Inspector* of Excise appointed under Section 10 of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act IV of 1910).]
	(i) "Molasses" means a heavy, dark coloured, viscous liquid produced as a by-product during the manufacture of sugar or khandsari sugar from the juice of sugarcane or sugar syrup when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar and it also includes the by-product obtained during the manufacture of sugar through reverse process from rab or jaggery.
	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule 3--In the said rules, for existing rule 3 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
3. Arrangement of covered accommodation. - (1) Every occupier or a sugar factory shall have such number and size of storage tank within the precincts of sugar factory so as to store at any one time at least sixty percent of the total production of molasses calculated at four percent of the total cane that can be crushed in one hundred and forty working days according to the full registered cane crushing capacity for the time being of the factory or sixty percent of the highest total production of the last four years, whichever is higher. He shall use the molasses fund for enhancing storage capacity on a regular basis. Only in emergency, covered rectangular Kuccha Pits may be permitted by the Molasses Controller.	3. Arrangement of covered accommodation. - (1) Every occupier of a sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit shall have such number and size of storage tank within the precincts of sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit so as to store at any one time at least sixty percent of the total production of molasses calculated at four percent of the total cane that can be crushed in one hundred and forty working days according to the full registered cane crushing capacity for the time being of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit or sixty percent of the highest total production of the last four years, whichever is higher. He shall use the molasses fund for enhancing storage capacity on a regular basis. Only in emergency situations, permission for rectangular covered kaccha pits will be granted by the Molasses Controller by imposing penalty with the condition that the molasses stored in the kaccha pits will be compulsorily replenished before the monsoon season. Provided that in such Khandsari sugar manufacturing units where semi-solid molasses is

	produced, it shall be mandatory to make provision of containers of storage capacity prescribed by the Molasses Controller and Excise Commissioner, Uttar Pradesh for storing molasses instead of tanks. In every PD-2 licensed distillery it will be necessary to install additional tanks for molasses storage as per the determined appropriate required capacity of molasses storage.
(2)(a) Where on the ground of increased production of molasses, the controller finds difficulty in availability of transport facilities in any area or on any other ground to be recorded by him, he may direct the occupier of a sugar factory to provide additional storage tanks covered to the extent indicated in the direction, and there upon the occupier shall provide such storage tanks within such period as may be specified in the direction.	(2)(a) Where on the ground of increased production of molasses, the controller finds difficulty in availability of transport facilities in any area or on any other ground to be recorded by him, he may direct the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to provide additional storage tanks covered to the extent indicated in the direction, and there upon the occupier shall provide such storage tanks within such period as may be specified in the direction.
(b) To meet out the shortage in storage capacity due to foams in molasses during the crushing season in sugar mills, the occupier shall maintain covered Puccamasonary tanks of such capacity in the premises of sugar mill that can overcome the foaming situation so that the storage capacity under sub-rule (1) may not be hampered or shortened due to foams in molasses.	(b) To meet out the shortage in storage capacity due to foams in molasses during the crushing season in sugar mills or a khandsari sugar manufacturing units, the occupier shall maintain covered Pucca masonary tanks of such capacity in the premises of sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit that can overcome the foaming situation so that the storage capacity under sub-rule (1) may not be hampered or shortened due to foams in molasses.
(3) Uncovered storage tank shall not be utilised for the storage of molasses without prior sanction of the Controller.	(3) Uncovered storage tank shall not be utilised for the storage of molasses without prior sanction of the Controller.

4. Amendment of rule 4--In the said rules, for existing rule 4 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
4. Arrangement of storage tanks .- (1) All Storage tanks shall be serially numbered by the occupier of the factory and the number allotted to each tanks along with dimensions and storage capacity of each tank shall be displayed on a permanent fixture. The serial number once allotted shall not be altered except with the prior permission of the Controller.	4. Arrangement of storage tanks . - (1) All Storage tanks shall be serially numbered by the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit and the number allotted to each tanks along with dimensions and storage capacity of each tank shall be displayed on a permanent fixture. The serial number once allotted shall not be altered except with the prior permission of the Controller.

	Provided that such Khandsari sugar manufacturing unit where semi-solid molasses is produced arrangements shall be made for containers of storage capacity as prescribed by the Molasses Controller and Excise Commissioner, Uttar Pradesh.And the account of the stock of molasses thus stored shall be maintained according to the number of containers filled. Provided further that a virtual molasses storage tank may also be registered for such Khandsari sugar manufacturing units on the prescribed portal, in which the total quantity of molasses stored at any point of time shall be entered in quintals.Accordingly, the number of filled containers will also be recorded on the portal.
(2) The dimensions of all storage tanks provided by the occupier of a sugar factory shall be recorded in a register in Form M.F. 14 and a gauge chart in respect of each storage tank shall be maintained in the register for showing at every 5 cm of depth of the tank the contents of molasses in the tank in quintals. The gauging of the storage tank should be done taking molasses of 45 per cent sugar as standard.	(2) The dimensions of all storage tanks provided by the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall be recorded in a register in Form M.F. 14 and a gauge chart in respect of each storage tank shall be maintained in the register for showing at every 2 cm. of depth of the tank the contents of molasses in the tank in quintals. The gauging of the storage tank should be done taking molasses of 45 per cent sugar as standard.

5. Amendment of rule 5--In the said rules, for existing rule 5 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
5. Change in storage capacity . - (1) In case any change in the storage capacity of a storage tank is proposed, the occupier shall submit to the Controller, a blue print showing the exact location, the serial number, the dimensions, the type (steep masonry) and capacity at every 5 cm. of depth of each storage tank and also showing the pipes and drainage lines connected with such tank.	**5. Change in storage capacity .** - (1) In case any change in the storage capacity of a storage tank is proposed, the occupier shall submit to the Controller, a blue print showing the exact location, the serial number, the dimensions, the type (steep masonry) and capacity at every **2 cm.** of depth of each storage tank and also showing the pipes and drainage lines connected with such tank.
(2) In case any additional storage tank not shown in the blue print submitted under sub-rule (1), is subsequently provided by the occupier of a sugar factory, a similar blue print thereto shall be submitted to the Controller within one month of its construction.	(2) In case any additional storage tank not shown in the blue print submitted under sub-rule (1), is subsequently provided by the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, a similar blue print thereto shall be submitted to the Controller within one month of its construction.

6. Amendment of rule 6--In the said rules, for existing rule 6 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
6. Applicability of Rules 4 and 5 to distilleries . - The provisions of Rules 4 and 5 shall *mutatis mutandis* apply to owners of distilleries in U. P. in respect of molasses supplied to them by the sugar factories for distillation purposes.	6. Applicability of Rules 4 and 5 to distilleries (Section 22) direction of Controller for safe conservation of Molasses (Section 5 and 22). - The provisions of Rules 4 and 5 shall *mutatis mutandis* apply to owners of distilleries in U. P. in respect of molasses supplied to them by the sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units for distillation purposes.

7. Amendment of rule 7--In the said rules, for existing rule 7 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
7. Directions of the Controller for safe preservation of molasses . - If the Controller is of the opinion, that any storage tank or any device of fixture thereof, including wall, pipe-line, or drain, cannot adequately safeguard the safe preservation of quality and quantity of molasses produced in the sugar factory, he may by order in writing direct the occupier of the factory to take necessary measure including removal of wall, pipe-line or drain to secure safe preservation of the molasses and the occupier shall comply with such direction within the time specified therein.	7. Directions of the Controller for safe preservation of molasses . - If the Controller is of the opinion, that any storage tank or any device of fixture thereof, including wall, pipe-line, or drain, cannot adequately safeguard the safe preservation of quality and quantity of molasses produced in the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, he may by order in writing direct the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to take necessary measure including removal of wall, pipe-line or drain to secure safe preservation of the molasses and the occupier shall comply with such direction within the time specified therein.

8. Amendment of rule 8--In the said rules, for existing rule 8 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
8. Directions of the Controller regarding storage and disposal of molasses in storage tank . - (1) The Controller may specify the order in which storage tank in a factory shall be filled or emptied and such direction shall be binding on the occupier of the sugar factory.	8. Directions of the Controller regarding storage and disposal of molasses in storage tank . - (1) The Controller may specify the order in which storage tank in a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall be filled or emptied and such direction shall be binding on the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit.
(2) No molasses produced or stored in a factory in a particular molasses year shall be mixed with any molasses of the previous molasses year without the previous permission of the Controller in writing.	(2) No molasses produced or stored in a sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit in a particular molasses year shall be mixed with any molasses of the previous molasses year without the previous permission of the Controller in writing.

(3) No molasses shall be stored in a factory until it has been weighed or measured.	(3) No molasses shall be stored in a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit until it has been weighed or measured.
(4) Occupier of a sugar factory shall take adequate safeguards to see that the wastage in the storage of molasses in a year does not exceed two per cent of the total quantity stored. In case the wastage exceeds two per cent, the occupier shall be liable to penalties imposed under the Act, for the contravention of the rule :	(4) Occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall take adequate safeguards to see that the wastage in the storage of molasses in a molasses year does not exceed one and half per cent of the total quantity stored. In case the wastage exceeds one and half per cent, the occupier shall be liable to penalties imposed under the Act, for the contravention of the rule :
Provided that if it is proved to the satisfaction of the Controller that the wastage or deficiency in excess of the above prescribed limit has been caused by accident or any other unavoidable cause, the occupier shall not be liable to any penalty.	Provided that if it is proved to the satisfaction of the Controller that the wastage or deficiency in excess of the above prescribed limit has been caused by accident or any other unavoidable cause, the occupier shall not be liable to any penalty.
Note.-Sub-rules(3) and (4) shall also apply to storage of molasses in distilleries.	Note.-Sub-rules(3) and (4) shall also apply to storage of molasses in distilleries.

9. Amendment of rule 9--In the said rules, for existing rule 9 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
9. Arrangement of dip rod, sampling and testing apparatus, etc. - The occupier of a sugar factory shall maintain dip/rods/probes for measuring the depths of molasses in storage tanks and a sampling apparatus for taking out samples of molasses at different depths at the tanks and also a testing apparatus and reagents as per particulars specified in Appendix 1 and shall produce the same on demand by any officer of the Excise and Revenue Departments of and above the rank of a Sub-Inspector of Excise and Tehsildar, respectively and shall allow them to use the same.	**9. Arrangement of dip rod, sampling and testing apparatus, etc.** - The occupier of a sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** shall maintain **dip rods** for measuring the depths of molasses in storage tanks and a sampling apparatus for taking out samples of molasses at different depths at the tanks and also a testing apparatus and reagents as per particulars specified in Appendix 1 and shall produce the same on demand by any officer of the Excise and Revenue Departments of and above the rank of a Sub-Inspector of Excise and Tehsildar, respectively and shall allow them to use the same.

10. Amendment of rule 10--In the said rules, for existing rule 10 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
10. Test of samples of molasses produced. - The occupier of a sugar factory, during a molasses year, get samples of molasses produced at the factory tested every day, for brix and total sugar contents and shall also record the results in relevant columns of register in form M.F.5 everyday and upload it on the designated portal of the Excise Department (upexciseonline.in).	**10. Test of samples of molasses produced. -** The occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, during a molasses year, get samples of molasses produced at the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit tested every day, for brix and total sugar contents and shall also record the results in relevant columns of register in form M.F.5 everyday and upload it on the designated portalof the Excise Department.

11. Amendment of rule 11--In the said rules, for existing rule 11 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
11. Taking and testing of samples of storage tanks. - (1) During the period from November to May each molasses year, the occupier of a sugar factory shall on the 1st and 16th of each month and during the period from June to October each molasses year on 1st, 8th, 16th and 23rd of each month, get top, middle and bottom layer samples of molasses drawn from each storage tank and tested for brix and sugar contents and record the results in relevant columns of Form M.F.7. A true copy of the relevant extract from the register shall be sent to the Controller on the same day on which the sample is tested. In case a Sub-Inspector of Excise is posted at a sugar factory, sample shall be taken and get tested in his presence and upload it on the designated portal of the Excise Department.	**11. Taking and testing of samples of storage tanks.** - (1) During the period from November to May each molasses year, the occupier of a sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** shall on the 1st and 16th day of each month and during the period from June to October each molasses year on 1st, 8th, 16th and 23rd day of each month, get top, middle and bottom layer samples of molasses drawn from each storage tank and tested for brix and sugar contents and record the results in relevant columns of Form M.F.7. A true copy of the relevant extract from the register shall be sent to the Controller on the same day on which the sample is tested. In case a Sub-Inspector/**Inspector** of Excise is posted at a sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**, sample shall be taken and get tested in his presence and upload it on the designated portal of the Excise Department.
(2)The occupier of a sugar factory shall immediately inform the controller by telegram/complaint tab of the portal if there is any sudden deterioration in quality of molasses stored in any tank.	(2)The occupier of a sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** shall immediately inform the **Deputy Excise Commissioner of the concerned charge/** Controller by **e-mail or any other way/** complaint tab of the portal if there is any sudden deterioration in quality of molasses stored in any tank.

12. Amendment of rule 12--In the said rules, for existing rule 12 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
12.Supply and Distribution. - The occupier of every sugar factory shall submit to the Controller by August 31st each molasses year a statement in Form M.F.9 specifying an approximate estimate of the quantity of molasses to be produced and estimate of quantity of molasses to be transferred or supplied by way of stock transfer or for captive consumption in a sugar factory during the molasses year following along with such other information as is required under the form and upload it on the designated portal of the excise department.	12. Supply and Distribution. - The occupier of every sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall submit to the Controller by August 31st each molasses year a statement in Form M.F.9 specifying an approximate estimate of the quantity of molasses to be produced and estimate of quantity of molasses to be sold or supplied by a sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit during the molasses year following along with such other information as is required under the form and upload it on the designated portal of the excise department. (2) The decision regarding disposal of unused molasses in indefinitely closed molasses based industrial units will be taken by the Molasses Controller.

13. Amendment of rule 15--In the said rules, for existing rule 15 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
15. Quarterly programme of movement of molasses. - Having regard to the periodic production capacity of each sugar factory, the estimated periodic requirement of molasses for captive consumption,the availability of railway tank wagons, facility of road transport, storage capacity at the premises of the sugar factory and distillery and other relevant factors, the Controller may draw up a quarterly programme of movement of molasses including the molasses for captive consumption, from each factory. The occupier of each sugar factory and the allottee shall take necessary steps for the movement of molasses in accordance with such programme.	15. Quarterly programme of movement of molasses. - Having regard to the periodic production capacity of each sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit, the availability of railway tank wagons, facility of road transport, storage capacity at the premises of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit and distillery and other relevant factors, the Controller may draw up a quarterly programme of movement of molasses from each sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit. The occupier of each sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit and the allottee shall take necessary steps for the movement of molasses in accordance with such programme.

14. Amendment of rule 16--In the said rules, for existing rule 16 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
16. Arrangement for the lifting of molasses by the allottee. - (1) An allottee shall as soon as may be, after the allotment order has been received by him indicate in writing to the occupier of the sugar factory as to whether the molasses shall be lifted by rail or road as indicated in the programme. (2) Where in the programme the transport of molasses is indicated by road, the allottee shall arrange for providing for Global Positioning System (GPS) enabled tank, lorries or containers for lifting the molasses from the factory, to the extent needed for the purpose to ensure lifting of the quantity allotted within forty five days. Any deviation from the time schedule will entail a fine of Rs 5000 per day but shall not exceed Rs. 1,00,000/- which will be recovered in the same manner as the compound money is recovered by the Assistant Excise Commissioner of the concerned distillery or the District Excise Officer of the concerned district. The pro forma regarding the procedure shall be uploaded on the designated portal of Excise Department.	16. Arrangement for the lifting of molasses by the allottee. - (1) An allottee shall as soon as may be, after the allotment order has been received by him indicate in writing to the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit as to whether the molasses shall be lifted by rail or road as indicated in the programme. (2) Where in the programme the transport of molasses is indicated by road, the allottee shall arrange for providing for Global Positioning System (GPS)and digital lock attached tank, lorries or containers for lifting the molasses from the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, to the extent needed for the purpose to ensure lifting of the quantity allotted within thirty days. Any deviation from the time schedule will entail a fine of Rs 5000 per day but shall not exceed Rs. 1,00,000/- which will be recovered in the same manner as the compound money is recovered by the Assistant Excise Commissioner of the concerned distillery or the District Excise Officer of the concerned District. The pro forma regarding the procedure shall be uploaded on the designated portal of Excise Department. Provided that from such khandsari sugar manufacturing units where semi-solid molasses is produced and it is stored in small containers of prescribed storage capacity, it will also be permissible to remove the molasses by other suitable vehicles fitted with GPS.

15. Amendment of rule 17--In the said rules, for existing rule 17 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
17. Indent of railway wagons by the occupier of the sugar factory . - The occupier of sugar factory shall where required in the programme referred to in Rule 15, indent wagons from the railway authorities for dispatch of molasses in a manner which will ensure regular and complete supply of the molasses to the allottee. A fortnightly return of indents placed for Railway wagons shall be submitted in Form M.F. 3 to the Controller and where there is Sub-Inspector, Excise posted at the sugar factory one copy shall also be handed over to the Sub-Inspector.	17. Indent of railway wagons by the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit - The occupier of sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall where required in the programme referred to in Rule 15, indent wagons from the railway authorities for dispatch of molasses in a manner which will ensure regular and complete supply of the molasses to the allottee. A fortnightly return of indents placed for Railway wagons shall be submitted in Form M.F. 3 to the Controller and where there is Sub-Inspector/ Inspector of Excise posted at the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit one copy shall also be handed over to the Sub-Inspector/Inspector.

16. Amendment of rule 18--In the said rules, for existing rule 18 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
18. Loading hour in the case of road transport . - (1) In the case of road transport the loading hours shall be between 6 a.m. to 10 p.m. while in the case of Railway wagons the timings will be such as may be fixed by Railway authorities. (2) *Haulage and loading of railway wagons of molasses.*-Haulage of a Railway Wagons and loading of such wagons or loading into tank lorries or other containers shall not be refused or delayed by the occupier of a sugar factory. Where the occupier of a sugar factory fails without sufficient reason to make prompt arrangements for haulage and loading, Collector of the district in which the factory is situated or any other person authorised for the purpose by the Controller shall have the power to enter upon the premises of the factory, make arrangements for the haulage and loading of molasses and recover the cost therefor from the said occupier of the sugar factory out of the price of molasses payable to the sugar factory.	18. Loading hour in the case of road transport . - (1) In the case of road transport the loading hours shall be between 6 a.m. to 10 p.m. while in the case of Railway wagons the timings will be such as may be fixed by Railway authorities. (2) *Haulage and loading of railway wagons of molasses.*-Haulage of Railway Wagons and loading of such wagons of loading into tank lorries or other containers shall not be refused or delayed by the occupier or a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit. Where the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit fails without sufficient reason to make prompt arrangements for haulage and loading, Collector of the District in which the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is situated or any other person authorised for the purpose by the Controller shall have the power to enter upon the premises of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, make arrangements for the haulage and loading of molasses and recover the cost therefor from the said occupier of the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit out of the price of molasses payable to the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit.

17.Amendment of rule 19--In the said rules, for existing rule 19 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
19. Arrangement of CCTV camera, power pumps and accessories for loading of molasses. - For the purpose of loading of molasses the occupier of a sugar factory shall maintain in good running condition power pumps of sufficient capacity with other necessary accessories and CCTV camera with IP address. CCTV camera shall be installed in sugar mill in such a place and manner that all vehicles carrying raw materials, molasses and other produce can be recorded with its vehicle (tanker/lorry) Number while entering and leaving the sugar mill. A digital record will be maintained also and be submitted online to designated portal of Excise Department daily.	19.Arrangement of CCTV camera, power pumps and accessories for loading of molasses. - For the purpose of loading of molasses the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall maintain in good running condition power driven pumps of sufficient capacity with other necessary accessories and CCTV camera with IP address. CCTV camera and ANPR cameras shall be installed in sugar mill or a khandsarisugar manufacturing unit in such a place and manner that all vehicles carrying raw materials, molasses and other produce can be recorded with its vehicle (tanker/lorry) Number while entering and leaving the sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit. A digital record will be maintained also and the operating cameras shall be integrated with the Integrated Command and Control Centre (ICCC) at office of Excise commissioner. In order to ensure safety of molasses and to prevent misuse, it will be necessary for the occupier of the sugar mill or Khandsari sugar manufacturing unit to arrange for ANPR camera and other electronic equipments and software of the quality and type specified by the Molasses Controller.

18.Amendment of rule 20--In the said rules, for existing rule 20 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
20. Ownership of the despatched molasses. - (1) The ownership of molasses dispatched in railway tank wagons to a distillery shall continue to vest in occupier of the sugar factory concerned until it is actually delivered at the distillery and all losses occurring from any cause other than a wilful omission on the part of the distillery, shall be borne by the occupier of the sugar factory. The ownership of molasses to be transported by road shall pass to the allottee as soon as the molasses are taken out of the factory premises with gate pass in Form M.F.4 and such allottee shall be responsible for its safe arrival at the destination for the loss in transit if any. The occupier of the sugar mill must ensure that the transport of molasses from the sugar mill is done in Global Positioning System (GPS) enabled tankers only and the allottee has to certify accordingly.	20. Ownership of the despatched molasses. - (1) The ownership of molasses dispatched in railway tank wagons to a distillery shall continue to vest in occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit concerned until it is actually delivered at the distillery and all losses occurring from any cause other than a wilful omission on the part of the distillery, shall be borne by the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit. The ownership of molasses to be transported by road shall pass to the allottee as soon as the molasses are taken out of the premises of sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit with gate pass in Form M.F.4 and such allottee shall be responsible for its safe arrival at the destination for the loss in transit if any. The occupier of the sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit must ensure that the molasses from the sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit shall only be transported by Global Positioning

	System (GPS) and digital lock attached tankers and other suitable vehicles,the allottee has to certify accordingly.
(2) The allottee requiring molasses for purposes of industrial development shall make his own arrangement for transport of molasses and he shall be responsible for safe arrival of the molasses at the destination and for loss in transit if any. Such allottee shall be further required to allow any officer authorised by the controller in this behalf to get the consignment verified at the destination.	(2) The allottee requiring molasses for purposes of industrial development shall make his own arrangement for transport of molasses and he shall be responsible for safe arrival of the molasses at the destination and for loss in transit if any. Such allottee shall be further required to allow any officer authorised by the controller in this behalf to get the consignment verified at the destination.
(3) The entire quantity of molasses shall be transported in one consignment and shall not be broken in transit and the movement of consignment shall not be deviated on the route specified in the E-Transit permit, the infraction of which may entail on the licensee of distillery/brewery, imposition of penalty as laid down by the Government. If any sugar mill is found to be involved in the deceptive and fraudulent use of E-Transit permit for transiting consignment more than once on the same valid permit, Officer-in-Charge of sugar mill will be liable to be punished under disciplinary rules as well as occupier shall be liable to penalty of Rs Five lakhs. Recurrence will entail cancellation of licence of the occupier.	(3) The entire quantity of molasses shall be transported in one consignment and shall not be broken in transit and the movement of consignment shall not be deviated on the route specified in the E-Transit permit, the infraction of which may entail on the licensee of distillery/brewery or any other molasses based units imposition of penalty as laid down by the Government. If any sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit is found to be involved in the deceptive and fraudulent use of E-Transit permit for transiting consignment more than once on the same valid permit, Officer-in-Charge of sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit will be liable to be punished under disciplinary rules as well as occupier shall be liable to penalty of Rs Two lakh Fifty Thousand. Recurrence will entail cancellation of licence of the occupier.

19. Amendment of rule 21--In the said rules, for existing rule 21 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
21. Prohibition of transfer and use of molasses for purposes other than that for which allotted. - (1) Except with prior permission of the Controller no molasses supplied to an allottee be transferred to any other person.	**21.Prohibition of sale and use of molasses for purposes other than that for which allotted. -** (1) Except with prior permission of the Controller no molasses supplied to an allottee be **sold or delivered** to any other person.
(2) No molasses supplied to an allottee shall be used for a purpose other than that for which it has been allotted, except with the prior permission of the Controller.	(2) No molasses supplied to an allottee shall be used for a purpose other than that for which it has been allotted, except with the prior permission of the Controller.

20. Amendment of rule 22--In the said rules, for existing rule 22 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
22. Sale or supply of molasses to distilleries and other persons for industrial development. - (1) The molasses produced in a sugar factory shall be sold or supplied through designated online portal of Excise Department only to distilleries or other	22. Sale or supply of molasses to distilleries and other persons for industrial development. - (1) The molasses produced in a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall be sold or supplied through designated online

persons *bonafidely* requiring it for purposes of industrial development. (2) Any person requiring molasses for his distillery for any industrial development has to apply online to the Controller through designated portal of the Excise Department, specifying the purpose for which molasses is required along with his unit's GST Number.	portal of Excise Department only to distilleries or other persons *bonafidely* requiring it for purposes of industrial development. (2) Any person requiring molasses for his distillery or any molasses based unit for any industrial developmenthas to apply online to the Controller through designated portal of the Excise Department, specifying the purpose for which molasses is required along with his unit's GST Number.

21. Amendment of rule 23--In the said rules, for existing rule 23 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
23. Administrative charges. - Every occupier of a sugar factory shall deposit through E-challan the amount of administrative charges payable on molasses transferred or sold or supplied by him in the treasury or sub-treasury of the district in which sugar factory is situated, and produce the print out of E-challan as evidence of such payment to the Excise Officer in charge of the sugar factory before making actual delivery of the molasses to the purchaser or transferee.	23. Regulatory Fees-State Government may, at such rates as may be notified from time to time, recover regulatory fees on any sale or supply of molasses, from the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to meet the cost and expenses incurred in supervision and control of the preservation, supply and distribution of molasses stored or released from the sugar mill or a khandsari manufacturing sugar unit. Every occupier of a sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit shall deposit through E-challan the amount of Regulatory fees payable on the molasses sold or supplied by him in the treasury or sub-treasury of the district in which sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is situated, and produce the print-out of E-challan as evidence of such payment to the Excise Officer in charge of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit before making actual delivery of the molasses to the purchaser or allottee.

22. Amendment of rule 24--In the said rules, for existing rule 24 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
24. Restriction on transportation of molasses and export. - (1) No person shall transport or caused to be transported outside Uttar Pradesh any molasses unless permission in writing is obtained from the Controller. (2) Applications received in office of Controller for permission of transporting molasses to other States from Uttar Pradesh will be decided by the committee of,-	24. Restriction on transportation of molasses and export. - (1) No person shall transport or caused to be transported outside Uttar Pradesh any molasses unless permission in writing is obtained from the Controller. (2) Applications received in office of Controller for permission of transporting molasses to other States from Uttar Pradesh will be decided by the constituted committee comprising of following members,-

1. Molasses Controller-cum-Excise Commissioner - Chairman;	1. Molasses Controller-cum-Excise Commissioner- Chairman;
2. Additional Excise Commissioner (Administration) - Member;	2.Additional Excise Commissioner (Administration) - Member;
3. One member nominated by State Government - Member;	3. One member nominated by State Government - Member;
4. One member nominated by Cane Department - Member;	4. One member nominated by Cane Department - Member;
5. Joint Excise Commissioner (E.I.B.) - Member,	5. Joint Excise Commissioner (E.I.B.) - Member,
6. Deputy Excise Commissioner (Production) - Secretary-cum-Co-ordinator.	6. Deputy Excise Commissioner (Production) - Secretary-cum-Co-ordinator.
The committee will take decision on the basis of general availability of molasses in the State after considering captive requirements of molasses in the State. Only units producing molasses will be allowed to export after meeting the above set conditions. No trading/ exports will be permissible by allottees.	The committee will take decision on the basis of general availability of molasses in the State after considering requirements of molasses in the State. Only units producing molasses will be allowed to export after meeting the above set conditions. No trading/ exports will be permissible by allottees. Allottees shall be required to produce an affidavit of the aforesaid intent.

23. Amendment of rule 25--In the said rules, for existing rule 25 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
25. Removal of molasses from the sugar factory . - (1) No molasses including the molasses for captive consumption, shall be removed from the premises of a sugar factory until it has been weighed or measured and pass in Form M. F. 4 has been issued. This pass shall be issued in pentuplicate by the occupier of the factory or by an officer authorised by the Controller in this behalf. One copy of the pass shall remain with the occupier of the sugar factory, one copy shall be handed over to the Sub-Inspector of the Excise posted at the sugar factory before the removal of the molasses from the premises of the sugar factory, one copy shall be sent to the Controller, and one shall be sent to the Excise Inspector of the Circle in which the sugar factory is situated.	**25. Removal of molasses from the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit -** (1) No molasses shall be removed from the premises of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit until it has been weighed or measured and pass in Form M. F. 4 has been issued. This pass shall be issued in pentuplicate by the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit or by an officer authorised by the Controller in this behalf. One copy of the pass shall remain with the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, one copy shall be handed over to the Sub-Inspector/Inspector of the Excise posted at the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit before the removal of the molasses from the premises of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit, one copy shall be sent to the Controller, and one shall be sent to the Excise Inspector of the Circle in which the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is situated.
(2) *Verification of the receipt of consignment.*-On receipt of the consignment the consignee shall verify the quantities received and note them on the back of the pass and return it to the occupier of the sugar factory concerned. The consignee shall take adequate safeguard to see that the wastage or deficiency in transit does not exceed one per cent. In case the wastage or deficiency exceeds one per cent,	(2) *Verification of the receipt of consignment.*-On receipt of the consignment the consignee shall verify the quantities received and note them on the back of the pass and return it to the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit concerned. The consignee shall take adequate safeguard to see that the quantum of wastage or

the consignee shall be liable to punishment imposed under the Act for the contravention of the rule :	deficiency in transit does not exceed half per cent. In case the wastage or deficiency exceeds half per cent, the consignee shall be liable to punishment imposed under the Act for the contravention of the rule :
Provided that if it is proved to the satisfaction of the Controller that wastage or deficiency in excess of the prescribed limit has been caused by accident or any other unavoidable cause the consignee shall not be liable to punishment.	Provided that fit is proved to the satisfaction of the Controller that quantum of wastage or deficiency in excess of the prescribed limit has been caused by accident or any other unavoidable cause the consignee shall not be liable to punishment.
(3) *Officers authorised for verification.*-Consignments, destined for use in distilleries in Uttar Pradesh shall be verified by the Excise Inspector in charge of the distillery concerned or any other person authorised by the Controller in this behalf in the presence of the distillers or their representatives and result noted on the back of the pass.	(3) *Officers authorised for verification.*- Consignments, destined for use in distilleries in Uttar Pradesh shall be verified by the Excise Inspector in charge of the distillery concerned or any other person authorised by the Controller in this behalf in the presence of the distillers or their representatives and result noted on the back of the pass.

24.Amendment of rule 26--In the said rules, for existing rule 26 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
26. Receipt of molasses in distilleries. - No distillery in whose favour allotment of molasses under Section 8 has been made shall unload or utilize any part of any consignment of molasses received at the distillery in pursuance of such an order, without prior written permission of the officer-in-charge of the distillery or any other officer authorised by the Controller in this behalf. The distillery shall also maintain an account of receipt of molasses from the sugar factory in Form M.F. 11 and submit a true copy thereof to the Controller on the 5th of each month following and upload it on the designated portal of Excise Department.	**26..Receipt of molasses in distilleries.** - No distillery in whose favour allotment of molasses under Section 8 has been made shall unload or utilize any part of any consignment of molasses received at the distillery in pursuance of such an order, without prior written permission of the officer-in-charge of the distillery or any other officer authorised by the Controller in this behalf. The distillery shall also maintain an account of receipt of molasses from the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit in Form M.F. 11 and submit a true copy thereof to the Controller on the 5th day of each month following and upload it on the designated portal of Excise Department.

25. Amendment of rule 27--In the said rules, for existing rule 27 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
27. Verification and test of molasses received in distilleries . - The officer-in-charge or any other officer authorised by the Controller under Rule 26 shall determine the quantity and the quality of the molasses immediately on receipt of each consignment with the help of the laboratory of the distillery and record the result of the verification and test done by him on the reverse of the gate-pass in Form M. F. 4 received in duplicate from the occupier of the sugar factory along with	**27. Verification and test of molasses received in distilleries .** - The Officer-in-charge or any other officer authorised by the Controller under Rule 26 shall determine the quantity and the quality of the molasses immediately on receipt of each consignment with the help of the laboratory of the distillery and record the result of the verification and test done by him on the reverse of the gate-pass in Form M. F. 4 received in duplicate

consignment. One copy of the gate-pass shall be retained by the distillery and the other copy thereof shall be sent to the occupier of the sugar factory by the officer-in-charge so as to reach the latter within one week of the arrival of the consignment at the gate of the distillery.

from the occupier of the sugar factory **or a** khandsari sugar manufacturing unit along with consignment. One copy of the gate-pass shall be retained by the distillery and the other copy thereof shall be sent to the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit by the officer-in-charge so as to reach the latter within one week of the arrival of the consignment at the gate of the distillery or other units.

26. Amendment of rule 29--In the said rules, for existing rule 29 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
29. Manner of taking samples and procedure for settlement of disputes relating to grades of molasses. –(1) Whenever, samples are taken by any officer authorised by the Controller in this behalf, he shall leave a sample in duplicate sealed with his seal with the occupier of the sugar factory or the licence-holder of the distillery concerned and they shall be responsible for the safe custody of the same till such time it is ordered to be destroyed by the said officer.	29. Manner of taking samples and procedure for settlement of disputes relating to grades of molasses. –(1) Whenever, samples are taken by any officer authorised by the Controller in this behalf, he shall leave a sample in duplicate sealed with his seal with the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit or the licence-holder of the distillery concerned and they shall be responsible for the safe custody of the same till such time it is ordered to be destroyed by the said officer.
(2) In case of dispute relating to grade of molasses, the matter shall be referred to the officer authorised by the Controller in this behalf in accordance with the procedure given in sub-rule (3) and payment of price shall be made according to the grade declared by the Controller on the report of the said authorized officer.	(2) In case of dispute relating to grade of molasses, the matter shall be referred to the officer authorised by the Controller in this behalf in accordance with the procedure given in sub-rule (3) and payment of price shall be made according to the grade declared by the Controller on the report of the said authorized officer.
(3) If the occupier of the sugar factory concerned or the licence-holder of the distillery disputes the finding of the Excise Inspector on the grade, he may, within fourteen days of the date of such test, require the Excise Inspector in writing to send one of the samples of molasses to the officer authorized by the Controller, provided that, the occupier of the sugar factory or the licence-holder of the distillery, as the case may be, shall bear the cost that may have to be incurred for sending and testing the samples.	(3) If the occupier of the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit concerned or the licence-holder of the distillery disputes the finding of the Excise Inspector on the grade, he may, within fourteen days of the date of such test, require the Excise Inspector in writing to send one of the samples of molasses to the officer authorized by the Controller, provided that, the occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit or the licence-holder of the distillery, as the case may be, shall bear the cost that may have to be incurred in sending and testing the samples.
(4) In the case of transport by road, if the allottee receiving molasses from a sugar factory is not satisfied with the grade declared by the sugar factory it may apply in writing to the Sub-Inspector, Excise or the Excise Inspector, Molasses of the area in which the sugar factory is situated along with the	(4) In the case of transport by road, if the allottee receiving molasses from a sugar factory or a khandsari sugar manufacturingunitis not satisfied with the grade declared by the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit it may

testing fee to get the molasses of the storage tank from which the molasses was supplied by the sugar factory or the molasses was loaded in lorry or *thela* tested by the officer authorized under sub-rule (3) for declaration of its correct sugar contents. The price shall be according to the grade declared by such authorized officer. In case a lower grade is declared, the sugar factory will be bound to refund the allottee any extra payment realized along with the testing fee of such authorised officer. The provisions of sub-rules (1) to (3) shall also apply in the cases regarding taking of samples by the Resident Sub-Inspector, Excise or Excise Inspector, as the case may be.

apply in writing to the Sub-Inspector, Excise or the Excise Inspector, Molasses of the area in which the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is situated along with the testing fee to get the molasses of the storage tank from which the molasses was supplied by the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit or the molasses was loaded in lorry tested by the officer authorized under sub-rule (3) for declaration of its correct sugar contents. The price shall be according to the grade declared by such authorized officer. In case a lower grade is declared, the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit will be bound to refund the allottee any extra payment realized along with the testing fee of such authorised officer. The provisions of sub-rules (1) to (3) shall also apply in the cases regarding taking of samples by the resident Sub-Inspector, Excise or Excise Inspector, as the case may be.

(5) No distillery shall refuse unloading of molasses supplied by the occupier of a sugar factory under the orders of the Controller without the prior approval of the Controller, or an officer authorized in this behalf by the Controller :

(5) No distillery shall refuse unloading of molasses supplied by the occupier of a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit under the orders of the Controller without the prior approval of the Controller, or an officer authorized in this behalf by the Controller :

Provided that, if the Excise Inspector agrees with the distillers, on test by them, that any molasses supplied by a sugar factory is of a grade which is unfit for use in distillery by virtue of its containing less than 40 per cent of total sugar (expressed as reducing sugar) the distillery may refuse the unloading of such molasses and shall return the molasses at the expense of the sugar factory. If on subsequent analysis of such molasses by the officer authorised by the Controller under sub-rule (3) the molasses is declared fit for distillery purposes, the distillery shall be liable to pay such expenses and compensation, if any, as may be fixed by the Controller or by such officer as may be authorised by him in this regard.

Provided that, if the Excise Inspector agrees with the distillers, on test by them, that any molasses supplied by a sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is of a grade which is unfit for use in distillery by virtue of its containing less than 40 per cent of total sugar (expressed as reducing sugar) the distillery may refuse the unloading of such molasses and shall return the molasses at the expense of the sugar factory or a khandsarisugar manufacturing unit. If on subsequent analysis of such molasses by the officer authorised by the Controller under sub-rule (3) the molasses is declared fit for distillery purposes, the distillery shall be liable to pay such expenses and compensation, if any, as may be fixed by the Controller or by such officer as may be authorised by him in this regard.

27. Amendment of rule 31--In the said rules, for existing rule 31 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
31. Payment of the price of molasses by distilleries. –	**31. Payment of the price of molasses by distilleries.** –
(1) The rate of payment of price of molasses by a	(1) The rate of payment of price of molasses by

distillery to the occupier of a sugar factory shall be based on the grade of the molasses as follows-	a distillery to the occupier of a sugar factory **or** a khandsari sugar manufacturing unit shall be based on the grade of the molasses as follows-
(a) When molasses are transported by rail, the grade shall be as determined at the distillery under Rule 29(3);	(a) When molasses are transported by rail, the grade shall be as determined at the distillery under Rule 29(3);
(b) When the transport of molasses is by road, the grade shall be the grade as determined by the occupier of the sugar factory and recorded as the gate pass in Form M.F.4.	(b) When the transport of molasses is by road, the grade shall be the grade as determined by the occupier of the sugar factory **or a khandsarisugar manufacturing unit** and recorded as the gate pass in Form M.F.4.
(2) The distillery shall have to pay the price and other levies on molasses to the occupier of the sugar factory immediately at the time of taking delivery of molasses preferably through e-payment. If the sugar mill delays or causes other hindrances in delivery of molasses after payment of its price by the distillery, the occupier of the sugar factory shall be liable for penal action for breach of rules.	(2) The distillery shall have to pay the price **of** molasses to the occupier of the sugar factory **or a khandsarisugar manufacturing unit** immediately at the time of taking delivery of molasses preferably through e-payment. If the sugar mill **or a khandsarisugar manufacturing unit** delays or causes other hindrances in delivery of molasses after payment of its price by the distillery, the occupier of the sugar factory **or a khandsarisugar manufacturing unit** shall be liable for penal action for breach of rules.

28. Amendment of rule 32--In the said rules, for existing rule 32 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
32. Registers to be maintained and statements to be submitted by the occupier of sugar factory. - The occupier of every sugar factory shall maintain an accurate daily account of the molasses including the molasses for captive consumption, produced, stored, issued, sold or wasted in a register in Form M.F.5 and submit fortnightly and monthly statement pertaining to current season molasses and old season molasses, respectively in Forms M.F.1 and M.F.2. The occupier of the sugar factory shall workout the totals in all the columns in Form M.F.5 fortnightly on the 15th and the last working day of each month and extract thereof shall be submitted to the Controller on 1st and 16th of the month in the prescribed Forms M.F. 1 and M.F.2. The same will also be uploaded on the designated portal of excise department.	**32. Registers to be maintained and statements to be submitted by the occupier of sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit** - The occupier of every sugar factory **or a** khandsari sugar manufacturing unit shall maintain an accurate daily account of the molasses produced, stored, issued, sold or wasted in a register in Form M.F.5 and submit fortnightly and monthly statement pertaining to current season molasses and old season molasses, respectively in Forms M.F.1 and M.F.2. The occupier of the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit shall workout the totals in all the columns in Form M.F.5 fortnightly on the 15th and the last working day of each month and extract thereof shall be submitted to the Controller on 1st and 16th day of the month in the prescribed Forms M.F. 1 and M.F.2. The same will also be uploaded on the designated portal of excise department.

29. Amendment of rule--In the said rules, for existing rule 33 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
33. Registers to be maintained and statements to be submitted by distilleries, out-still licensees and other allottees. -(1) The owners of distilleries shall maintain a record of all molasses including the molasses of captive consumption received, utilised for distillation, and the balance in a register in Form M.F.6 Part 1st and 2nd as appended to these rules and shall submit to the Controller a true monthly abstract, of the receipt, utilisation and balance at the distillery each month in form M.F. 10 on 5th of each month following. The same will also be uploaded on the designated portal of Excise Department. (2) In case of allottees other than distilleries (except outstill) the account of molasses shall be kept in a register in Form M.F.6 Part III as given in appended forms and allottees shall submit a correct monthly abstract of the same to the Excise Inspector in whose circle the industrial unit lies. (3) Outstill licensees shall maintain account of molasses in Form M.F.6 Part 3 as given in appended form and shall submit a monthly abstract of the same to Excise Inspector in whose circle the shop lies.	**33. Registers to be maintained and statements to be submitted by distilleries, out-still licensees and other allottees.** -(1) **The receivers of molasses** shall maintain a record of molasses received, utilised for distillation, and the balance in a register in Form M.F.6 Part 1st and 2nd as appended to these rules and shall submit to the Controller a true monthly abstract, of the receipt, utilisation and balance at the distillery each month in form M.F. 10 on 5th day of each month following. The same will also be uploaded on the designated portal of Excise Department. (2) In case of allottees other than distilleries (except outstill) the account of molasses shall be kept in a register in Form M.F.6 Part III as given in appended forms and allottees shall submit a correct monthly abstract of the same to the Excise Inspector in whose circle the industrial unit lies. (3) Outstill licensees shall maintain account of molasses in Form M.F.6 Part 3 as given in appended form and shall submit a monthly abstract of the same to Excise Inspector in whose circle the shop lies.

30. Amendment of rule 34-- In the said rules, for existing rule 34 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
34. Manner of maintaining registers and records and officers authorised to inspect them. - Every occupier of a sugar factory shall maintain such registers, records and accounts in such manner and for such periods as prescribed in Appendix II to these rules. Revenue Officers of and above the rank of Tehsildar and all officers of the Excise Department of and above the rank of Sub-Inspector of Excise shall have the power to inspect molasses storage tanks and accounts of sugar factories and all other allottees of molasses that lie within their jurisdiction.	**34. Manner of maintaining registers and records and officers authorised to inspect them.** - Every occupier of a sugar factory **or a** khandsari sugar manufacturing unit shall maintain such registers, records and accounts in such manner and for such periods as prescribed in Appendix II to these rules. Revenue Officers of and above the rank of Tehsildar and all officers of the Excise Department of and above the rank of Sub-Inspector of Excise shall have the power to inspect molasses storage tanks and accounts of sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units and all other allottees of molasses that lie within their jurisdiction.

31. Amendment of rule 35--In the said rules, for existing rule 35 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I Existing Rule	Column-II Rule as hereby substituted
35. Inspection book for inspecting officer. - All occupiers of sugar factories and all other allottees shall be bound to maintain an inspection book in Form M.F. 12 for inspecting officers to record their inspection notes therein. The occupier of sugar factories shall, however, be bound to submit one copy of every inspection note recorded by any	**35. Inspection book for inspecting officer.** - All occupiers of sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units and all other allottees shall be bound to maintain an inspection book in Form M.F. 12 for inspecting officers to record their inspection notes therein. The occupiers of sugar

officer empowered under the preceding rule, direct to the Controller and one copy to the Deputy Excise Commissioner or Assistant Excise Commissioner of the charge in which the factory is situate.

factories or a khandsari sugar manufacturing units shall, however, be bound to submit one copy of every inspection note recorded by any officer empowered under the preceding rule, direct to the Controller and one copy to the Deputy Excise Commissioner of the charge in which the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit is situate.

32. Amendment of rule 39-- In the said rules, for existing rule 39 set out in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I
Existing Rule

39.Head of account of deposit money received by Controller, Additional Excise Commissioner (Administration) Uttar Pradesh and officers above this rank. -

(1) Any sum of money received by the Controller, under section 16 shall be credited to Government under the head "XLVI- Miscellaneous Molasses Penalties."

(2) For speedy disposal of cases related to molasses and to reduce the number of court cases-

In order to ensure uniformity in the imposition of penalty in similar cases, minimum compounding fee or compoundable irregularities shall be imposed as below;

Sl. No.	Type of irregularity	For first time (inRs.)	For second time(in Rs.)	For third time (inRs.)
1	Transit wastage of molasses in excess of 1% (Where the accident is proved)	25,000/-		
2	Storage wastage exceeding 2% of total quantity of molasses stored in any year in a sugar mill	..... .		
	(a) Annual production of molasses upto 2 Lakh quintals.	1,00,000/-		
	(b) Annual production of molasses more than 2 lakh quintals upto 4 lakh quintals.	1,50,000/-		

Column-II
Rule as hereby substituted

39. Head of account of deposit money received by Controller, Additional Excise Commissioner (Administration) Uttar Pradesh and officers above this rank. -

(1) Any sum of money received by the Controller, under section 16 shall be credited to Government under the head "XLVI- Miscellaneous Molasses Penalties."

(2) For speedy disposal of cases related to molasses and to reduce the number of court cases-

In order to ensure uniformity in the imposition of penalty in similar cases, minimum compounding fee or compoundable irregularities shall be imposed as below;

Sl. No.	Type of irregularity	For first time (inRs.)	For second time (in Rs.)	For third time (inRs.)
1	Transit wastage of molasses in excess of 0.5% (Where the accident is proved)	25,000/-		
2	Storage wastage exceeding 1.5% of total quantity of molasses stored in any year in a sugar millor a khandsari sugar manufacturing unit.	.....		
	(a) Annual production of molasses upto 2 Lakh quintals.	1,00,000/-		
	(b) Annual production of molasses more than 2 lakh quintals upto 4 lakh quintals.	1,50,000/-		

	(c) Annual production of molasses more than 4 lakh quintals upto 5 lakh quintals.	2,00,000/-		
	(d) Annual production of molasses more than 5 lakh quintals.	2,50,000/-		
3	For shortage in storage capacity of a sugar mill	2,50,000/-		
4	On storing molasses in uncovered kaccha/pakkapit.	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
5	If the weighing point/weigh bridge of a sugar mill is not certified.	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
6	For the loss in quality of the molasses stored in the sugar mill, leakage, auto combustion etc.	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
7	Molasses found in excess of the quantity shown as stored in the record.	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
8	For not maintaining the prescribed records/accounts regarding molasses.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
9	Gauge charts in sugar mill not approved from competent level	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
10	For delayed/ incorrect submission of the fortnightly and monthly statements of the sugar mill.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

	(c) Annual production of molasses more than 4 lakh quintals upto 5 lakh quintals.	2,00,000/-		
	(d) Annual production of molasses more than 5 lakh quintals.	2,50,000/-		
3	For shortage in storage capacity of a sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit	2,50,000/-		
4	On storing molasses in uncovered kaccha/ pakkapit	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
5	If the weighing point/weigh bridge of a sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit is not certified.	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
6	For the loss in quality of the molasses stored in the sugar millor a khandsari sugar manufacturing unit, leakage, auto combustion etc.	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
7	Molasses found in excess of the quantity shown as stored in the record.	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
8	For not maintaining the prescribed records/accounts regarding molasses.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
9	Gauge charts in sugar mill or a khandsari sugar manufacturing unit not approved from competent level.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
10	For delayed/ incorrect submission of the fortnightly and monthly statements of the sugar millor a khandsari sugar manufacturing unit.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

11	Records regarding molasses found incomplete.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
12	For not maintaining the dip rods in sugar mill	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
13	For not maintaining sampler in sugar mill.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
14	For not having Re-circulation pump and spray-coil for spraying water around the tanks so as to maintain the quality of molasses stored in tanks.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
15	For not having Float system in the molasses storage tanks.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
16	For vehicles used for transportation of molasses not being GPS enabled or GPS system found to be not workin	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
17	Any other irregularity not mentioned from Sr. No. 1 to 16 above.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

1. The compounding fee imposed in all the above cases shall be treated as minimum amount for the concerned irregularity.

2. For compoundable irregularities mentioned from sr. no. 8 to 16 in above table, Additional Excise Commissioner (Administration) Uttar Pradesh and the officer above this rank shall be authorised for compounding and to accept the compounding fee.

11	Records regarding molasses found incomplete.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
12	For not maintaining the dip rods in sugar millor a khandsari sugar manufacturing unit.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
13	For not maintaining sampler in sugar millor a khandsari sugar manufacturing unit.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
14	For not having Re-circulation pump and spray-coil for spraying water around the tanks so as to maintain the quality of molasses stored in tanks.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
15	For not having Float system in the molasses storage tanks.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
16	For vehicles used for transportation of molasses not beingfitted with digilockor not being attached with GPS or GPS system found to be not working.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
17	Any other irregularity not mentioned from Sr. No. 1 to 16 above.	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

1. The compounding fee imposed in all the above cases shall be treated as minimum amount for the concerned irregularity.

2. For compoundable irregularities mentioned from sr. no. 8 to 16 in above table, Additional Excise Commissioner (Administration) Uttar Pradesh and the officer above this rank shall be authorised for compounding and to accept the compounding fee.

33. Amendment of rule 41--In the said rules, for existing rule 41 setout in column I below, the rules set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
41. Provision for accommodation and residential quarters for the Sub-Inspector of Excise.-(1) Every occupier of the sugar factory shall be bound to provide within the precints of the factory suitable residential quarters for the Sub-Inspector of Excise at a reasonable rent, but not exceeding 10 percent of the monthly total basic pay of the Sub-Inspector, Excise.	**41. Provision for accommodation and residential quarters for the Sub-Inspector/Inspector of Excise.-** (1) Every occupier of the sugar factory **or a** khandsari sugar manufacturing unit shall be bound to provide within the precints of the factory or a khandsari sugar manufacturing unit suitable residential quarters for the Sub-Inspector/Inspector of Excise at a reasonable rent, but not exceeding 10 percent of the monthly total basic pay of the Sub-Inspector/Inspector, Excise.
(2) Where the residential accommodation provided by the factory to the Sub-Inspector is so situated as not to enable the Sub-Inspector to effectively carry out his functions and duties under the Act or these rules, it shall be obligatory on the occupier to also provide to the Sub-Inspector free office accommodation for the purpose.	(2) Where the residential accommodation provided by the sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to the Sub-Inspector/ Inspector is so situated as not to enable the Sub-Inspector/ Inspector to effectively carry out his functions and duties under the Act or these rules, it shall be obligatory on the occupier to also provide to the Sub-Inspector/ Inspector free office accommodation for the purpose.
(3) In the event of dispute in the matter of rent or suitability of residential quarter or the office accommodation, the matter shall be referred to the Controller and the decision of the Controller thereon shall be final and binding.	(3) In the event of dispute in the matter of rent or suitability of residential quarter or the office accommodation, the matter shall be referred to the Controller and the decision of the Controller thereon shall be final and binding.

34. Amendment of Form of Appendix II- In the said rules, for existing form of Appendix II, the Form as set out in column I below, the Form of Appendix II set out in column II shall be substituted, namely

Column-I
Existing Form

Form of Appendix II
[*See* Rule 34]

Sl. No.	Description of Register/ Statement Record/ Return	By whom to be maintained and/or furnished	To whom to be submitted
1	2	3	4
1.	Fortnightly statement of production and sales of molasses at sugar factories in U.P.	All occupiers of sugar factories	To Controller of Molasses, U.P. and others as given in the form appended hereto
2.	Statement of stock of previous season molasses at sugar factories in U.P.	Ditto	Ditto
3.	Fortnightly statements of indents for and placements of Railway tank wagons	Ditto	Ditto

Column-II
Form as hereby substituted

Form of Appendix II
[*See* Rule 34]

Sl. No.	Description of Register/ Statement Record/ Return	By whom to be maintained and/or furnished	To whom to be submitted
1	2	3	4
1.	Fortnightly statement of production and sales of molasses at sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units in U.P.	All occupiers of sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units	To Controller of Molasses, U.P. and others as given in the form appended hereto
2.	Statement of stock of previous season molasses at sugar factories or a khandsari sugar manufacturing units in U.P.	Ditto	Ditto
3.	Fortnightly statements of indents for and placements of Railway tank wagons	Ditto	Ditto

4.	Gate pass	Ditto	Ditto
5.	Certificate of receipt of molasses	All persons receiving molasses from any sugar factories in U.P.	To the occupier of the sugar factories despatching/ delivering molasses
6.	Sugar Factories Molasses Account Register	All occupiers of sugar factories in U.P.	...
7.	Distillery Molasses Account Register	All distillers of U.P. and other allottees	...
8.	Molasses Storage Tanks-wise Fortnightly statement showing Brix and sugar contents of molasses layer wise.	Occupier of the sugar factory	1.Controller of molasses 2 .Distiller concerned
9.	Annual estimate of production of molasses	All occupiers of sugar in U.P.	Ditto
10.	Monthly statement of storage of molasses	All distilleries of U.P.	Controller of Molasses in, U.P.
11.	Statement of receipt of molasses	Ditto	Controller of Molasses, U.P.
12.	Inspection Book	All occupiers of sugar factories in U.P.	...
13.	Gauge Register of storage tank for molasses	All occupiers of sugar factories and distilleries	Controller of Molasses

4.	Gate pass	Ditto	Ditto
5.	Certificate of receipt of molasses	All persons receiving molasses from any sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units** in U.P.	To the occupier of the sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units**despatching/ delivering molasses
6.	Sugar Factories **or a khandsari sugar manufacturing units** Molasses Account Register	All occupiers of sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units**in U.P.	...
7.	Distillery Molasses Account Register	All distillers of U.P. and other allottees	...
8.	Molasses Storage Tanks-wise Fortnightly statement showing Brix and sugar contents of molasses layer wise.	Occupier of the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing units**in U.P.	1.Controller of molasses 2 .Distiller concerned
9.	Annual estimate of production of molasses	All occupiers of sugarsugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** in U.P.	Ditto
10.	Monthly statement of storage of molasses	All distilleries of U.P.	Controller of Molasses in, U.P. and **Deputy Excise Commissioner of the charge**.
11.	Statement of receipt of molasses	Ditto	Controller of Molasses, U.P.
12.	Inspection Book	All occupiers of sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units** in U.P.	...
13.	Gauge Register of storage tank for molasses	All occupiers of sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units** and distilleries	Controller of Molasses

Last date of submission	Form prescribed	Period of retention
5	6	7
1st and 16th day of each month in respect of the preceding fortnight	M.F. 1	3 years
5th day of each month for the preceding month	M.F. 2	3 years
1st and 16th day of each month for preceding fortnight	M.F. 3	2 years
On date of delivery of molasses at sugar factories	M.F. 4	5 years
Within one week on receipt of consignment	"On Reverse of M.F.4	5 years
...	M.F. 5	Permanent
...	M.F. 6	Do.
As directed in Rule 11	M.F. 7	10 years
31st August preceding the year in question	M.F. 9	3 years

Last date of submission	Form prescribed	Period of retention
5	6	7
1st and 16th day of each month in respect of the preceding fortnight	M.F. 1	3 years
5th day of each month for the preceding month	M.F. 2	3 years
1st and 16th day of each month for preceding fortnight	M.F. 3	2 years
On date of delivery of molasses at sugar factories **or a khandsari sugar manufacturing units**	M.F. 4	5 years
Within one week on receipt of consignment	"On Reverse of M.F.4	5 years
...	M.F. 5	Permanent
...	M.F. 6	Do.
As directed in Rule 11	M.F. 7	10 years
31st August preceding the year in question (beginning 1st November)	M.F. 9	3 years

(beginning 1st November)					
5th day of the month following that for which due	M.F. 10	3 years	5th day of the month following that for which due	M.F. 10	3 years
Ditto	M.F. 11	3 years	Ditto	M.F. 11	3 years
...	M.F. 12	Permanent	...	M.F. 12	Permanent
31st August each year	M.F. 14	Do	31st August each year	M.F. 14	Do

35. Amendment of Form M.F. I- In the said rules, for existing form **Form M.F. I**, the Form as set out in column I below, the Form**M.F. I** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

(Rule 31, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Fortnightly and weekly tank-wise statement showing production and despatch of current season molasses at .....sugar factory during the period ending on .....

(To be despatched on 1st and 16th day of every month giving all quantities in quintals) :

Serial No. of storage tank	Opening balance of molasses s in stock by account at the beginning of the fortnight	Quantity received during the fortnight	Total of columns 2 and 3	Despatches made during the fortnight				
				Name of distillery	Quantity supplied	Quantity supplied to outstill licensee	Quantity supplied to industrial purposes	Quantity sold to trade under release order
1	2	3	4	5(a)	5(b)	5(c)	5(d)	5(e)

Total of Columns 5 (b), 5 (c), 5 (d) and 5 (e)	Closing balance of molasses at the end of fortnight column 4 Minus column 6	Actual closing balance at the end of the fortnight after physical verification	Storage wastage	Percentage of wastage	Result of analysis of molasses in tank			Remarks
					Brix	Percentage of Sugars (as reducing sugars)	Name of analyst with signature	
6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	11(c)	12

I certify that the statement above has been correctly prepared.

Signature (with date) of Occupier of the Sugar Factory

Nota Bene.-

(1) The statement should be prepared in quadruplicate, the original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at the sugar factory, triplicate copy to the Excise Inspector Molasses Duty of the ZONE and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar factory..

(2) If there is fall in the brix or per cent total sugar in the molasses of any tank during
any month, it should be explained fully in the remarks column or in a

Column-II
Form as hereby substituted

(Rule 31, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Fortnightly and weekly tank-wise statement showing production and despatch of current season molasses at .....sugar factory **or khandsari sugar manufacturing unit***during the period ending on .....*

(To be despatched on 1st and 16th day of every month giving all quantities in quintals) :

Serial No. of storage tank	Opening balance of molasses s in stock by account at the beginning of the fortnight	Quantity received during the fortnight	Total of columns 2 and 3	Despatches made during the fortnight				
				Name of distillery	Quantity supplied	Quantity supplied to outstill licensee	Quantity supplied to industrial purposes	Quantity sold to trade under release order
1	2	3	4	5(a)	5(b)	5(c)	5(d)	5(e)

Total of Columns 5 (b), 5 (c), 5 (d) and 5 (e)	Closing balance of molasses at the end of fortnight column 4 Minus column 6	Actual closing balance at the end of the fortnight after physical verification	Storage wastage	Percentage of wastage	Result of analysis of molasses in tank			Remarks
					Brix	Percentage of Sugars (as reducing sugars)	Name of analyst with signature	
6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	11(c)	12

I certify that the statement above has been correctly prepared.

Signature (with date) of Occupier of the Sugar Factory **or khandsari sugar manufacturing unit**

Nota Bene.-

(1) The statement should be prepared in quadruplicate, the original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at the sugar factory **or khandsari sugar manufacturing unit**, triplicate copy to the Excise Inspector **concerning sector / circle** and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar factory **or khandsari sugar manufacturing unit**..

separate note
at the back of the statement.
(3)Percentage of column 10 should be calculated on the quantity showing in column
4.
(4) Transfer from one tank to another should be explained in the Remarks column.
(5) Account of each tank should be shown separately and a thick line drawn at the
end of the account.

(2) If there is fall in the brix or per cent total sugar in the molasses of any tank during any month, it should be explained fully in the remarks column or in a separate note at the back of the statement.
(3) Percentage of column 10 should be calculated on the quantity showing in column 4.
(4) Transfer from one tank to another should be explained in the Remarks column
(5) Account of each tank should be shown separately and a thick line drawn at the end
of the account.

36. Amendment of Form M.F. 2- In the said rules, for existing form **Form M.F. 2**, the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 2**set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M. F. 2

(Rule 31-U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Month-wise statement showing tank-wise stock and disposal of Molasses of previous seasons at ..... Sugar Factory for the month of..... 20... :

Serial No. of storage tank	Balance of molasses in stock by account at the beginning of the month	Despatches made during the month				Quantity sold to trade under release order
		Name of Distilleryry	Quantity Despatched	Quantity supplied outstill licensees	Quantity supplied to industrial units	
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	4

Total of columns 3 (b), (c), (d) and 4	Closing balance of molasses at the end of the month-column 2 Minus column 5	Actual closing balance at the end of the month tank -wise	Storage wastage	Percentage of wastage	Result of analysis of molasses			Remarks
					Brix	Percentage of sugars (as reducing sugars)	Name of analyst with signature	
5	6	7	8	9	10(a)	10(b)	10(c)	11

I certify that the above statement has been correctly prepared

Signature (with date)
of the Occupier of Sugar Factory

Nota Bene-

(1) The statement should be prepared in quadruplicate, the original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at the sugar factory, triplicate copy to the Excise Inspector Molasses Duty of the Zone and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar.

(2) If there is fall in the brix or per cent, total sugars in the molasses of any tank during any month, it should be explained fully in the remarks column or in a separate note at the back of the statement.
(3) Percentage in the required column 9 should be calculated on the total quantity showing in column 2.
(4) Transfer from one tank to another should be explained in the Remarks column.
(5) Account of each tank should be shown separately and a thick line drawn at the end
of the account.

Column-II
Form as hereby substituted

Form M. F. 2

(Rule 31-U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Month-wise statement showing tank-wise stock and disposal of Molasses of previous seasons at ..... Sugar Factory **or khandsari sugar manufacturing unit** *for the month of..... 20... :*

Serial No. of storage tank	Balance of molasses in stock by account at the beginning of the month	Despatches made during the month				Quantity sold to trade under release order
		Name of Distilleryry	Quantity Despatched	Quantity supplied outstill licensees	Quantity supplied to industrial units	
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	4

Total of columns 3 (b), (c), (d) and 4	Closing balance of molasses at the end of the month-column 2 Minus column 5	Actual closing balance at the end of the month tank -wise	Storage wastage	Percentage of wastage	Result of analysis of molasses			Remarks
					Brix	Percentage of sugars (as reducing sugars)	Name of analyst with signature	
5	6	7	8	9	10(a)	10(b)	10(c)	11

I certify that the above statement has been correctly prepared

Signature (with date)
of the Occupier of Sugar Factory **or khandsari sugar manufacturing unit**

Nota Bene-

(1) The statement should be prepared in quadruplicate, the original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at the sugar factory **or khandsari sugar manufacturing unit**, triplicate copy to the Excise Inspector **of the concerning sector / circle** and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar *Factory* **or khandsari sugar manufacturing unit**.
(2) If there is fall in the brix or per cent, total sugars in the molasses of any tank during any month, it should be explained fully in the remarks column or in a separate note at the back of the statement.
(3) Percentage in the required column 9 should be calculated on the total quantity showing in column 2.
(4) Transfer from one tank to another should be explained in the Remarks column.
(5) Account of each tank should be shown separately and a thick line drawn at the end
of the account.

37. Amendment of Form M.F. 3- In the said rules, for existing form **Form M.F. 3**, the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 3**set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

FormM. F. 3

[Rule 17, U. P. SheeraNiyantranNiyamawali, 1974]

Fortnightly statement of indents for and placement of Railway tank wagons at----.....Sugar Factory, Uttar Pradesh for the fortnight ending ..... 20.....

Month and date	No. of tank wagons indented for by the occupier of the sugar factory	Reference No. of letter of sugar factory to Railway	No. of empty tank wagons placed on factorysiding on date	No. of wagons loaded with molasses despatched on date
1	2	3	4	5
Total, for the fortnight.				

I certify that the above statement has been correctly prepared.

Signature (with date) of Sugar Factory

Nota Bene –

(1) This statement shall be prepared in quadruplicate, the original shall be sent to the Controller of Molasses by registered post, the duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at sugar factory , the third copy to the Excise Inspector Molasses Duty of the Zone and the quadruplicate copy retained by the occupier of the sugar as office record.

(2) The statement shall be despatched on the 1st and 16th day of every month for the preceding fortnight alongwith M.F. 1 Statement.

Column-II
Form as hereby substituted

FormM. F. 3

[Rule 17, U. P. SheeraNiyantranNiyamawali, 1974]

Fortnightly statement of indents for and placement of Railway tank wagons at----.....Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**, *Uttar Pradesh for the fortnight ending ..... 20.....*

Month and date	No. of tank wagons indented for by the occupier of the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**	Reference No. of letter of sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** to Railway	No. of empty tank wagons placed on factory**or a khandsari sugar manufacturing unit** siding on date	No. of wagons loaded with molasses despatched on date
1	2	3	4	5
Total, for the fortnight.				

I certify that the above statement has been correctly prepared.

Signature (with date) of Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**

Nota Bene –

(1) This statement shall be prepared in quadruplicate, the original shall be sent to the Controller of Molasses by registered post, the duplicate copy to the Sub-Inspector/**Inspector** of Excise posted at sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** , the third copy to the Excise Inspector **of the concerning sector / circle** and the quadruplicate copy retained by the occupier of the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** as office record.

(2) The statement shall be despatched on the 1st and 16th day of every month for the preceding fortnight alongwith M.F. 1 Statement.

38. Amendment of Form M.F. 4- In the said rules, for existing form **Form M.F. 4**, the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 4**set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M.F. 4

(Rule 18- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Original/Duplicate /Triplicate/Quadruplicate

Book No..... Gate pass No..... Date.....

1. Name of Sugar Factory .....

2. Permit No..... Date..... Valid upto .....Allocation Order No.....

3. Name and address of the purchaser .....

4. Despatched/delivered by rail/lorry/thelathrough .....

5. Particulars of despatch/delivery of molasses ;

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 4

(Rule 18- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Original/Duplicate /Triplicate/Quadruplicate

Book No..... Gate pass No..... Date.....

1. Name of Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**…….....

2. Permit No..... Date..... Valid upto .....Allocation Order No.....

3. Name and address of the purchaser .....

4. Despatched/delivered by rail/lorry/thelathrough .....

5. Particulars of despatch/delivery of molasses ;

Storage tank from which molasses despatched/delivered		
Type of storage tank (a)	Serial number of storage tank (b)	Tank wagons/tins/lorry/c used
1		2

Particulars of molasses despatched/delivered		
Quantity (quintals) (a)	Brix (b)	Percent total sugars(as reducing sugars (c)
3		

Signature (with date) of Occupier of Sugar Factory

Notes.-(1) The Gate pass shall be prepared in quadruplicate ,these copies being used as follows :

Original to the Sub-Inspector Excise posted at sugar factory in his absence to Excise Officer as may be nominated by the Controller, duplicate and triplicate copies shall accompany the consignment (the duplicate copy being returned with signature of consignee after delivery is taken) quadruplicate copy being retained carefully as office copy, by the occupier of the Sugar Factory.

(2) In line 4 enter name of -
(i) Railway station for despatches of molasses by rail;
(ii) Lorry-driver, for despatch/delivery of molasses by lorry, not accompanied by permit-holder or representative;
(iii) Permit-holder or representative, for despatches of molasses by cart, thela, etc.

(3) In column 2 of line 5, enter :
(i) Tank wagon number or lorry number for despatch/delivery by rail/lorry.
(ii) Total number of containers (tins, drums etc.) of each kind together with average quantity (in quintals) of molasses in containers of each kind, for despatch/delivery by containers.

(4) Receipt of molasses should be acknowledged on the back of the gate-pass (strike out portion not applicable).

(On Reverse)

Received .....quintals of molasses as shown overleaf.

Signature (with date) of Permit-holder's Representative (taking gate delivery).

CERTIFIED that..... quintals of molasses of.....Brix ..... per cent Total sugars and ..... grade was received on at ..... distillery as found out by the Controller test completed on ..... with the assistance of……..

Signature (with date) of Excise Inspector Incharge, Distillery/Officer authorised by Controller of Molasses, Uttar Pradesh.

Countersigned

Manager (with date) of Distillery.

Note.-No counter-signature is required in case a distillery disagree with the control test carried out by the Excise Inspector or other person authorised by the Molasses Controller. In such case the Manager should explain the position under his signature the actual quantity received.

Storage tank from which molasses despatched/delivered		
Type of storage tank (a)	Serial number of storage tank (b)	Tank wagons/tins/lorry/c used
1		2

Particulars of molasses despatched/delivered			
Quantity (quintals) (a)	**Number of Containers (b)**	Brix (b)	Percent total sugars(as reducing sugars (c)
3			

Signature (with date) of Occupier of Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**

Notes.-(1) The Gate pass shall be prepared in quadruplicate ,these copies being used as follows :

Original to the Sub-Inspector / **Inspector** Excise posted at sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** in his absence to Excise Officer as may be nominated by the Controller, duplicate and triplicate copies shall **be accompanied by the**consignment **of molasses** (the duplicate copy being returned with signature of consignee after delivery is taken) quadruplicate copy being retained carefully as office copy, by the occupier of the Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**.

(2) In line 4 enter name of -
(i) Railway station for despatches of molasses by rail;
(ii) Lorry-driver, for despatch/delivery of molasses by lorry, not accompanied by permit-holder or representative;
(iii) Permit-holder or representative, for despatches of molasses by cart, thela, etc.

(3) In column 2 of line 5, enter :
(i) Tank wagon number or lorry number for despatch/delivery by rail/lorry.
(ii) Total number of containers (tins, drums etc.) of each kind together with average quantity (in quintals) of molasses in containers of each kind, for despatch/delivery by containers.

(4) Receipt of molasses should be acknowledged on the back of the gate-pass (strike out portion not applicable).

(On Reverse)

Received .....quintals of molasses as shown overleaf.

Signature (with date) of Permit-holder's Representative (taking gate delivery).

CERTIFIED that..... quintals of molasses of.....Brix ..... per cent Total sugars and ..... grade was received on at ..... distillery as found out by the Controller test completed on ..... with the assistance of……..

Signature (with date) of Excise Inspector Incharge, Distillery/Officer authorised by Controller of Molasses, Uttar Pradesh.

Countersigned

Manager (with date) of Distillery.

Note.-No counter-signature is required in case a distillery disagree with the control test carried out by the Excise Inspector or other person authorised by the Molasses Controller. In such case the Manager should explain the position under his signature the actual quantity received.

39. Amendment of Form M.F. 5- In the said rules, for existing form **Form M.F. 5**, the Form as set out in column I below, the For **M.F. 5**set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M.F. 5

(Rule 31-U. P. Sheera Niyantran Niyamavali, 1974)
Sugar Factory Molasses Account Register

Notes.-(1) A copy of the blue print showing the position of molasses storage tank of the Sugar factory shall be kept in an in set envelope in this register.

(2) This register will be in three parts together with an Index.

(3) All figures shall be in quintals.

(4) Total sugars stand for "Total sugars expressed as reducing sugars".

Form of Tender

1		2				3
Serial No. allotted to molasses storage tank	Type of tank	Dimensions				Pages allotted
		Length	Breadth	Dept h	Capacity in terms molasses of 90 brix in quintals	
1 2 3						

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 5

(Rule 31-U. P. Sheera Niyantran Niyamavali, 1974)
Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** Molasses Account Register

Notes.-(1) A copy of the blue print showing the position of molasses storage tank of the Sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** shall be kept in an in set envelope in this register.

(2) This register will be in three parts together with an Index.

(3) All figures shall be in quintals.

(4) Total sugars stand for "Total sugars expressed as reducing sugars".

Form of Tender

1		2				3
Serial No. allotted to molasses storage tank	Type of tank	Dimensions				Pages allotted
		Length	Breadth	Dept h	Capacity in terms molasses of 90 brix in quintals	
1 2 3						

40. Amendment of Form M.F. 6- In the said rules, for existing form **Form M.F. 6**, the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 6** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

FORM M.F. 6

(Rule 31- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)
Distillery Molasses Account Register
(This shall be maintained by all distillers in Uttar Pradesh)

It shall be in two parts along with an Index.

All figures shall be in quintals. Total sugars mean total sugar as reducing sugars.

Form of Index

Name of sugar factory supplying molasses	Quantity of molasses allotted to distillery	Details of allocation order		Pages allotted
		No. (a)	Date (b)	
(1)	(2)	(3)		(4)

Column-II
Form as hereby substituted

FORM M.F. 6

(Rule 31- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)
Distillery Molasses Account Register
(This shall be maintained by all distillers in Uttar Pradesh)

It shall be in two parts along with an Index.

All figures shall be in quintals. Total sugars mean total sugar as reducing sugars.

Form of Index

Name of sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** supplying molasses	Quantity of molasses allotted to distillery	Details of allocation order		Pages allotted
		No. (a)	Date (b)	
(1)	(2)	(3)		(4)

41. Amendment of Form M.F.6 Part I - In the said rules, for existing form **Form M.F. 6 Part I**, the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 6 Part I**set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M.F. 6
Part I
Distillery Molasses Account Register
Name of sugar factory supplying molasses..... Page.....

Date	Opening balance of molasses	Despatches from sugar factory		
		Gate pass No.	Date	Quantity
		(a)	(b)	(c)
1	2	3		

Molasses received at distillery							Issue of Molasses		
Quantity (a)		Control Test (b)			(c)	(d)	(a)	(b)	(c)
Quantity by weight ment	by calculation	Grade	Brix	Per cent Total sugar	Transit losses	Serial No. of tank where stored	Serial No. of tank	Quantity issued	Initials of Distillery Excise Inspector
(i)	(ii)	(i)	(ii)	(iii)	(c)	(d)	(a)	(b)	(c)
4							5		

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 6
Part I
Distillery Molasses Account Register
Name of sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** supplying molasses..... Page.....

Date	Opening balance of molasses	Despatches from sugar factory		
		Gate pass No.	Date	Quantity
		(a)	(b)	(c)
1	2	3		

Molasses received at distillery							Issue of Molasses		
Quantity (a)		Control Test (b)			(c)	(d)	(a)	(b)	(c)
Quantity by weight ment	by calculation	Grade	Brix	Per cent Total sugar	Transit losses	Serial No. of tank where stored	Serial No. of tank	Quantity issued	Initials of Distillery Excise Inspector
(i)	(ii)	(i)	(ii)	(iii)	(c)	(d)	(a)	(b)	(c)
4							5		

42. Amendment of Form M.F. 6 Part II- - In the said rules, for existing form **Form M.F. 6Part II** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 6 Part II** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M.F. 6
Part II
Distillery Molasses Account Register
Name of sugar factory supplying molasses ..... Page.....

S. N.	Date	Molasses received on date as verified by Ex. Ins. (incharge)		Entry in P	
		Quantity (In quintals)	Date	Page	
		(a)	(a)	(b)	
1	2	3		4	

Price payable of Sugar Factory			Payment of Sugar Factory	
Rate per quintal	Price for molasses received on date	Total price of molasses received up to date	Price paid on date	Price paid up to date
(a)	(b)	(c)	(a)	(b)
5		6		

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 6
Part II
Distillery Molasses Account Register
Name of sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**supplying molasses ..... Page.....

S. N.	Date	Molasses received on date as verified by Ex. Ins. (incharge)		Entry in P	
		Quantity (In quintals)	Date	Page	
		(a)	(a)	(b)	
1	2	3		4	

Price payable of Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**			Payment of Sugar Factory**or a khandsari sugar manufacturing unit**	
Rate per quintal	Price for molasses received on date	Total price of molasses received up to date	Price paid on date	Price paid up to date
(a)	(b)	(c)	(a)	(b)
5		6		

43. Amendment of Form M.F. 6 Part III- In the said rules, for existing form **Form M.F. 6Part III** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 6 Part III** set out in column II shall be substituted, namely:

Column-I
Existing Form

Form M.F. 6
Part III

(Rules 31-32 U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)
Daily account of molasses received and utilised by allottees other than distilleries

(All figures in quintals)

Date	Opening balance	Details of molasses received						
		Permit No.	Date	Name of sugar factory from where received	Gate pass No.	Quantity noted in gate pass	Transit wastage	Quantity received
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	3(e)	3(f)	3(g)

Total of cols. 2, 3(g)	Quantity issued for consumption	Closing balance	Remarks
4	5	6	7

Every allottee shall furnish a monthly return in the above form to the Molasses Controller about the molasses allotted to him and consumed.

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 6
Part III

(Rules 31-32 U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)
Daily account of molasses received and utilised by allottees other than distilleries

(All figures in quintals)

Date	Opening balance	Details of molasses received						
		Permit No.	Date	Name of sugar factory from where received	Gate pass No.	Quantity noted in gate pass	Transit wastage	Quantity received
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	3(e)	3(f)	3(g)

Total of cols. 2, 3(g)	Quantity issued for consumption	Closing balance	Remarks
4	5	6	7

Every allottee shall furnish a monthly return in the above form to the Molasses Controller about the molasses allotted to him and consumed.

44. Amendment of Form M.F. 7- In the said rules, for existing form **Form M.F. 7** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 7** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M.F. 7

[Rule 11, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974]
Molasses storage tank-wise fortnightly statement showing brix and sugar contents of top, middle and bottom layers of molasses stored in the tank

s. No.	No. of storage tank	Quantity of molasses stored in tank	Total depth of molasses tank	Depth of layer in Cm.
1	2	3	4	5

Column-II
Form as hereby substituted

Form M.F. 7

[Rule 11, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974]
Molasses storage tank-wise fortnightly statement showing brix and sugar contents of top, middle and bottom layers of molasses stored in the tank

s. No.	No. of storage tank	Quantity of molasses stored in tank	Total depth of molasses tank	Depth of layer in Cm.
1	2	3	4	5

Result of Analysis of Molasses						Name of Analyst with Signature	Remarks
Top Layer		Middle Layer		Bottom Layer			
Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)	Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)	Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)		
6						7	8

I certify that the above statement has been correctly prepared.

Signature (with date) of the Occupier of the Sugar Factory.

N.B.-The statement should be prepared in quadruplicate, the Original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector of Excise posted at the sugar factory, triplicate copy to the Excise Inspector,Molasses duty of zone and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar factory.

Result of Analysis of Molasses						Name of Analyst with Signature	Remarks
Top Layer		Middle Layer		Bottom Layer			
Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)	Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)	Brix	Percentage of sugars (as reducing sugar)		
6						7	8

I certify that the above statement has been correctly prepared.

*Signature (with date) of the Occupier of the Sugar Factory***or a khandsari sugar manufacturing unit.**

N.B.-The statement should be prepared in quadruplicate, the Original being sent to the Controller of Molasses, duplicate copy to the Sub-Inspector/**Inspector** of Excise posted at the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**, triplicate copy to the Excise Inspector **of the concerning sector/circle** and the quadruplicate copy retained as office copy by the occupier of sugar factory**or a khandsari sugar manufacturing unit**.

45. Amendment of Form M.F. 9- In the said rules, for existing form **Form M.F. 9** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 9** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I **Existing Form**	**Column-II** **Form as hereby substituted**
Form M.F. 9 (Rule 12-U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974) Estimate of production of molasses at ..... sugar factory for the cane crushing season ..... *(To be submitted by 31st August every year by occupier of Sugar Factories, Uttar Pradesh to the Controller of Molasses, Uttar Pradesh)* 1. Name and address of the following (only names of persons who are responsible should be written) : (a) Owner (b) Occupier (c) Manager 2. Production of molasses (in quintals)-	**Form M.F. 9** (Rule 12-U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974) Estimate of production of molasses at ..... sugar factory **or khandsari sugar manufacturing unit** for the cane crushing season ..... *(To be submitted by 31st August every year by occupier of Sugar Factories***or a khandsari sugar manufacturing units***, Uttar Pradesh to the Controller of Molasses, Uttar Pradesh)* 1. Name and address of the following (only names of persons who are responsible should be written) : (a) Owner (b) Occupier (c) Manager 2. Production of molasses (in quintals)-

Particulars		Last year's actuals	This year's estimate	Remarks
1		2	3	4
1.	Duration of the season-			
	(a) Date of commencement			
	(b) Date of completion			
2.	Cane supply (in quintals)			
3.	Production of molasses (in quintals)			
4.	Percentage of molasses to cane			

Particulars		Last year's actuals	This year's estimate	Remarks
1		2	3	4
1.	Duration of the season-			
	(a) Date of commencement			
	(b) Date of completion			
2.	Cane supply (in quintals)			
3.	Production of molasses (in quintals)			
4.	Percentage of molasses to cane			

3. Particulars of storage tank for molasses :

Kind of a tank(s)	Covered		Uncovered	
	Total	Total capacity (in quintals)	Total	Total capacity (in quintals)
1	2	3	4	5
Steel ...				
Masonry ...				
Kachcha ...				

4. Maximum number of tank wagons the sugar factory can load per day, for supply of molasses to distilleries-

(i) from broad gauge siding :

(ii) from metre gauge siding :

5. State the arrangements whether mechanical/manual, the sugar factory has got for loading for molasses.

6. Disposal of molasses in current season :

(i) Supplied to distilleries up to 15th August :

(ii) Supplied to out-still licensee and other allottees

(iii) Sold to trader :

(iv) Closing Balance (Actual) :

(a) Released stock, if any

(b) Unreleased stock

(v) Wastages.

N.B.-Current season will mean "Cane Crushing Year" commencing from first day of the November.

Signature (with date) of the Occupier of Sugar Factory

3. Particulars of storage tank for molasses :

Kind of a tank(s)	Covered		Uncovered	
	Total	Total capacity (in quintals)	Total	Total capacity (in quintals)
1	2	3	4	5
Steel ...				
Masonry ...				
Kachcha ...				

4. Maximum number of tank wagons the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** can load per day, for supply of molasses to distilleries-

(i) from broad gauge siding :

(ii) from metre gauge siding :

5. State the arrangements whether mechanical/manual, the sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** has got for loading for molasses.

6. Disposal of molasses in current season :

(i) Supplied to distilleries up to 15th August :

(ii) Supplied to out-still licensee and other allottees

(iii) Sold to trader :

(iv) Closing Balance (Actual) :

(a) Released stock, if any

(b) Unreleased stock

(v) Wastages.

N.B.-Current season will mean "Cane Crushing Year" commencing from first day of the November.

Signature (with date) of the Occupier of Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit**

46. Amendment of Form M.F. 10- In the said rules, for existing form **Form M.F. 10** the Form as set out in column I below, the Form**M.F10** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

Form M. F. 10

(Rule 6, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Statement of storage of molasses at ..... Distillery in U. P. for the month ..... 20....

Original/Duplicate, Triplicate					
Serial No. of storage tank	Type of storage tank	Actual opening balance (in quintals) of molasses on 1st November last	Total quantity (in quintals) of molasses received up to the end of the month	Total (in quintals) of cols. 3 and 4	Total quantity (in quintals) of molasses issued up to the end of the month
1	2	3	4	5	6

Column-II
Form as hereby substituted

Form M. F. 10

(Rule 6, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Statement of storage of molasses at ..... Distillery in U. P. for the month ..... 20....

Original/Duplicate, Triplicate					
Serial No. of storage tank	Type of storage tank	Actual opening balance (in quintals) of molasses on 1st November last	Total quantity (in quintals) of molasses received up to the end of the month	Total (in quintals) of cols. 3 and 4	Total quantity (in quintals) of molasses issued up to the end of the month
1	2	3	4	5	6

Closing balance (in quintals) by accounts	Actual stock after verification in quintals	Storage loss (in quintals)	Percentage (storage loss)	Up to date total despatches to distilleries according to sugar factory (in figures)	Remarks
7	8	9	10	11	12

Signature (with date) of Manager, Distillery.

Counter signature (with date) of Inspector Incharge, Distillery.

N.B.-(1) The statement should be prepared by the Distillers in triplicate and submitted by 5th day of the succeeding month, original copy to the Controller of Molasses, the duplicate copy to the **A.E.C.** of the Charge and the triplicate copy retained carefully for office record.

(2) In Col. 9 give within brackets the progressive totals of storage losses from 1st November last up to the end of the month in red ink.

(3) All the figures be in quintals.

(4) Figures for various storage tank should be written in separate lines, one for each tank. A line shall be drawn below the entry for the last tank. Below this line the totals for all the tanks should be written in columns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

Closing balance (in quintals) by accounts	Actual stock after verification in quintals	Storage loss (in quintals)	Percentage (storage loss)	Up to date total despatches to distilleries according to sugar factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** (in figures)	Remarks
7	8	9	10	11	12

Signature (with date) of Manager, Distillery.

Counter signature (with date) of Inspector Incharge, Distillery.

N.B.-(1) The statement should be prepared by the Distillers in triplicate and submitted by 5th day of the succeeding month, original copy to the Controller of Molasses, the duplicate copy to the **D.E.C.** of the Charge and the triplicate copy retained carefully for office record.

(2) In Col. 9 give within brackets the progressive totals of storage losses from 1st November last up to the end of the month in red ink.

(3) All the figures be in quintals.

(4) Figures for various storage tank should be written in separate lines, one for each tank. A line shall be drawn below the entry for the last tank. Below this line the totals for all the tanks should be written in columns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

47. Amendment of Form M.F. 11- In the said rules, for existing form **Form M.F. 11** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 11** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

FormM.F. 11

(Rule 25- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Statement showing receipts of molasses at ..... Distillery in U. P. from ----------Sugar Factory during the month of.....20……...

Serial No.	Gate pass		Despatch Account					
	No.	Date	Tank wagons No./lorry No. etc.	Quantity of molasses	Brix	Grade	Gate Pass No.	Gate Pass Date
1	2(a)	(b)	3(a)	(b)	(c)	(d)	(e)(i)	(e)(ii)

Receipt Account						Remarks
Tank wagon No./lorry No. etc.	Quantity of molasses	Brix	Grade	Wastage	Date of verification	
4(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	5

Countersignature (with date) Excise Inspector, Incharge Distillery.

Signature (with date) Manager, Distillery .....

Column-II
Form as hereby substituted

FormM.F. 11

(Rule 25- U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Statement showing receipts of molasses at ..... Distillery in U. P. from ----------Sugar Factory **or a khandsari sugar manufacturing unit** *during the month of.....20……...*

Serial No.	Gate pass		Despatch Account					
	No.	Date	Tank wagons No./lorry No. etc.	Quantity of molasses	Brix	Grade	Gate Pass No.	Gate Pass Date
1	2(a)	(b)	3(a)	(b)	(c)	(d)	(e)(i)	(e)(ii)

Receipt Account						Remarks
Tank wagon No./lorry No. etc.	Quantity of molasses	Brix	Grade	Wastage	Date of verification	
4(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	5

Countersignature (with date) Excise Inspector, Incharge Distillery.

Signature (with date) Manager, Distillery .....

N.B.-(1) The statement should be submitted to the Controller of Molasses, Uttar Pradesh by the 5th day of the succeeding months.
(2) Separate statement should be prepared of each sugar factory.
(3) All figures shall be in quintals.
(4) Draw a line after the last entry below this line the totals for the months in columns 3 (b) and 4 (b), below this entry give the progressive totals from 1st November last to the end of the month in question.

N.B.-(1) The statement should be submitted to the Controller of Molasses, Uttar Pradesh by the 5th day of the succeeding months.
(2) Separate statement should be prepared of each sugar factory**or a khandsari sugar manufacturing unit**.
(3) All figures shall be in quintals.
(4) Draw a line after the last entry below this line the totals for the months in columns 3 (b) and 4 (b), below this entry give the progressive totals from 1st November last to the end of the month in question.

48. Amendment of Form M.F. 12- In the said rules, for existing form **Form M.F. 12** the Form as set out in column I below, the Form**M.F.12** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

FormM.F. 12

(Rule 34, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Inspection book which shall be maintained by all occupiers of Sugar Factories, Uttar Pradesh. This shall be in two parts of about 10 and 200 pages respectively :

Part I

Serial No.	Name and designation of Inspecting Officer	Date of Inspection of Sugar Factory	Date of submission of copy of inspection note to Controller of Molasses, U. P.	Initial of Manager of Sugar Factory
1	2	3	4	5

Column-II
Form as hereby substituted

FormM.F. 12

(Rule 34, U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974)

Inspection book which shall be maintained by all occupiers of Sugar Factories **or a khandsari sugar manufacturing units**, Uttar Pradesh. This shall be in two parts of about 10 and 200 pages respectively :

Part I

Serial No.	Name and designation of Inspecting Officer	Date of Inspection of Sugar Factory **or khandsari sugar manufacturing unit**	Date of submission of copy of inspection note to Controller of Molasses, U. P.	Initial of Manager of Sugar Factory **or khandsari sugar manufacturing unit**
1	2	3	4	5

49. Amendment of Form M.F. 14- In the said rules, for existing form **Form M.F. 14** the Form as set out in column I below, the Form **M.F. 14** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I
Existing Form

FormM.F. 14
Gauge Register of Storage Tank for Molasses

[Rule 4 (2), U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974]

Name of Sugar Factory / Distillery

Serial No. of Tank ------ Dimensions of the tank-…….

Length……

Breadth……
Depth……

Depth in cm. taken form bottom	Quantity of Molasses as per dip	Maximum storage capacity in terms of molasses of 90 brix
1	2	3

Column-II
Form as hereby substituted

FormM.F. 14
Gauge Register of Storage Tank for Molasses

[Rule 4 (2), U. P. SheeraNiyantranNiyamavali, 1974]

Name of Sugar Factory **or a khandsarisugar manufacturing unit**/ Distillery

Serial No. of Tank Dimensions of the tank-……

Length……

Breadth……
Depth……

Depth in cm. taken form bottom	Quantity of Molasses as per dip	Maximum storage capacity in terms of molasses of 90 brix
1	2	3
2. Cm. ...		
4. Cm. ...		
6. Cm. ...		
8. Cm. ...		
10.Cm. ...		
Up to the maximum storage capacity of the molasses tank at intervals of 2 cm		

50. Amendment of Form M.F. 15- In the said rules, for existing form **Form M.F. 15** the Form as set out in column I below, the Form**M.F. 15** set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I **Existing Form**	**Column-II** **Form as hereby substituted**
Form M.F. 15 [Rule Sheera Niyantran Niyamavali, 1974] Application for Tobacco Manufacturers : 1. Licence valid up to March 19……. 2. Name of licensee with full address 3. Place of manufacture 4. Tobacco manufactured in last three years ---------- (a) Quantity of tobacco used in quintals : (b) Amount of licence fee duly paid : (c) Amount of Sales Tax. paid : (d) Amount of Income-tax paid : 5. Quantity of molasses in quintals for manufacture of Khansari mill in each variety: (a) Khamira : (b) Burra : (c) Any other quality : (d) Ratio of molasses used in each quality : CERTIFIED that information noted above by me is correct to the best of my knowledge. *Signature (with date) of the Licensee of the firm/shop.* CERTIFIED that the particulars furnished by the manufacturer are correct. *Signature (with date) of the District Collector/ Officer, Industries Department*	**Form M.F. 15** [Rule Sheera Niyantran Niyamavali, 1974] Application **Form** for Tobacco Manufacturers : 1. Licence valid up to March 31, 20……. 2. Name of licensee with full address 3. Place of manufacture 4. Tobacco manufactured in last three years 20:.....- 20....., 20.....-20....., 20.....-20....., (a) Quantity of tobacco used in quintals : (b) Amount of licence fee duly paid : (c) Amount of G.S.T. paid : (d) Amount of Income-tax paid : 5. Quantity of molasses in quintals used for manufacture of each variety of tobacco: (a) Khamira : (b) Burra : (c) Any other type (quality) : (d) Ratio of molasses used in each type : CERTIFIED that information noted above by me is correct to the best of my knowledge. *Signature (with date) of the Licensee of the firm/shop.* CERTIFIED that the particulars furnished by the manufacturer are correct. *Signature (with date) of the District Collector/ Officer, Industries Department*

By order,
VEENA KUMARI,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0-11 असाधारण गजट-30.03.2026-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।